तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २५

शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३
१ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या* ५३५ से ५४०, ५४२ से ५४५, ५४७ से ५४९ और ५५१ से ५५३ . . . २४१९—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ और ५५० . . २४४७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०५३ से १०७७ और १०७९ से १०८१ . २४४९—६२

तिब्बत में चीनी सेनाओं के कथित जमाव के बारे में . . २४६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४६२

राज्य सभा से सन्देश . . . २४६३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

चौथा प्रतिवेदन २४६३

अनुदानों की मांगें २४६४

सूचना और प्रसारण मंत्रालय २४६४–६५

श्री यशपाल सिंह २४६४

श्री कछवाय . . . . . २६६५—७५

डा० बे० गोपाल रेडडी

शिक्षा मंत्रालय . . . . . २४७६—९९

श्री ही० ना० मुकर्जी . . . . . २४७६—७८

डा० गोविन्द दास . . . . . २४७८—८४

श्री प्र० कु० घोष २४८४–८५

श्री मुथ्थिया २४८५–८६

श्री रामेश्वरानन्द : . . . . २४८६—९०

श्री गो० ना० दीक्षित . . . २४९०–९१

श्री किशन पटनायक . . २४९१ –९४

श्री मा० ल० जाधव २४९४ ९५

डा० सरोजिनी महिषी २४९५ ९६

श्री विश्राम प्रसाद . . . . २४९६ –९९

*किसी नाम पर अंकित यह —।— चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन रर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३

१ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्गापुर में चश्मों के कांच बनाने का कारखाना

+

†*५३५. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में चश्मों के कांच बनाने के कारखाने के निर्माण के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इसके निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) परियोजना रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट के अन्तिम रूप से स्वीकृत होने के बाद पुनरीक्षित अनुसूची तैयार होगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह परियोजना रिपोर्ट किन विदेशी परामर्शदाताओं ने तैयार की है ?

†**श्री कानूनगो** : रूस सरकार ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह परियोजना वर्तमान संकट के कारण कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : नहीं । इसका संकट से कोई संबंध नहीं है । प्रश्न तरीकों तथा उत्पाद की संभाव्य मांग के बारे में है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या केवल आंखों के चश्मों के शीशे अन्य प्रकार के शीशे जैसे बोतलों के शीशे भी यहां बनाये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : यह परियोजना केवल चश्मों के शीशे बनाने के लिए है ।

†**श्री ए० एस० तिवारी** : दुर्गापुर के अलावा अभी और भी कहीं क्या शीशे के कारखाने हैं ?

†**श्री कानूनगो** : शीशे के कारखाने मुल्क में बहुत हैं।

†**श्री ब० कु० दास** : यह कारखाना देश की मांग कहां तक पूरा कर सकेगा ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तव में, देश की मांग ऐसी नहीं है कि इस आकार का कारखाना लाभ-प्रद होगा। यही बात ही विचाराधीन है ।

†**श्री कछवाय** : इस समय में देश में चश्मों के शीशों का उत्पादन कितना होता है और उस से हमारी सरकार को कितनी इनकम होती है और उन कारखानों को सरकार द्वारा क्या मदद की जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत बड़ा प्रश्न है ।

बढ़िया किस्म का कोयला

+

†*५३६. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश से बढ़िया किस्म का कोयला मंगवाने के लिये कोई अंतिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और कितने मूल्य का कोयला मंगवाया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह : जो अच्छा कोयला है, उसकी इस वक्त कितनी कमी है हमारे देश में ?

श्री प्र० चं० सेठी : कमी की फिगर्ज़ तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जो मैटालर्जिकल कोल है, उसकी कमी है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : इसका कारण यह नहीं है कि कोयला की कमी है, परन्तु हमारे पास जो रोकिंग कोयला है उसकी किस्म अच्छी नहीं है और यही

---

†मूल अंग्रेजी में

कारण है कि हम विचार कर रहे हैं कि क्या हम उच्च श्रेणी का कोयला प्राप्त करके बना सकते ताकि किस्म में सुधार हो जाये ।

श्री यशपाल सिंह : हम किस फारेन कंट्री से बातचीत कर रहे हैं ? जिस कोयले की कमी है, उस कोयले को कहां से मंगाने का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यू० एस० ए० से और आस्ट्रेलिया से जो कोल आया है, उसके नमूने की जांच हो रही है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अच्छी किस्म के कोयले की कमी के कारण काफी मिलावट हो रही है और जो भी उत्तम प्रकार का कोयला खरीदता है । उसे सदैव ही उसके साथ कुछ निम्न प्रकार का कोयला मिलता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अच्छा हो कि यह प्रश्न खान और ईंधन मंत्रालय से पूछा जाये ।

मशीनी औज़ार कारखाना

+

†*५३७. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में दूसरा मशीनी औज़ार कारखाना बनाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या उन कारखानों के केरल राज्य में स्थापित किये जाने की सम्भावना पर उचित रूप से विचार किया गया है और उस पर अन्तिम रूप से अनुमोदन हो चुका है ; और

(ग) निर्माण का प्रारम्भिक काम कब आरम्भ होगा और कारखाने को उत्पादन आरम्भ करने की स्थिति में पहुंचने के लिये कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) सरकार ने केरल राज्य में मशीनी औज़ार कारखाना बनाने का निश्चय किया है । इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि दिये जाने पर निर्माणकार्य आरम्भ हो जायेगा और आशा है कि उससे २ $^{1}/_{2}$ वर्षसे बाद उत्पादन आरम्भ होगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह कारखाना किसी विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा ; यदि हां, तो वह देश कौन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : यह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बनाया जायेगा। निस्सन्देह, हमें कुछ मशीन विदेशों से मंगानी होंगी, परन्तु कहां से मशीन मिलेगी वह उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर निर्भर होगा।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस कारखाने में कितना धन लगाया जायेगा और कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : पहिली बार, प्रति वर्ष १, ००० मशीनें बनाई जायेंगी जिसके लिये ७.५० लाख रु० के विनियोग की आवश्यकता होगी और इसमें से १.७५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा होगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उस कारखाने की रोज़गार-संभाव्यता कितनी होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : आरम्भ में, लगभग ३,००० व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। उत्पादन के दुगने होने पर, आशा है कि इसमें ६,५०० व्यक्तियों को काम मिलेगा।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या केरल में इस कारखाने की स्थापना के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी नहीं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : विदेशी विनियम भी प्राप्त किया जा रहा है, वह रूसी पेमेंट वेसिस पर होगा या दूसरी तरह का होगा ? किस फर्म से कौलेबोरेशन किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि अंत में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार ही वह स्थान निर्धारित होगा जहां से हम मशीन आयात करेंगे।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : क्या इस संयंत्र के बारे में जापान से टेक्निकल जानकारों को बुलाया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां, आवश्यक टेक्निकल जानकारों को बुलाया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या क्राइटीरिया रखा गया स्टेट सिलैक्ट करना का ? जहां आप एलोकेट कर रहे हैं, उसके लिये आपने क्या क्राइटीरिया रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो सिलैकशन हो गया। अगर तय किया जाना होता तब क्राइटीरिया की बात उठती।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या प्रचलित किस्म की मशीनें बनाई जायेंगी या कुछ विशेषीकरण भी होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : समतल छिद्रण मशीनें, अरीय करने, उन्पादन जिग-छिद्रण जिग छिद्रण मशीनें और विशेष फार्म के लिये मशीनें नहीं बनाई जायेंगी।

†**श्री मणियांगाडन** : क्या स्थापित होने वाले कारखाने में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां, सभी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अभी तो, परियोजना स्वीकृत हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उदारतापूर्वक लाइसेन्स देने की नीति

†*५३८ **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मुरारका :
श्री बूटा सिंह
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह नये उपक्रमों की उदारतापूर्वक लाइसेंस देने की नीति अपनाये ताकि देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके ; और

(ख) क्या इस मामले पर विचार करने का निर्णय किया जा चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार की औद्योगिक लाइसेन्स देने की नीति सम्बन्धी अनेक सुझाव समय समय पर केन्द्रीय उद्योग परामर्शदाता परिषद् भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल फैड्रेशन तथा अन्य ऐसे निकायों द्वारा दिये गये हैं। सरकार अपनी लाइसेंस नीति बनाते समय जिसका समय समय पर पुनरीक्षण होता है, एसे सुझावों पर उचित ध्यान देती है ।

श्री यशपाल सिंह : इस रेस्ट्रिक्टिड पालिसी की वजह से हमारे व्यापार में कितना नुक्सान हुआ है ?

श्री कानूनगो : नुकसान तो कुछ नहीं हुआ । आगे जो बढ़ना था, उतनी आगे हम इतनी जल्दी नहीं बढ़ सके ।

श्री यशपाल सिंह : कब तक आप इसे लिबरलाइज करेंगे ?

श्री कानूनगो : बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम लिबरलाइज भी करते हैं । हर छः महीने में इसकी जांच की जाती है और कभी लिबरलाइज किया जाता है, कभी किसी को रोका जाता है, जहां कैपेसिटी हो गई है, वहां लिबरलाइज करने की जरूरत होती है तो वैसे भी हम करते हैं । यह हर छः महीने में होता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : लाइसेंसिंग पालिसी का एलान १ अप्रैल को होने वाला है । क्या आप लिबरलाइजेशन के सम्बन्ध में अभी जांच कर रहे हैं, यदि हां तो क्या सिफारिशें की हैं, उस समिति ने?

श्री कानूनगो : १ अप्रैल को जो होता है वह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग पालिसी के बारे में होता है । यह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का सवाल है । यह अप्रैल में किया जाता है लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : औद्योगिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से क्या वे लाइसेंस देते समय इस बात की जांच करते हैं कि लाइसेंसधारी के और कितने उद्योग हैं ? क्या सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई लाइसेंस किसी अन्य पार्टी को दिया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो**: जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच की जाती है कि कहीं भी उत्पादन में एकाधिकार न हो। जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है, उसकी अनुमति नहीं है। ऐसा करना दण्डनीय है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: लाइसेंस देने से पहले किन मंत्रालयों से परामर्श किया जाता है और साधारणतया इसमें कितना समय लगता है ?

†**श्री कानूनगो**: यह परियोजनाओं पर निर्भर है। लाइसेन्स देने वाली समिति में अनेक मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। विद्युत् परिवहन तथा विदेशी मुद्रा के बारे में संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया जाता है। साधारणतया, एक मामले को चार मास से अधिक नहीं लगते।

श्री तुलसी दास जाधव: मैं जानना चाहता हूं कि लाइसेंसिस देने में क्या कोई प्रोपोरशन का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रान्त में कम और किस में ज्यादा।

श्री कानूनगो: जब डिसैन्ट्रलाइजेशन होता है तो देखा जाता है कि किसी एक जगह ज्यादा कैपेसिटी न हो जाये। उसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: क्या समय समय पर यह जांच की जाती है कि जिन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये थे उन्होंने कितने लाइसेंसों का प्रयोग नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे कितने मामलों का पता लगा है ?

†**श्री रंगा**: क्या कार्यवाही की गई है या सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

†**श्री कानूनगो**: समय समय पर जांच की जाती है। और जहां कहीं कार्यवाही नहीं की गई है, वहां लाइसेंस रद्द कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, १९६२ में ४२० से अधिक लाइसेंस रद्द किये गये हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन**: महलानोविस समिति की पुष्टि अप्राप्त रिपोर्ट से, जो अखबारों में छपी है, प्रतीत होता है कि कुछ उद्योगपतियों, १० या २० जिनके पास पहिले ४०० लाइसेंस थे अब ६०० या ७०० लाइसेंस हैं। क्या सरकार पुष्टि करती है कि यह प्रवृत्ति सच है ? यदि हां, तो उद्योगों का यह केन्द्रीकरण कैसे हो रहा है बशर्ते कि उन्होंने जो कहा है अर्थात्, कि इसकी जांच की जाती है कि एक व्यक्ति के पास कितने लाइसेंस हैं, क्या स्थिति है, आदि, सच है ?

†**श्री कानूनगो**: हमें महलानोविस समिति की रिपोर्ट नहीं मिली है और हमें पता नहीं है कि यह पेश कर दी गई है या नहीं। जहां तक क्षमता के केन्द्रित होने का प्रश्न है, हम अधिकतर सन्तुष्ट हैं कि कोई एकाधिकार की प्रवृत्ति नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से सीमेंट जैसे कुछ उद्योगों में कुछ दलों में अधिक क्षमता है।

श्री बड़े: क्या यह बात सच है कि जो लाइसेंस रिवोक किये गये हैं या जिन्होंने अब तक इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं की है उन्हें रेडटैपिज्म की वजह से बहुत तकलीफ होती है और उन्होंने लाइसेंस वापस दे दिये हैं क्योंकि शासन की तरफ से जवाब देने में और फारेन एक्सचेंज के बारे में काफी विलम्ब होता है ?

श्री कानूनगो: दिक्कत तो है फारेन एक्सचेंज की और दूसरी चीजों की। लेकिन जो लाइसेंस कैंसेल किये गये हैं वह इस सब को सोच विचार कर किये गये हैं। उन्होंने काफी एफर्टस् नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बेरवा कोटा : लाइसेंस देने के लिये गवर्नमेंट ने क्या कोई फीस भी रखी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कानूनगो : फीस नहीं है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या लाइसेंस देने से पहिले विदेशी मुद्रा की उपलब्धता या अन्यथा बात का ध्यान रखा जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : कभी यह किया जाता है । परन्तु, फिर प्राप्त विदेशी मुद्रा की बात अनिश्चित रहती है ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या सराकार ने इसकी जांच की है कि अधिक ढील की यह मांग उन कुछ चुने हुए व्यक्तियों की मांग है जो देश में अधिकतर लाइसेन्स स्वयं लेना चाहते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । प्राय: फैड्रेशनों तथा वाणिज्य मण्डलों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : क्या उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जो विदेशी सहयोग तथा पूंजी का सहयोग करते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : अनावश्यक देर तथा लालफीतावाद समाप्त करने के लिए जिनसे लाइसेन्सधारियों को बड़ी कठिनाई होती है, प्रक्रिया में क्या सुधार किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इसमें अधिक कठिनाई है । परन्तु हम प्रक्रियाओं का निरन्तर पुनरीक्षण कर रहे हैं और मेरा विचार कि हम वहां आ गये हैं जहां इसे सर्वोत्तम क्षमता में रख दिया गया है । जैसा कि मैं ने कहा है, साधारणतया इसमें चार मास से अधिक नहीं लगने चाहियें ।

ट्रकों का आयात

+

†*५३९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान तथा अन्य देशों से भारी लागत पर ट्रकों का आयात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६२–६३ में कितने ट्रकों का आयात किया गया था तथा १९६३-६४ में कितने ट्रक आयात किये जा रहे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** (क) और (ख). इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत स्वदेशी निर्माताओं को निर्मित रूप में ट्रकों का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती । स्वदेशी निर्माताओं को प्रत्येक के निश्चित निर्माण प्रोग्राम के अनुसार ट्रकों के पुर्जों का आयात करने की अनुमति है । वे जापान से कोई पुर्जे आयात नहीं कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि निर्मित रूप में किसी भी ट्रक का आयात नहीं करने दिया जाता, परन्तु कुछ समय पहिले अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि जापान से २,००० ट्रक आयात किये जा रहे हैं। क्या प्रेस समाचार सच है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या समाचारपत्र के समाचार पर अधिक विश्वास करेंगे या माननीय मंत्री जी के कथन पर ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : यह उत्तर इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले निर्माताओं के बारे में है। स्पष्ट है कि माननीय सदस्य प्रतिरक्षा कार्य के लिए आयात के प्रोग्राम का उल्लेख कर रहे हैं। वह मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्री जी ने अभी कहा था पुर्जे जापान और अन्य देशों से आयात किये जा रहे हैं। इन पुर्जों के आयात पर कुल कितना व्यय हुआ है और यह आयात कब तक चलेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं ने हाल में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में ये आंकड़े दिये थे। और मुझे खेद है कि अभी मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : श्रीमान माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने वे आंकड़े कुछ ही दिन पहिले बताये थे। माननीय सदस्य उन्हें देख लें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उन्होंने वे आंकड़े किस तारीख को बताये थे। मैं उन आंकड़ों के लिए समूचा पुस्तकालय नहीं देख सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे आंकड़े हाल में ही दिये गये हैं। उनका पता लगाना माननीय सदस्य का काम है।

श्री तुलसीदास जाधव : अपने देश में कितने ट्रक्स तैयार होते हैं और कितने की जरूरत है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जहां तक ट्रकों का संबंध है, चार प्रकार के ट्रक बनाये जा रहे हैं और १९६२ में टेल्को ने १२,१९६, हिन्दुस्तान मोटर्स ने, ४,८७५, प्रीमीयर आटोमोबाइल्स ने २,८३५ और अशोक लेलैण्ड ने ५,२८६ ट्रक बनाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आवश्यकता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं यह नहीं कह सकता विशेषकर इस कारण से कि टेल्को उत्पादन प्रतिरक्षा के लिए बदला जा रहा है। यदि ऐसा न होता, तो इससे आवश्यकता काफी सीमा तक पूरी हो जाती।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि आयात की कठिनाइयों के कारण कुछ उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करने में भारी कठिनाई हो रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ट्रक बनाने में ?

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : हां; जैसे हिन्दुस्तान मोटर्स शिकायत कर रहे हैं कि वे पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर सकते और इससे मजदूरों को भी परेशानी हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ट्रक निर्माण के संबंध में नहीं ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : इस बात का ध्यान रखकर कि मोटर गाड़ी के उत्पादन के बारे में भारत सरकार की नीति पहिले ही घोषित की जा चुकी है, इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का उत्तर यह है कि उन्हें ऐसे किसी आयात के बारे में विदित नहीं है---यहां तक कि यदि ऐसा है, हो सकता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय आयात कर रहा हो—क्या हम यह समझे कि दोनों मंत्रालयों में कोई मेल जोल नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : एक औचित्य के प्रश्न पर । हम सदैव सुनते हैं कि एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से मेल जोल है। परन्तु एक मंत्री कहते हैं कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विशिष्ट अनुपूरक प्रश्न, नियम संख्या ४३ के अन्तर्गत मंत्री महोदय से उस बारे में पूछा जा सकता है जिसके लिए वह उत्तरदायी हैं।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा के लिये जिस तरह के ट्रकों की जरूरत है वैसे देश में मैनुफैक्चर होते हैं या नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : टेल्को ट्रक्स डिफेन्स परपजेज के लिये दिये गये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हजारों ट्रक्स का आर्डर दिया गया था और वह ट्रक्स अभी कारखाने में ही पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि वह ट्रक्स डिफेन्स विभाग ने अभी नहीं लिये ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या मंत्री यह समझते हैं या नहीं समझते कि भारत में अनेक प्रकार के ट्रक बनाये जा रहे हैं और बहुत कम मामलों में उनका मूल्य अधिक होता है ? क्या ट्रक निर्माण उद्योग को वैज्ञानिक बनाने की कोई बात उनके दिमाग में है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम उत्पादन में सदैव लाभप्रद आकार का ध्यान रखते हैं। परन्तु जहां तक ट्रकों का संबंध है, मुझे बताया गया है कि २०,००० से २५,००० ट्रक का लाभप्रद यूनिट होगा और यह सीमा लगभग सभी निर्माताओं द्वारा अशोक लेलैण्ड को छोड़कर प्राप्त की जा रही है। अशोक लेलैण्ड भारी गाड़ी बनाते हैं जिसके लिए १०,००० से १५,००० ट्रकों का यूनिट भी लाभप्रद होगा। ये पहिले ही स्थापित हो गये हैं। अतः हम उनका विस्तार उस सीमा तक करने का प्रयास कर रहे हैं जहां इन वस्तुओं का उत्पादन करना लाभप्रद हो।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि ट्रक्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या सरकार यह सोचती है कि पब्लिक सेक्टर में कोई ट्रक फैक्टरी बनाई जाय, और बहुत जल्दी बनाई जाय ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है कि ट्रक बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई परियोजना बनाई जाये।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष में कितने ट्रक चल रहे हैं और उनकी तुलना में कितने परमिट हैं, और कितने की और आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेम्बर साहब सवाल को ज्यादा खोल देते हैं। मुझे उनको रोकने में अफसोस होता है लेकिन यह सवाल बहुत वाइड है।

मशीनरी तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

†*५४०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ तथा १९६३ में अब तक भारत से कितने मूल्य की मशीनरी तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात हुआ;

(ख) क्या देश की इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता का अनुमान लगाया गया है और क्या चालू वर्ष में इसके बढ़ने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार तथा किन देशों को और किन वस्तुओं के लिए ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६२ में निम्न निर्यात हुआ:—

मशीन (बिजली की मशीनों को छोड़ कर)	२.३८ करोड़ रु०
बिजली की मशीनों सहित इंजिनीयरी का अन्य सामान	८.६२ करोड़ रु०
योग	११.०० करोड़ रु०

यह पहिले वर्ष से लगभग २० प्रतिशत अधिक था।

(ख) विभिन्न इंजिनीयरी वस्तुओं की निर्यात संभाव्यता निरन्तर निर्धारित की जा रही है। १९६३ में हो सकता है कि निर्यात १५ से १६ करोड़ रु० तक हो।

(ग) जहां तक इंजिनीयरी वस्तुओं का संबंध है, विशेषकर लोहा तथा इस्पात की बनी वस्तुयें, रेल पटरी के फिटिंग्ज, डीजल के इंजन, विद्युत् चालित नल, यात्री गाड़ियां, मोटरों के पुर्जे, चीनी कारखाने की मशीन, कपड़ा बनाने की मशीन और पुर्जे, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, स्टेनलेस स्टील की वस्तुयें एवं अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं का संबंध है, चालू वर्ष में सभी का निर्यात बढ़ने की आशा है। विशेषकर पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका और किसी सीमा तक अमरीका, ब्रिटेन और अन्य प्रगतिशील देशों को निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : आगामी दो वर्षों में हमारी निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए और क्या प्रोत्साहन देने या किस्म नियन्त्रण की कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इस वर्तमान कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें इन उत्पादों के उपभोक्ताओं का पता लगाने में होती है। किस्म नियन्त्रण बहुत महत्वपूर्ण है। अतः यह विचार है कि वर्तमान वर्ष में उत्पादन की अवस्था से ही अधिकतर वस्तुयें इसके अन्तर्गत हों, मूल्य प्रोत्साहन के लिए यह पर्याप्त है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह सरकार को बताया गया था कि कुछ उद्योगों में जो काफी मात्रा में निर्यात कर सके, ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें अपेक्षतया थोड़ी

†मूल अंग्रेजी में

मात्रा में विदेशी मुद्रा नहीं दी जा सकी और यदि हां, तो इन उद्योगों के बारे में सरकार का क्या करने का विचार है जो उससे निर्यात करके उससे कहीं अधिक अर्जन कर सकते हैं जितनी कि आप उन्हें विदेशी मुद्रा दें।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं नहीं जानता कि विदेशी मुद्रा की अनोपलब्धता क्या है। मैं नहीं समझता। क्योंकि वे निर्यात के आर्डरों के लिए पुर्जों के लिए पहिले ही लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हैं। जहां तक निर्यात के लिए पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा का संबंध है, उसमें कोई अनोपलब्धता नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देश में कुछ उद्योगों को इंजिनीयरी सामान तथा मशीनें बनाने के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं। उन्हें अपने उद्योगों के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिलती और इस अभाव के कारण, वे पूर्ण उत्पादन नहीं कर पाते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक उलझा हुआ प्रश्न है। इंजिनीयरी वस्तुओं का एक क्षेत्र से निर्यात किये जाने के लिए मैं सभी उद्योगों और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को सामान्य स्तर पर रखना नहीं चाहूंगा।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मांग अविकसित देशों की है या विकसित देशों की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : साधारण रूप में वस्तुयें दो भागों में विभाजित हैं। जो सस्ती और भारी संरचनायें हैं, वे वहां अधिकतम अनुकूल सिद्ध होती हैं जहां परिवहन की सुविधायें हैं, जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देश। सिलाई की मशीनों, छोटे पुर्जों, औजारों और मशीनी औजारों जैसी वस्तुओं का सवाल है, अमरीका और जर्मनी में अच्छी मांग है।

†**श्री काशीराम गुप्त** : इन बाजारों में हमें किन देशों से स्पर्धा करनी पड़ती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रायः सभी देशों से स्पर्धा करनी पड़ती है ?

†**डा० क० ल० राव** : किन राज्यों में इंजिनीयरी वस्तुयें निर्मित होती है और प्रत्येक राज्य में कितनी निर्मित होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आजकल अधिकतर निर्यात पूर्वी प्रदेश से होता है और कलकत्ता में अधिकतर इंजिनीयरी उद्योग स्थापित हैं। अब, दक्षिण भारत के उत्पादों की उत्तम किस्म और मद्रास प्रदेश में निर्यात कम होना देखकर हमने उस स्थान और समूचे दक्षिण क्षेत्र के बड़े बड़े उद्योगपतियों की एक समिति बनाई है जो यह देखेगी कि उत्तम किस्म के उत्पादों का निर्यात हो।

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रश्न के भाग (क) के संबंध में कितनी अधिष्ठापित निर्यात क्षमता बेकार पड़ी है और उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि अनुपयुक्त क्षमता का इससे कोई संबंध है। फिर क्षमता का प्रयोग इस बात पर भी निर्भर होता है कि वे उद्योग कैसे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि मैशिनरी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो बाहर भेजे जाते हैं उन को स्टेंडरडाइज नहीं किया जाता । क्या सरकार विचार कर रही है कि उन को एक्सपोर्ट करने के पहले किसी लैबोरेटरी द्वारा स्टेंडरडाइज करा दिया जाए ?

श्री मनुभाई शाह : इसी क्वालिटी कंट्रोल के लिए मैं जल्दी एक बिल ला रहा हूं । और जैसा मैं ने कहा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक कमेटी स्थापित की गई है जो इन सारे प्रोडक्ट्स को स्टेंडरडाइज करे ।

श्री बड़े : किसी लेबोरेटरी से इन को स्टेंडरडाइज कराने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं ।

श्री बड़े: मेरा ख्याल यह था कि वह किसी लेबोरेटरी से इस को स्टेंडरडाइज कराने का विचार कर रहे हैं या नहीं ।

श्री मनुभाई शाह: लेबारेटरी यह काम नहीं करती । वर्कशाप में ही इस का टैस्टिंग होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट निकले वह अच्छा निकले, खराब प्रोडक्ट बाहर न जाए । और उस के बाद बाहर भेजे जाने वाले माल का प्रिशिपमेंट टैस्ट किया जाए ।

†**श्री भागवत झा आजाद:** क्या हम विदेशी मुद्रा की खोज में यह देखने के लिए पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं कि १० करोड़ रु० का निर्यात हमारी अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह:** नहीं, हम इस का कोई ध्यान नहीं रखते हैं । हम वह मानते हैं जो प्रधान मंत्री ने बार बार कहा है, अर्थात् देश में उपभोग को रोक कर भी हमें निर्यात करना है । दुर्भाग्यवश, लगभग १५ करोड़ के ये आंकड़े कहीं नहीं हैं क्योंकि देश का इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन ५०० करोड़ रु० से अधिक का है ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*५४२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने की चौथी धमन भट्टी स्थापित करने का विचार है जिस से देशी साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा इस समय मामला किस स्थिति में है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). जी हां । विस्तार योजना के अन्तर्गत रूरकेला में प्रति दिन १,५०० टन लोहे की क्षमता वाली चौथी धमन भट्टी स्थापित करने का प्रस्ताव है । पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म का टेंडर स्वीकार करने का निर्णय किया गया है जिस में देशी साधनों के अधिकतम उपयोग करने को कहा गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह टेंडर कब स्वीकार किया गया था, काम कब आरम्भ होगा और इस काम पर कुल व्यय कितना होने वाला है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** यह रूरकेला परियोजना की विस्तार योजना का भाग है । अन्तिम क्रयादेश अभी तक नहीं दिये गये हैं क्योंकि इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी

---

†मूल अंग्रेजी में

जर्मनी की साख अभी पूरी नहीं हुई है। आशा है कि शीघ्र ही यह हो जाएगा और तभी कोई निश्चित आदेश दिया जा सकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस इस्पात संयंत्र में अन्य धमन भट्टियों का कार्य कैसा है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस कार्य से मंत्रालय को सन्तोष रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: आरम्भ में कुछ कठिनाइयां थीं और काम रुक भी गया था। यदि माननीय सदस्य की रुचि हो तो मैं रूरकेला में धमन भट्टियों के कार्यकरण के बारे में आंकड़े दे सकता हूं। दिसम्बर १९६२ में कार्यपूर्ति १०५ प्रतिशत थी ; जनवरी १९६३ में यह १०६ प्रतिशत थी, फरवरी १९६३ में ११० प्रतिशत और मार्च के प्रथम पक्ष में यह ११५ प्रतिशत तक पहुंच गई।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह वही जर्मन समवाय है जो कारखाने के नये विस्तार में काम करेगा और क्या वे आस्थागित भुगतान पर ऋण देने को तैयार हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विस्तार कार्यक्रम को पश्चिम जर्मनी उधार से चलाया जायेगा। जहां तक फर्म का सम्बन्ध है, क्योंकि अन्तिम आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं मैं यह नहीं बता सकता कि कौन सी फर्म है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कहा गया है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र कार्यक्रम के पीछे है। क्या मैं जान सकता हूं कि कहां तक पीछे है और इसे कार्यक्रम के बराबर लाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : क्या उन का अभिप्राय विस्तार कार्यक्रम से है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन का अभिप्राय विस्तार से है अथवा उत्पादन से ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उत्पादन और विस्तार दोनों ही।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उत्पादन के आंकड़े मैं ने अभी अभी बताये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि नवीनतम उत्पादन एक सौ प्रतिशत से अधिक है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यही मैं ने कहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विस्तार का क्या हुआ है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : विस्तार के बारे में मैं कह ही चुका हूं कि निश्चित आदेश देने के प्रयोजन के लिये हम जर्मन उधार के शोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस के बाद ही हम उसे अन्तिम रूप दे पायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं कार्यक्रम के बारे में कह रहा था कार्यक्रम का क्या हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले भी मैं ने इस प्रश्न को आज्ञा नहीं दी थी। उस का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये था ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे खेद है ।

औषधियों का उत्पादन

†

†*५४३. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेषज तथा औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता लाने के सम्बन्ध में भारत में कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) देश की वर्तमान आवश्यकतायें क्या हैं तथा देश की निर्माण इकाइयों को अपनी पूर्ण क्षमता से इस का उत्पादन करने में कितना समय लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) औषध-निर्माण और भेषज उद्योग द्वारा दिसम्बर, १९६२ तक की गई प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। सभी अनुज्ञप्त योजनाओं के तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और देश द्वारा अपेक्षित लगभग सभी अनिवार्य भेषजों का बुनियादी प्रक्रमों से उत्पादन किया जायेगा । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०१९/६३]**

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से पता चलता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा अधिष्ठापित क्षमता के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। क्या मैं जान सकता हूं कि अधिष्ठापित क्षमता को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिये क्या उपाए किए गए हैं ?

†**श्री कानूनगो** : अनुज्ञप्त क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता की विशेष मात्रा है। ज्यों ज्यों मांग बढ़ेगी, अधिष्ठापित क्षमता भी बढ़ेगी, मध्यवर्ती और पूर्ववर्ती उपलब्ध हैं।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि ऐसी शिकायतें आई हैं कि स्तर से नीचे के भेषज बाजार में और हस्पतालों को दिये जाते हैं और यदि हां तो यह देखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि निचले स्तर के भेषज हस्पतालों और बाजारों में संभरित न किये जायें।

†**श्री कानूनगो** : यहाँ हम उन भेषज निर्माताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो उद्योग विनियम अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त हैं। और भी निर्माता हो सकते हैं जो अनुज्ञप्त नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारे पास एक बहुत ही कठोर भेषज नियंत्रण अधिनियम और भेषज निरीक्षण संगठन हैं यह करना उन का काम है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या भेषजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये तीसरी योजना में कोई क्रमगत कार्यक्रम है और यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मुख्य उत्तर में मैं ने कहा है कि ऐसा है।

†**डा० कोलाको** : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में बनाये जाने वाले भेषजों के गुणदोष और उच्च स्तर का निरीक्षण और नियंत्रण कैसे किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त संयंत्रों में से अधिकतर में प्रत्येक प्रक्रम पर आन्तरिक गुणदोष नियंत्रण संगठन होता है। इसलिये मेरा पूर्वानुमान है कि गुणदोष सर्वोत्तम से नीचे नहीं होगा।

†**श्री रा० गि०** दुबे : आवश्यकताओं और संभरण का हिसाब लगाते समय क्या आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों के भेषजों को भी ध्यान में रखा जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : जैसे जैसे मांगें आती हैं हम उन्हें लेते हैं।

†**डा० गायतोंडे** : भेषजों के आयात के लिये इस समय कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार उन वैद्यों से सहयोग ले रही है जो परम्परा से इस जड़ी-बूटियों के काम को करते आये हैं और इनका धन्धा भी करते हैं ?

श्री कानूनगो : मैं समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार उन वैद्यों से सहयोग ले रही है जो सदियों और पुश्तों से ये धंधा करते चले आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं ।

श्री कानूनगो: यह तो फारमेस्टिकल ड्रग्स का सवाल है । वैद्यक और यूनानी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : दस लाख रुपये से ज्यादा की दवाइयां स्मौल पौक्स को रोकने के लिए बाहर से मंगाई गई हैं जबकि भारत में ही ऐसी औषधियां उपलब्ध हो सकती हैं जो कि स्मौल पौक्स को रोक सकती हैं । और ऐसी हालत में क्या कारण है कि आपने बाहर से यह दवाइयां मंगाईं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा सवाल है ।

†**श्री त्यागी** : भेषज क्योंकि समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता है क्या सरकार ने लाभों पर प्रतिशत उपरिसीमा लागू की है जिस से अधिक लाभ पर निर्माता अपनी वस्तुओं को बाजार में न बेच सकें ?

†**श्री कानूनगो** : हां, वितरण की वर्तमान व्यवस्था के अधीन विविध उत्पादों पर निर्भर करते हुए निर्माण के समय ही भेषजों के मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं ।

†**श्री त्यागी** : लाभ की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : यह सदा एक जैसी नहीं होती ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सरकारी कारखानों पर भी लागू होती है ?

†**श्री कानूनगो** : हां, होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को और प्रश्न करना है तो उन्हें मेरी ओर देखना होगा कि मैं अनुमति देता हूं या नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आपकी ओर वह कभी नहीं देखते ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या सरकार ऐसे उपायों पर भी विचार कर रही है कि औषधियों के सेवन के बिना ही रोगों से निवृत्ति हो सके ?

श्री कानूनगो : जी हां, इसके लिये भी जांच पड़ताल हो रही है ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : भेषज निर्माण की भारी लागत को देखते हुये, अर्थात् बुनियादी भेषजों की लागत से १४०० प्रतिशत अधिक, क्या सरकार देश की बुनियादी भेषजों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण के लिये रूसी सहयोग प्राप्त करने के बारे में सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : हां। हम विभिन्न भेषजों के लिये चार संयंत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। वे पूर्णतः रूसी सहकारिता पर आधारित हैं।

†श्री रा० शि० पाण्डेय : कितने सार्थों ने विदेशी सहकारिता से देशी भेषजों का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस मांगे हैं और किन को लाइसेंस नहीं दिये गये थे ?

†श्री कानूनगो : इस समय तो मैं जानकारी नहीं दे सकता परन्तु प्रत्येक सप्ताह यह प्रकाशित की जाती है।

†श्री सोनावने : निरीक्षण दस्ते ने मिथ्या भेषज बनाने वाले कितने सार्थों का पता लगाया था तथा आन्तरिक गुणदोष नियंत्रण के लिये क्या संगठन है ?

†श्री कानूनगो : जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं कह चुका हूं कि प्रत्येक संयंत्र में प्रत्येक प्रक्रम पर नियंत्रण संगठन होता है।

†श्री सोनावने : संगठन क्या है ? कौन यह काम करता है ?

†श्री कानूनगो : निर्माण स्तर पर निर्माताओं का नियंत्रण संगठन है जिसका भेषज नियंत्रक द्वारा निरीक्षण होता है। भेषज नियंत्रक उसकी देखभाल करता है। पहले भाग के बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि स्पष्ट है कि यदि मिथ्या भेषजों का पता चल जाये तो वे रहेंगे ही नहीं।

†श्रीमती सावित्री निगम : महत्वपूर्ण औषधियों के घटिया और पुराने संभरण के कारण प्रायः होने वाली दुखद घटनाओं को देखते हुये क्या मैं जान सकती हूं कि क्या मंत्री महोदय औषधियों पर तिथि डालने को एक नियम बनाने की सोच रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : औषधियों के अवसायी होने की तिथियां निर्माताओं द्वारा सदा उन पर दी जाती हैं।

निर्यात व्यापार लक्ष्य

+

*५४४. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्यात के निर्धारित लक्ष्य के पूरा होने की संभावना नहीं है ;

(ख) क्या इसका अध्ययन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य का कितना प्रतिशत पूरा हो सका है ; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य पूरे न होने के क्या कारण हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से पांच वर्ष की अवधि में निर्यात से होने वाली आय का अनुमान ३,७०० करोड़ रु० से ३,८०० करोड़ रु० तक लगाया गया

†मूल अंग्रेजी में

है । तीसरी योजना के शुरू से लेकर जनवरी, १९६३ तक १,२३५ से १,२५० करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकेंगे या नहीं । तीसरी योजना में निर्यात के कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ?

निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम 'नोट ऑन एक्सपोर्ट प्रोमोशन' में बताये गये हैं ? यह नोट सदस्यों के लिये हाल में ही उपलब्ध किया गया है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह बात सही है कि भारत में जिन वस्तुओं को बनाया जाता है और उनको विदेश भेजा जाता है उन के प्रचार का विदेशों में उचित प्रबन्ध नहीं होता है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां यह सही है कि प्रचार करने के लिये जितनी तैयारी करनी चाहिए वह अभी नहीं हुई है और उसी कमी को पूरा करने की हमारी कोशिश है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सच है कि जो चीजें यहां से बाहर भेजते हैं उन के क्वालिटी कंट्रोल पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है जिसकी कि वजह से शिकायत होती है और उन की मांग में कमी आ जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : इस मैटर को मैंने अभी डील किया है । क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस साल से हमने शुरुआत की है और उन ४० प्रोड्क्ट्स को क्वालिटी कंट्रोल में ला चुके हैं । क्वालिटी कंट्रोल का बिल भी सदन के सामने बहुत जल्द आने वाला है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सरकार ने २ लाख जूट की बेल्स को इस साल बाहर भेजने को कहा है लेकिन चूंकि सरकार ने १५ रुपये बेल पर टैक्स लगा दिया है इसलिए बाहर हमारा जूट का सामान नहीं जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात तो नहीं है । जूट का सामान तो हमारा बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है । २० करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया कमाया है । जो नहीं जा रहा है तो वह रॉ कौटेन है । रॉ अलबत्ता हम बाहर नहीं जाने देना चाहते । इसके लिये बहुत से कंट्रीज की डिमांड थी । हमने ज्यादा से ज्यादा २ लाख जूट का निर्यात करने की परमिशन दी है ।

†**श्री इन्द्रजीत सिंह मल्होत्रा :** भारतीय वस्तुओं के लिये मंडी के रूप में कौन सा महाद्वीप सब से अधिक अनुकूल है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम सारे संसार से व्यापार कर रहे हैं । यह तो वस्तु पर निर्भर करता है । माननीय सदस्य बतायें कि वह किस वस्तु में रुचि रखते हैं ?

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सही नहीं है कि आयात की चीजों में भारी कटौती करने से हमारे निर्यात में फर्क पड़ा है, अगर यह सच है तो सरकार इस के बारे में क्या सोच रही है ?

श्री मनुभाई शाह : मुराद तो यह थी कि हम कुछ काटें लेकिन इस साल ५ करोड़ रुपये का इम्पोर्ट ज्यादा होगा शायद दस करोड़ तक भी हो जायें । अभी तो कुछ कटौती हुई नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया से व्यापार दल

†*५४५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया से व्यापार दल हाल ही में चालू पत्री वर्ष में, भारत द्वारा सम्भरित किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्यों के सम्बन्ध में बातचीत करने भारत आया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). भारत से चैकोस्लोवाकिया को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्यों के बारे में बातचीत करने के लिये चैकोस्लोवाकिया का दल अभी भारत नहीं पहुंचा है क्योंकि उसका कार्यक्रम मार्च, १९६३ के अन्त तक रुक गया है। रूमानिया से व्यापार दल भारत से रुमानिया को होने वाले लौह अयस्क के निर्यात के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये फरवरी, १९६३ में भारत पहुंचा था। बातचीत अभी तक चल रही है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समझौते से पहले भी चैकोस्लोवाकिया को लौह अयस्क का निर्यात किया गया था; यदि हाँ, तो किस मूल्य पर ? मूल्यों में क्या तुलना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल्यों में सदन की अधिक रूचि नहीं होगी परन्तु मात्रा लगभग ७ से ८ लाख टन थी ।

श्री० म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि आयरन ओर के लिए रूमानियन टीम के लिए जो ऑफ़र दिया गया है क्या वह दूसरे कंट्रीज़ के रेट से कुछ ऊंचा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनको फेवरेबुल टर्म्स पर ऑफ़र दिया जाये ?

श्री मनुभाई शाह : रेट के बारे में मैंने बहुत दफ़े कहा है कि यह एक डैलीकेट मामला है और यह देखना पड़ता है कि कितना माल कौन लेता है और कितने साल तक लेता है, इन सब चीजों पर रेट डिपेंड करता है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये कुछ मशीनें प्राप्त करने के लिए चैकोस्लोवाकिया का मैंगनीज अयस्क का संभरण करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या यह सच है कि कलकत्ता की एक फर्म को लगातार २ करोड़ रुपये के मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये पहले ही परमिट दिया जा चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई विशेष ठेका नहीं है । हम मैंगनीज अयस्क बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं जोकि पूर्व यूरोपीय देशों की पणन सूची में है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह केवल लौह अयस्क के बारे में ही है अथवा अन्य वस्तुओं के लिये भी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मुख्यत: लौह अयस्क के लिए ही है परन्तु अन्य बातों के साथ भी इसका सम्बन्ध रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल लौह अयस्क के बारे में है ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चैकोस्लोवाकिया और रुमानिया के साथ इस बात-चीत में सरकार निम्न श्रेणी के लौह अयस्क पर भी, जिस में लोहे की मात्रा ६० प्रतिशत से कम होती है, विचार करेगी अथवा उसे भी समझौते में सम्मिलित कर लिया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : अयस्क की सभी श्रेणियाँ चलती हैं । हमारा प्रयास तो यही है कि निम्न श्रेणी का अयस्क भी बेचा जायें परन्तु संसार की बड़ी बड़ी मंडियाँ चुन चुन कर चीजें लेती हैं इसलिये हमें वही बेचना पड़ता है जिसके कि अन्य प्रतियोगियों द्वारा बेचे जाने की सम्भावना होती है।

ईरान से मेवे का आयात

+

†*५४७. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में ही मेवे के आयात के लिये ईरान सरकार के साथ एक द्विपक्षीय करार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस करार के अधीन कितने मूल्य के मेवे के आयात की व्यवस्था है ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में आयात लाइसेंस के लिए अभ्यावेदन मिले हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं । चालू भारत-ईरान व्यापार करार जोकि एक वर्ष के लिये मान्य है , तेहरान में अभी अगस्त, १९६२ में ही किया गया था मेवा उन वस्तुओं में से एक है जो इस करार में उल्लिखित हैं ।

(ख) और (ग). करार के अधीन होने वाले आयात के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा । अभ्यावेदन समय समय पर लिये जा रहे हैं।

†श्री विश्राम प्रसाद : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि मेवे करार की मदों में से एक हैं क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य मेवे कौन से हैं ? जिन के लिये यह करार किया गया था ?

†श्री मनुभाई शाह : इंजीनियरिंग उत्पाद, कपड़ा, बनावटी रेशमी कपड़ा, मशीनरी, रासायन, रंग-रोगन आदि

†श्री विश्राम प्रसाद : हम कितना निर्यात करेंगे और देश में कितना आयात होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कोई रुपया करार या ऐसी ही कोई और बात है तो ऐसा कुछ नहीं है । भाग्यवश समझिये या कुछ और, भुगतान शेष हमारे

†मूल अंग्रेजी में

अनुकूल है । जहाँ तक व्यापार वस्तुओं का सम्बन्ध है, अशोधित तेल अधिकतर ईरान से खरीदा जाता है और इसलिये जहाँ तक तेल का सम्बन्ध है, सन्तुलन बहुत प्रतिकूल है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि ड्राई फ्रूट्स लाने के लिए ईरान से, अकेली एक फर्म को साढ़े बारह लाख रुपये का लाइसेंस दिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि ड्राई फ्रूट्स में प्राफिट बहुत है और उसके द्वारा हम और एक्सपोर्ट की इमदाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत सी क्वांटिटी में से थोड़ी सी क्वांटिटी इस तरह से भी बाँटी गई है

व्यापार तथा निर्यात-गृह

+

†*५४८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापारियों ने बहुत से अफ्रीकी तथा एशियाई देशों में कोई व्यापार तथा निर्यातगृह स्थापित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का संगठन न होने के कारण भारत के निर्यात पर कितना असर पड़ा है ; और

(ग) उन देशों में इस प्रकार के संगठन स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जबकि भारतीय व्यापार गृहों ने वस्त्रों जैसी परम्परागत वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिये बहुत से अफ्रीकी अथवा एशियाई देशों में शाखायें या सहयोगी संस्थायें स्थापित की हैं, इंजीनियरिंग वस्तुओं आदि जैसी हमारी नई निर्यात मदों के सम्बन्ध में ऐसा ही प्रबन्ध अभी उचित रूप से विकसित नहीं हो पाया है ।

(ख) विदेशों में ऐसे व्यापार गृहों के न होने के कारण उत्पन्न होने वाली रुकावटों में मंडियों के बारे में गूढ़ ज्ञान की कमी और विक्रय हो जाने के बाद की सेवाओं में कमी सम्मिलित हैं ।

(ग) सरकार भारतीय व्यापारियों को विदेशों में व्यापार गृह खोलने के लिये प्रोत्साहित कर रही है और इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा योग्य मामलों में दी जा रही है । सरकार नई विपणन विकास निधि में से मार्केट अनुसंधान, पण्य अनुसंधान और क्षेत्र सर्वेक्षणों के किये जाने के लिये निर्यात सवर्द्धन परिषदों, पण्य बोर्डों तथा सक्षम निर्यात कों को पहले से अधिक सहायता देने पर भी विचार कर रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में इंजीनियरिंग वस्तुओं का प्रसार करने के लिये इस समय सरकार द्वारा सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रत्येक देश में अलग अलग हैं । अमरीका में एक फर्म ने टेलीवीजन के माध्यम का प्रयोग किया है । इंजीनियरिंग वस्तुओं के बारे में निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने अभी हाल में जो दौरा किया था उसमें उन्होंने इंग्लैंड और जर्मनी में देखा कि वे हमारे अपने उत्पादों का वहां व्यापक रूप से प्रसार करने के लिए कुछ चुनी हुई वाणिज्यिक पत्रिकाओं से काम ले रहे थे । वस्तुओं की विभिन्न प्रज़ातीय मदों को विदेशों में भेजे जाने के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद् उनकी अपनी भाषाओं में पत्रिकायें भी निकाल रही हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वैयक्तिक व्यापारियों को विदेशी मंडियों का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी जायेगी अथवा वे सरकारी अभिकरणों द्वारा जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि मैंने पहले ही सदन में बताया था, मार्केट अनुसधान, सर्वेक्षित क्षेत्रों में पण्य अनुसंधान इत्यादि निर्यात संवर्द्धन का मूलभूत आधार है । हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये बहुत शीघ्र एक संस्था भी खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह विश्व भर में भारतीय उत्पादों के लिये इन सभी गतिविधियों का पथ प्रदर्शन और समन्वय करेगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हू कि क्या इस समय दूतावासों के भवनों का उपयोग व्यापार गृहों के कार्यालयों के रूप में किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम उनका निर्माण कर रहे हैं । परन्तु बहुत सी कमियां हैं और हम वाणिज्यिक खंडों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तथा इस प्रकार के निकायों को अनुकालिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों द्वारा हम उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहते हैं ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन व्यापार गृहों ने पहले ही वहां अपने कार्यालय खोल लिये हैं उनको सरकार ने किसी सीमा तक सहायता दी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा यह है कि लगभग उन २५ कार्यालयों ने, जिनकी कि हमने चालू वर्ष में अभी तक अनुमति दी है, बहुत अधिक सक्षमता दिखाई है और इन कार्यालयों से जो परिणाम मिलते हैं उनका कुछ लगातार निर्धारण हमें मिल रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच है कि हमारी तमाम कोशिशशों के बावजूद इन देशों में ऐसी भावना फैली हुई है कि हमारे यहां का जो सामान वहां जाता है, वह विदेशी सामान के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं होता है ? यदि यह सच है तो इस दुर्भावना को मिटाने के लिये हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इसके बारे में हम अपने आप को बार बार कोसते रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि हम इस बारे में जागृत हैं । लेकिन उसको बहुत ज्यादा एगजेग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि हमारे निर्यात के न बढ़ने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि अफ्रीकी बाजार में हमारी वस्तुओं की मांग इस लिये नहीं बढ़ी है क्योंकि वहां हमारे व्यापार गृहों के पास मरम्मत करने की दुकानें नहीं हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे आशा है कि माननीय सदस्या सहमत होंगी कि यह केवल उन उत्पादों पर लागू होता है जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है । उस के लिये यह सच है कि बाद में

---

†मूल अंग्रेजी में

की जाने वाली सेवाओं को अभी दृढ़ रूप से नहीं चलाया गया है। यह इंजीनियरिंग संवर्द्धन परिषद् के प्रयासों में से एक है जिसने इस प्रयोजन के लिये नैरोबी, मोम्बासा और टंगानीका में तीन कार्यालय खोले हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार की नीति निर्यात की बहुविध पद्धतियों के अनुसार इन व्यापार गृहों के खोले जाने को प्रोत्साहन देना है अथवा सभी निर्यातों के लिये एक स्थान पर एक यह होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा ढंग फलमूलक है। हमारे पास कोई अधिक विदेशी मुद्रा नहीं है इसलिये हम यह प्रयत्न करते हैं कि एक ही प्रकार के सेवा केन्द्र का उपयोग परिषद् के सभी सदस्यों अथवा यथासंभव अधिक गृहों द्वारा किया जाये परन्तु इसी रीति से चलना सदा संभव नहीं होता। कुछ वैयक्तिक उत्पादों के लिये वैयक्तिक कार्यालयों और वर्कशापों की आवश्यकता होती है जिनकी हम अनुमति दे देते हैं।

रूई के मूल्य

+

†*५४६. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती जमुना देवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों द्वारा रखे जाने वाले रूई के स्टाकों पर से प्रतिबन्ध हटा लिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में स्थानीय रूप से पैदा की गई रूई का १० प्रतिशत खरीदने का प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को हटाने का उत्पादकों को मिलने वाले रूई के मूल्यों पर क्या असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) इस समय कपास के लाने ले जाने अथवा खरीदने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) यह तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रतिबन्ध गत वर्ष तब लगाये गये थे जबकि कपास की फसल अच्छी नहीं हुई थी और कपास की भारी कमी थी, और यह सब प्रतिबन्ध कुछ महीने पहले हटा लिये गये थे जब कि नई फसल की स्थिति उपयुक्त रूप से संतोषजनक देखी गयी थी।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या कपास के उत्पादनकर्ता के लिये किसी निम्नतम मूल्य की प्रत्याभूति (गारण्टी) दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : विभिन्न राज्यों के लिये परिवहन की इन सुविधाओं से उत्पादन को कहां तक प्रोत्साहन मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान मूल्यों के निम्नतम होने का तो प्रश्न ही नहीं है ।

†**श्री दे० शि० पाटिल** : भाग (क) के लिये दिये गये उत्तर से एक प्रश्न उठाकर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह प्रतिबन्ध क्यों और कब लगाये गये थे और वह क्यों हटा लिये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : गत वर्ष इस प्रतिबन्ध के लगने से पंजाब के कपास उत्पादकों को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्री मनुभाई शाह : बिल्कुल हानि नहीं उठानी पड़ी । वे आसमान पर जा रहे थे, उनको हम जमीन के नज़दीक लाये ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या यह सच है कि लम्बे रेशे वाली कपास की हमारी आवश्यकताओं का ४० से ५० प्रतिशत तक उत्पादन देश में ही होता है और क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी शेष आवश्यकताओं के लिये आयात की जाने वाली कपास में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: : विभिन्न प्रकार के रेशों की कपास आयात की जाती है और उच्च मध्यम रेश वाली तथा लम्बे रेश वाली कपास को आयात करने में कुल मिलाकर लगभग ६२ करोड़ रुपया व्यय होता है, इस कपास का ५० प्रतिशत से अधिक भाग अमेरिका के साथ किये गये पी०एल० ४८० समझौते के अधीन आता है जिसके लिये एक प्रकार से हमें सीधे ही विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी पड़ती शेष कपास संसार के अन्य राष्ट्रों से आती है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या कपास के चुनने के समय मुल्य की घोषणा करने की नीति के विरुद्ध अब सरकार का कपास बोने के मौसम के प्रारम्भ से पहले ही उसके निम्नतम तथा अधिकतम मूल्यों की घोषणा करने का विचार है, और यदि हां तो इस रीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: : गत वर्ष अधिकतम मूल्य फिर से निश्चित किया गया था और इस लिये अब इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । निम्नतम मूल्य के संबन्ध में इस मामले पर विचार किया जा रहा है कि हमें निम्नतम मूल्य कितना बड़ा देना चाहिये, यद्यपि निम्नतम मूल्य भी पिछले से पिछले वर्ष बड़ा दिया गया था ।

†**श्री सोनावने** : क्या निम्नतम मूल्य तथा अधिकतम मूल्य में भारी अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए, इस भारी अन्तर को कम करने के लिये अगले वर्ष कोई प्रयत्न किये जायेंगे अथवा कोई नीति निर्धारित की जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई भारी अन्तर नहीं ह, फिर भी, जहां तक निम्नतम मूल्य का सम्बन्ध है हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि रुई का मूल्य निर्धारित करने वाली कमेटी में एक भी काटन ग्रोअर नहीं है ?

श्री मनुभाई शाह : काटन ग्रोअर भी है, काटन मर्चेंट भी है, काटन यूजर भी है और सरकार भी है ।

---

†मूल अंग्रेजी

संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधि मंडल

+

†*५५१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य से तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी, १९६३ में भारत से रेलवे तथा संचार उपकरण खरीदने की संभावनाओं की जांच के लिये भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने, अपने भारत में ठहरने के समय के दौरान, भारत से संयुक्त अरब गणराज्य की रेल की पटरी संबंधी सामग्री, डिब्बे, दूरसंचार उपकरण आदि के निर्यात की संभावनाओं के संबंध में भारत सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों से बातचीत की थी । तथ्यान्वेषी रूप की इन चर्चाओं के परिणाम को इतना शीघ्र नहीं आंका जा सकता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हमारा जो इस देश के साथ पहला समझौता है उसके परिणामस्वरूप उस देश को कितनी मात्रा में माल निर्यात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पहले यह लगभग ११ करोड़ रुपये के मूल्य का था और नये समझौते के यह २० करोड़ रुपये के मूल्य का होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या हम उस देश से कुछ आयात भी करते हैं, और यदि हां, तो १९६१–६२ में उस देश से किये गये आयात की मात्रा कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** किस वस्तु का आयात ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हम उनसे कपास तथा अन्य वस्तु मंगाते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही अस्पष्ट है । यदि वह संयुक्त अरब गणराज्य से किये जाने वाले आयातों का उल्लेख कर रहे हैं, तो गत वर्ष में हम वहां से चावल, रोक फासफेट, मिश्री कपास तथा कुछ प्रकार के सूतों का आयात करते रहे हैं । इस वर्ष हम उस सूत को भी मंगाना बन्द कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं तो आयात की मात्रा जानना चाहता था ।

†**श्री मनुभाई शाह :** ११ करोड़ रुपये । यह एक एक समान आधार पर है । यह एक सन्तुलित व्यापार है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** रेल की पटरी संबंधी सामग्री के संभरण के संबंध में, क्या हमने संयुक्त अरब गणराज्य सरकार को एक निश्चित आश्वासन दे दिया है, कि हम उनकी समस्त आवश्यकताओं की सामग्री का संभरण करने की स्थिति में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने उनको केवल यही निश्चित आश्वासन नहीं दिया है कि हम उन्हें टिपिंग प्रकार के रेल की पटरी पर चलने वाले १ हजार डिब्बों का संभरण करेंगे, परन्तु यह भी आश्वासन दिया है कि हम उन्हें ठीक उनके विनिर्देशों के अनुसार बना देंगे । मैं कह सकता हूं कि संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्री महोदय हमारी कर्मशाला से, जिसे उन्होंने इन वैगनों के संभरण के लिये देखा था, बहुत सन्तुष्ट हुये थे, कि यह इन वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें भेजने में बहुत सक्षम हैं ।

†**श्री सोनावने** : क्या कपास को मूल्यों को निर्धारित करने से पहले खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से परामर्श लिया गया है और उन्हें यह बात बता दी गई है क्योंकि कपास के उत्पादन के लिये वही मंत्रालय मुख्य रूप से उत्तरदायी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न बिल्कुल एक दूसरे ही प्रश्न से संबंध रखता है ।

हथकरघा क कपड़े का इकटठा हो जान।

+

†*५५२. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से हथकरघे के कपड़े का बिना बिका स्टाक इकट्ठा होता आ रहा है, और इसके परिणामस्वरूप हथकरघा उद्योग को उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) इस समय बिना बिका स्टाक कितना है ; और

(ग) इस स्टाक की निकासी के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत सरकार को कुछ राज्यों से यह समाचार प्राप्त हुये थे कि हथकरघे का बिना बिका कपड़ा इकट्ठा हो गया है । हथकरघे के बिना बिके कपड़े के स्कन्धों का मूल्य सामान्य रूप से रहने वाले स्कन्धों से बिलकुल भी अधिक नहीं है । इस स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया था और यह अनुभव किया गया कि यह एक अस्थायी अवस्था है जिसमे शीघ्र ही सुधार होजायेगा । बिक्री को बढ़ाने के लिये, हथकरघे की वस्तुओं के स्कन्धों का परिसमापन करने के लिये तथा उद्योग को

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायता देने के लिये, एक विशेष मामले के रूप में यह निश्चय किया गया था कि सहकारी क्षेत्र में हथकरघे के कपड़े को सब बिक्रियों पर निम्नलिखित विशेष व अतिरिक्त घटौती दी जाय :—

(१) सब वास्तविक फुटकर बिक्रियों पर पांच नया पैसा प्रति रुपया ; और

(२) हथकरघे के कपड़े की सब थोक बिक्रियों पर तीन नया पैसा प्रति रुपया।

यह विशेष घटौती १ मार्च, १९६३ से लेकर १५ मार्च, १९६३ तक की १५ दिनों की अवधि के लिये दी गयी थी। यह विशेष घटौती फुटकर बिक्रियों पर पांच नये पैसे प्रति रुपये तथा थोक बिक्रियों पर तीन नये पैसे प्रति रुपये की आम घटौती के अतिरिक्त है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इस विशेष घटौती के देने के परिणामस्वरूप स्कन्धों की स्थिति में कोई भी सुधार हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जी, हां। समस्त एकत्रित स्कन्ध समाप्त हो गये हैं। वास्तव में, अधिकांश राज्यों ने इस अतिरिक्त घटौती को देना बन्द कर दिया है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या हाल ही में बिना बिके हथकरघे के कपड़े के स्कन्धों के इकट्ठे हो जाने के परिणामस्वरूप इसका निर्यात अधिक हो गया है अथवा कम हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमन्, सौभाग्यवश हथकरघे के कपड़े के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। यह लगभग २५ प्रतिशत बढ़ गया है, ७ करोड़ ५० लाख रुपये के निर्यात से बढ़कर १० करोड़ रुपये का हो गया है। परन्तु इसका उस कपड़े के इकट्ठे होने अथवा अन्य किसी बात से संबंध नहीं है। कपड़े का इकट्ठा होना तो एक अस्थायी अवस्था थी जोकि आपातकाल के पश्चात् हुई और अब समाप्त हो गई है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या कपड़े के इस प्रकार इकट्ठे होने से उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य पर कोई प्रभाव पड़ा है और क्या उत्पादन को कम करने के लिये विभिन्न अनुदेश दे दिये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: : प्रश्न के अन्तिम भाग का पहले उत्तर देते हुये मैं यह कहूंगा कि हमने उत्पादन को कम करने के लिये कोई अनुदेश नहीं दिये हैं सिवाय इसके कि उन्ह यह कहा है कपड़े का स्टाक पड़ा हुआ है और हमें पहले उसकी बिक्री करनी चाहिये। जहां तक हथकरघे के कपड़े के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का संबंध है उन तक पहुंचा जा रहा है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल राज्य में, विशेष रूप से कन्नानोर में, हथकरघा कारखाने के मालिकों ने १५ अप्रैल से आगे अपने कारखानों को बन्द करने का नोटिस दे दिया है, और यदि हां, तो सरकार का यह देखने के लिये कि कारखाने बन्द न किये जायें क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा के मेरे माननीय मित्र को ज्ञात है मैं परसों कोचीन गया था और वहां हथकरघा उद्योग के लोगों से बातचीत की, विशेषरूप से कारखाने वाले लोगों से। मेरा विचार है कि हम इस समस्या को हल कर सकेंगे। हमें उन्हें यथासंभव सहायता दे रहे हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : उत्तर मेरी समझ में नहीं आया।

†**श्री मनुभाई शाह** : केरल राज्य में मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हथकरघा बुनकरों के संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिये मैं परसों इरनाकुलम

---

†मूल अंग्रेजी में

गया था। हमने उनके साथ इस मामले पर बारीकी से चर्चा की। मुझे यह आशा है कि केरल राज्य के कुछ कारखानों को जो कुछ विशेष कठिनाइयां हो रही हैं उन पर विजय पा ली जायेगी और कदाचित किसी के किसी भी कारखाने को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की हथकरघा वस्त्र निर्यात संस्था का हथकरघा वस्त्र के निर्यात को अपने हाथों में ले लेने का विचार है और यदि, हां, तो हथकरघा वस्त्र के विद्यमान उत्पादकों तथा निर्यातकों को अपने व्यवसायों से बाहर फेंके जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीया महिला सदस्य के अनुमान अधिक ठीक नहीं हैं। पहले तो, हम किसी को भी उसके व्यवसाय से बाहर नहीं निकाल फेंकना चाहते। राज्यों के लिये विदेशी व्यापार में भाग लेने की पर्याप्त गुंजाइश है और उस सीमा तक हथकरघा और हस्तशिल्प के सरकारी क्षेत्र का निगम विशेष प्रकार की भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये विशेष तथा दुर्गम मंडियों में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। उदाहरणार्थ, मद्रास के रुमालों के लिये हमने एक मंडी बना ली है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या हथकरघे के कपड़े के इकट्ठे होने से उद्योग के कर्मचारियों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री बेरवा कोटा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कपड़े को बेचने के लिये सरकार ने बीच में क्या कोई छूट दी थी ?

श्री मनुभाई शाह : ८ नये पैसे।

†**श्री दीनैन भट्टाचार्य** : क्या शक्तिचालित करघों के बहुत से कारखाने स्टाकों के इकट्ठे होने और अन्य कारणों से बन्द हो गये हैं, और यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं...

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : विवरण में यह कहा गया है कि सरकार को कुछ राज्यों से कुछ समाचार प्राप्त हुये हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं तथा उन राज्यों में कितने कितने स्टाक इकट्ठे हुये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मद्रास राज्य की सरकार ने एक बहुत विस्तृत अभ्यावेदन भेजा था। हमने १५ दिन की अवधि के लिये ८ नये पैसे की घटौती आदि की घोषणा करते हुये तुरन्त उत्तर दिया। उद्योग मंत्री ने यह बताया था कि लगभग सभी स्टाक समाप्त हो गये हैं और उन्होंने घटौती देना बन्द कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवमूर्ति स्वामी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने उन राज्यों के नाम पूछे थे जिनसे कि समाचार प्राप्त हुए थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह बता दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि केरल ने भी एक समाचार भेजा है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है मैं पहले ही केरल का उल्लेख कर चुका हूं। मैं वहां गया था।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : हथकरघा बुनकरों को बार बार कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि कपड़े की कुछ किस्में केवल हथकरघों के लिये ही रक्षित कर दी जायें।

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है कुछ रक्षण किये गये हैं। परन्तु यह बड़ी कठिनाई जिसका कि आक्रमण के पश्चात् अनुभव हुआ था केवल एक ही क्षेत्र में नहीं है; उसने देश में लगभग सभी वस्तुओं की मण्डियों पर प्रभाव डाला है। अब उनकी दशा सुधर रही है।

अफ्रीकी एशियाई देशों को निर्यात ऋण

†*५५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी एशियाई देशों को प्रविधिक सहायता तथा मध्यमकालीन निर्यात ऋण देने का निर्णय किया है जिससे उन देशों को भारतीय माल का निर्यात बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां। अफ्रीका तथा एशिया के कुछ देशों को प्रविधिक सहायता देने का प्रस्ताव है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है। मध्यकालीन निर्यात ऋणों के सम्बन्ध में, भारत के पुनर्वित्त निगम द्वारा उपयुक्त प्रत्याभूतियों के विरुद्ध छः मास से लेकर पांच वर्ष तक की अवधि के लिये ऋण देने के हेतु एक सामान्य योजना पहले ही से चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी व्यवस्था भी विचाराधीन है जिसमें श्रीलंका तथा इण्डोनेशिया को पंजी पदार्थों के भारतीय निर्यातों के लिये आस्थगित भुगतान भी सम्मिलित है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को होने वाले निर्यात में कमी हो गई है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**श्री मनुभाई शाह** : निर्यात में कमी एशिया के उन कुछ देशों के सम्बन्ध में हुई है जो कि स्वयं ही विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बहुत बड़ी कठिनाइयों में पड़े हुए हैं ; परन्तु इसी प्रकार कुछ देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि भी हुई है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि प्रतिस्पर्द्धा में चीन ने भारतीय वस्तुओं को उन मण्डियों से निकाल बाहर कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि चीन इस प्रकार उदारतापूर्वक ऋण दे रहा है जिसका कि माननीय सदस्यों ने औपचारिक परामर्शदात्री समिति में संकेत किया था। हम इस प्रकार के ऋणों का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें कि हमारा देश दे सकता है यह पहला कदम है,अर्थात् अब हम पंचवर्षीय योजना ऋण दे रहे हैं। न्यासालैण्ड और केनिया के मामले में हमने सात वर्ष के लिये ऋण दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : जो दीर्घकालीन निर्यात ऋण सुविधा दे दी गई है उसको जो मध्यम कालीन ऋण सुविधा अब दी जानी है उसके साथ इस देश में किस प्रकार मिलाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक बहुत सुसंगत प्रश्न है । आजकल हम चारों ओर से सब प्रकार की कठिनाइयों में पड़े हुए हैं । मुझ आशा है कि इस सदन के आशीर्वादों से हम अनेक अन्य बातों में भी प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे ।

†**श्री दी०चं० शर्मा** : वह कौन कौन से देश हैं जिनके सम्बन्ध में अब ऋण तथा प्रविधिक सहयोग की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वे शर्तें क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अबीसीनिया में हमने एक कपड़ा मिल के बारे में निश्चय कर लिया है और ईरान में एक ताम्र रालिंग मिल के बारे में; बर्मा में हम चीनी मिलों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, श्री लंका में एक चीनी मिल के बारे में और इण्डोनेशिया, मलाया तथा हांगकांग के लिये पांच अथवा छः परियोजनाओं के बारे में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक उत्पादन का बढ़ाया जाना

†*५४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)· आपात के कारण बड़े पैमाने के उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया गया है ; और

(ख)· इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क)· और (ख)· एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें कि जानकारी दीं गई है ।

विवरण

वर्तमान आयात के कारण बड़े पैमाने के तथा छोटे पैमाने के दोनों ही उद्योगों के क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है। जो उपाय किये गये हैं उनके पूरे परिणामों को आंकना इतना शीघ्र सम्भव नहीं है ।

(१)· जो औद्योगिक एकक प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्य प्रारम्भ करते हैं उन्हें प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की वस्तुओं के निर्माण के लिये पूर्ववर्तिता के आधार पर—स्वदेशी अथवा आयात किया हुआ—कच्चा माल देकर और बैलसिंग मशीनी औजार और अन्य उपकरणों के लगाये जाने में सुविधा देकर उनकी सहायता की जा रही है ।

(२)· राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आठ दिन के अन्दर ही, ३ नवम्बर, १९६२ को नई दिल्ली में हुई कर्मचारियों तथा श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन की एक संयुक्त सभा में औद्योगिक सन्धि

†मूल अंग्रेज़ी में

(ट्रूस) का एक संकल्प पारित किया गया था। संकल्प के भाग ३ में उत्पादन सम्बन्धी बातें कहीं गई हैं और संकल्प के इस भाग की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र में एक आपातकालीन उत्पादन समिति स्थापित कर दी गई है जो कि उत्पादन बढ़ाने के लिये तथा लागतों को कम करने के लिये उपायों की सिफारिश भी करेगी। राज्यों में तथा उपक्रम स्तरों पर भी इसी प्रकार की समितियां स्थापित कर दी गई हैं।

(३) प्रतिरक्षा सम्बन्धी तथा निर्यात सम्बन्धी सामान के निर्माण के लिये बनाये गये कुछ उपक्रमों से पृथक् पृथक् रूप में यह प्रार्थना की गई है वे उत्पादन को ५ प्रतिशत बढ़ाने के तुरन्त कदम उठायें और उत्पादन की लागत को घटाने के लिये भी इसके बराबर ही दृढ़ प्रयत्न करें।

(४) १९६३ में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक उत्साहवर्धक योजना बनाई गई है।

(५) सैनिक कर्मचारियों की ऊनी कपड़ों तथा मोजे, बनियान आदि वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़े तथा छोटे दोनों ही पैमानों के क्षेत्रों के कपड़ा कारखानों ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(६) यह सुनिश्चित करने के लिये कि छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के क्रयादेश की वस्तुयें समय पर तथा सन्तोषजनक रूप में भेज दी जाती हैं लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा विशेष उत्तरदायित्व ले लिया जाता है। इन उद्योगों को प्रविधिक तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है। प्रतिरक्षा सामान सम्बन्धी ठेकों तथा डाइरेक्ट जाब आर्डरस देने के हेतु छोटे पैमाने के कारखानों का पता लगाने के लिये लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा उच्च पूर्ववर्तिता दी जाती है।

(७) छोटे पैमाने के जिन उद्योगों को आपातकाल को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण समझा जा रहा है उनकी एक सूची तैयार कर ली गई है और इन उद्योगों के लिये कच्चे माल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(८) जिन छोटे पैमाने के उद्योगों के कारखानों को प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान के लिये क्रयादेश दिये गये हैं उनके लिये विदेशी मुद्रा के व्यय की एक अलग उच्चतम सीमा भी नियत कर दी गई है।

'टिस्को' तथा 'इस्को' को ऋण

†*५५०. **श्री मुरारका :**
श्रीमती रेनु चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेसर्स 'टिस्को' तथा 'इस्को' को लोहा तथा इस्पात समानीकरण निधि से दिये गये विशेष ऋणों पर बकाया ब्याज की वसूली के तरीकों के बारे में फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या 'टिस्को' तथा 'इस्को' ने अपने ऋण का कोई अंश वापस लौटा दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख) मैसर्स 'टिस्को' तथा 'इस्को' को दिये गये विशेष ऋणों पर बकाया ब्याज की वसूली के तरीकों की इस समय जांच की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

बिहार में लघु उद्योगों का विकास

१०५३. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य को १९६२–६३ में लघु उद्योग के विकास के लिये कितना ऋण दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): बिहार राज्य को १९६२–६३ में ऋण के रूप में निम्नलिखित राशियां मंजूर की गईं :—

लघु उद्योग	१५.२१ लाख रु०
औद्योगिक बस्तियां . . .	८.७७ लाख रु०
	२३.९८ लाख रु०

उत्तर प्रदेश में उपचुनाव

१०५४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सत्यभामा देवी :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ काल के लिए उपचुनाव स्थगित करने की मांग की है ;

(ख) क्या ऐसी मांग अन्य राज्यों या दलों ने भी की है ; और

(ग) यदि हां, तो ये मांगें किस आधार पर की गयी हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में उप-चुनावों को मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक स्थगित करने के लिए निर्वाचन आयोग से निवेदन किया था ।

(ख) तीन अन्य राज्य सरकारों अर्थात् केरल, मद्रास और मध्य प्रदेश ने भी मई की विभिन्न तारीखों तक स्थगन की मांग की थी ।

(ग) स्थगन के ये सुझाव इसलिए दिये गये हैं कि स्कूलों और कालेजों की परीक्षाएं अप्रैल के महीने में होंगी और फसल कटाई का काम मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक चलता रहेगा । सुझाये गये स्थगन पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उपचुनाव की तारीख नियत करना विधि के अनुसार निर्वाचन आयोग का काम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के लिये अलौह धातुओं का अभ्यंश (कोटा)

†१०५५. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ १९६१-६२ और १९६२-६३ में अब तक उड़ीसा को कितनी मात्रा में अलौह धातुएं आवंटित की गईं ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने अपना अभ्यंश (कोटा) बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) आवंटन इस प्रकार किया गया है :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

वर्ष	तांबा	जस्ता	अल्मोनियम	सीसा
१९६०–६१	१७७	१३०	राज्यवार आवंटन नहीं किया गया ।	५
१९६१–६२	६००	५००	३२	६
१९६२–६३ (अप्रैल-सितम्बर, १९६२)	२६९	१८३	१९	३

(अक्तूबर १९६२–मार्च १९६३ तक अवधि का आवंटन अभी अन्तिम रूप में तय नहीं हुआ है ।)

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार ने तांबे और जस्ते के अधिक आवंटन की मांग की है । उन की प्रार्थना पर चालू अवधि में राज्यों के लिए आवंटन करते समय ध्यान दिया जायेगा ।

उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्रार्थना पत्र

†१०५६. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में अब तक उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों की कितनी प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) उन में से कितने स्वीकार कर लिये गये और कितने रद्द किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) २४ ।

(ख) अभी तक ८ मंजूर कर लिये गये और ७ रद्द कर दिये गये हैं ।

हिन्दुस्तान केबल फैक्ट्री, रूपनारायणपुर

†१०५७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी, रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) के विस्तार कार्यक्रम पर आपात काल के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है अथवा प्रगति कम हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो १९६२ के अन्तिम तीन महीनों में जिस संयंत्र एवं मशीनरी को आना था, क्या वह आ चुकी है ;

(ग) क्या विस्तार कार्यक्रम का नागर (सिविल) निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब पूरा होगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) संयंत्र और मशीनरी का बड़ा भाग जो १९६२ के पिछले तीन महीनों में आना था, संभरणकर्ताओं द्वारा भेजने में विलम्ब करने के कारण नहीं पहुंचा है ।

(ग) और (घ). विस्तार कार्यक्रम नागर (सिविल) निर्माण कार्य इस वर्ष के अन्दर पूरा हो जाने की आशा है ।

आयात लाइसेंस

†१०५८. श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंस जारी करने के मामले में उद्योगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में आन्ध्र वाणिज्य मंडल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अत्यावश्यकता प्रमाणपत्रों वाले उद्योगों को अत्यावश्यक कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस नहीं दिये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्य मंडल के विचारों को ध्यान में रख लिया गया है और उचित समय पर उन पर विचार किया जायेगा ।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी की दृष्टि से, एस० एस० आई० यूनिट्स के मामले में, जो नवीन निर्माण इकाइयां आरम्भ करना चाहते थे, उत्पादन होने वाली वस्तुओं की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विशेष आधार पर लाइसेंस देने पड़े । जबकि प्राथमिकता प्रतिरक्षा तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उद्योगों को दी जाती है, कम अग्रता वाले उद्योगों को लाइसेंस देने से इनकार भी करना पड़ता है ।

निर्यात व्यापार के लिये क्षेत्रवार संगठन

१०५९. श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष क्षेत्रों सम्बन्धी निर्यात व्यापार समस्याओं का विशेष अध्ययन करने के लिये सरकार ने क्षेत्रवार संगठन बनाने का कोई निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये संगठन कब तक बनेंगे ; और

(ग) इस के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) पांच क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किये जा रहे हैं ।

(ग) ये क्षेत्रीय निदेशक पांच विश्वक्षेत्रों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे । इन क्षेत्रों के नाम ये हैं—(१) उत्तरी और दक्षिणी अमरीका, (२) पश्चिमी यूरोप, (३) पूर्वी यूरोप तथा साम्यवादी देश, (४) पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तथा (५) दक्षिणी-पूर्वी एशिया । ये निदेशक प्रत्येक क्षेत्र के देशों की व्यापार सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए किए गए कार्यों का समन्वय करेंगे तथा उन देशों को हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई करेंगे ।

भारत में मानकीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का आगमन

†१०६०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता 'पूल' के दो विशेषज्ञ कुछ समय से भारत में हैं और इस की मानकीकरण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने तथा हल करने के लिए भारत की सहायता कर रहे हैं ; और

(ख) उन की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रविधिक सहायता संगठन के दो विशेषज्ञ भारतीय मानक संस्था में हैं । उन में से एक व्यक्ति मीट्रिक प्रणाली के आधार पर मशीनी पुर्जों और संबंधित वस्तुओं के मानक तैयार करने में उन की सहायता कर रहा है और उस का प्रतिवेदन सितम्बर १९६३ में उस का काम पूरा होने पर प्राप्त होगा । दूसरा व्यक्ति समवाय मानकीकरण कार्य को आयोजित करने, अर्थात् उत्पादन एकांशों में संयंत्र के अन्दर मानकीकरण करने के काम में सहायता कर रहा है और अगस्त १९६३ में उस का काम पूरा होने पर उस का प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†१०६१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाना के प्रबन्धकों और कर्मचारी संघ के बीच जनवरी १९६३ में जो समझौता हुआ था, उस के निबन्धन क्या हैं ;

(ख) क्या इस्पात उद्योग के मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक शिकायत समिति और कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये उम्मीदवारों की सूची का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति स्थापित करने का फैसला किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार कर्मचारियों और मालिकों को ऐसा करने की सलाह देने के पूर्व इन समितियों के कार्य का अध्ययन करने का विचार करती है ताकि औद्योगिक सन्धि वास्तव में प्रभावी हो जाए ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) जनवरी, १९६३ में भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों एवं कर्मचारी संघ के बीच हुए करार की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १०२०/६३]**

(ख) इस्पात मजूरी बोर्ड (अन्तरिम राहत) की सिफारिशें १ दिसम्बर, १९६२ से भिलाई इस्पात कारखाने में लागू की गई हैं।

(ग) ये समितियां भिलाई इस्पात कारखाने में स्थापित की जा चुकी हैं ।

(घ) यह मामला राज्य क्षेत्र के अन्दर आता है।

मास्को में भारतीय प्रदर्शनी

†**१०६२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगपतियों ने प्रदर्शनी को वास्तव में सफल बनाने में कितनी प्रत्यक्ष दिलचस्पी ली है; और

(ख) प्रदर्शनी लगाने पर कितना खर्च आयेगा और क्या भारतीय उद्योगपति अपना भाग देंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी थी।

(ख) लागत लगभग ७० लाख रुपये के आस पास होगी। उद्योगपतियों तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से ३० लाख रुपये तक अंशदान इकट्ठा करने की आशा है।

निर्यात गृह

†**१०६३. श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री अब तक स्थापित निर्यात-गृहों के नाम बताने तथा यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक को कुल कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है;

(ख) उन्होंने अब तक कितना काम किया है; और

(ग) सरकार ने इन को मान्यता देने के लिये क्या सिद्धान्त और कसौटी अपनाई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १०२१/६३]**

लीपजिक बसंत मेला

१०६४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेडा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के लीपजिग बसंत मेले में भाग लेने का फैसला कर लिया है;

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मेले में किस प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शनी पर रखी जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). लीपजिग बसंत मेला १९६३, ३ से १२ मार्च तक हुआ। यह एक वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है जिस में प्रायः सभी देश भाग लेते हैं, जो पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करते हैं। भारत ने भी हमेशा की तरह व्यापार स्तर पर इस मेले में भाग लिया। भारतीय व्यापार ने संगठित रूप से भाग लिया, जिस का समन्वय एवं संगठन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रदर्शनी निदेशालय द्वारा किया गया था। भारतीय व्यापार के प्रतिनिधान की व्यवस्था के लिये १०,००० वर्ग फुट भू-क्षेत्र का उपयोग किया गया था।

२. संगठित भारतीय पंडाल में दो श्रेणियों के लोगों ने भाग लिया था, (क) व्यापारी लोग, और (ख) व्यापार न करने वाले। ५२ व्यापारी और ७५ गैर व्यापारी थे। व्यापारी न केवल अपने माल के नमूने ही नहीं भेजते, अपितु स्थान पर जा कर समझाने, बातचीत करने और व्यापार करने के लिये अपने प्रतिनिधि भी भेजते हैं। व्यापार न करने वाले लोग व्यापार हितों को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से व्यापार प्रचार के लिये अपने माल के नमूने भेजते हैं। व्यापार न करने वाले लोगों की ओर से सामान्य रूप से प्राप्त व्यापार सम्बन्धी पूछ ताछ पंडाल के प्रभारी सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त करके संबद्ध निर्माताओं को भेज दी जाती है। इस वर्ष, स्थान का प्रभारी प्रेग स्थित भारतीय दूतावास का एक अफसर था, जो इसी काम के लिये खास तौर पर भेजा गया था और प्रेग स्थित भारतीय राज दूतावास के मार्ग दर्शन में काम करता था। चूंकि मेला १३ मार्च को समाप्त हो गया था, उनका प्रतिवेदन अभी नहीं आया।

३. समिति ने मेले में जो चीजें रखीं, उन में भारत तथा जी० डी० आर० के बीच हुए व्यापार करार में सम्मिलित प्रायः सभी वस्तुओं के नमूने थ। पटसन, चाय, काफी, कपड़े की किस्मों, और हल्के इंजीनियरी-उद्योगों के सामानों समेत ६८ श्रेणियों के सामान के प्रतिनिधि नमूने थे।

शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना

†**१०६५. श्री मणयंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित शुद्ध मापक यंत्र बनाने के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : रूस सरकार की प्रविधिक एवं वित्तीय सहायता से भारत में दो शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना स्थापित करने का विचार है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति नीचे दर्शाई जाती है :—

शुद्ध मापक यंत्र कारखाना, कोटा : मैसर्स प्रोमाशएक्सपोर्ट मास्को से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मई, १९६३ में आने की आशा है और फैक्टरी स्थल पर अग्रेतर कार्य उसके शीघ्र पश्चात् आरम्भ होने की अपेक्षा है। रूस की फैक्टरियों में भारतीय शिल्पकों को प्रशिक्षण देने की योजना अन्तिम रूप में तय हो चुकी है।

शुद्ध मापक यंत्र कारखाना, केरल : पालघाट के समीप पुथुस्सरी में परियोजना का स्थान चुना जा चुका है और केरल सरकार फैक्टरी तथा टाउनशिप के लिये भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रही है। कारखाने में बनाये जाने वाले उपकरणों के नाम रूसी विशेषज्ञों के परामर्श

---

†मूल अंग्रेजी में

से अन्तिम रूप में तय किये गये हैं। विस्तारपूर्वक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की हिदायतों के प्रारूप को अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

केलों का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रतिनिधि मण्डल

†१०६६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशों में केले के विपणन की संभाव्यता मालूम करने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिनिधिमंडल किन देशों में जायेगा; और

(ग) विदेशों में जाने के लिये इस प्रतिनिधि मंडल को कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

बी' ट्विल और टाट[1]

†१०६७. **श्री क० गो० सेन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति टन बी' ट्विल और टाट की उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) यह बाजार भाव की तुलना में कैसी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	प्रति टन उत्पादन लागत (अनुमानित)*	प्रति टन बाजार भाव@
बी' ट्विल . .	१०४५ रुपये—११२८ रुपये	१११७.५० रुपये
टाट . . .	१४२५ रुपये—१५२५ रुपये	१७६० रुपये

* 'आसाम बाटम' की ३० रुपये प्रति मन तथा कतरनों के लिये २१ रुपये प्रति मन के आधार पर

@२ मार्च, १९६३ को।

कृषि उत्पादों का निर्यात

†१०६८. **श्री हाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ (१ फरवरी, १९६३) तक कृषि उत्पादों का निर्यात कितने मूल्य का था;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]'B' Twills and Hessian.

(ख) क्या क्या मुख्य चीजें भेजी गईं; और

(ग) इन निर्यातों को बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). १९६१–६२ तथा १९६२–६३ (जनवरी, १९६३ के अन्त तक) प्रमुख कृषि उत्पादनों का निर्यात मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(मूल्य : लाख रुपयों में)

	१९६१–६२	१९६२–६३ (अप्रैल–जनवरी १० महीने)
अनाज	शून्य	१२
फल और सब्जियां	२४,७८	२१,३७
मसाले	१७,५७	११,३९
पशुओं को खिलाने का सामान (खली समेत)	१८,७१	२५,८१
तैयार न किया हुआ तम्बाकू	१४,०४	१४,३२
तिलहन, 'आयल नट्स', तलवाली गिरियां	४,२२	२,९७
लकड़ी (सन्दल, गुलाब आदि)	२,८३	२,४५
कपास	२०,३७	१८,३८
पटसन	शून्य	८१
अन्य वनस्पति रेशे	२,५३	२,१९
अशोधित वनस्पति सामग्री, अखाद्य (लाख, गोन्द, राल, आदि)	१५,३९	११,२६
वनस्पति तेल	५,८३	९,२३
सुगन्ध तेल	४,५१	३,६०
	१,३०,७८	१,२३,९०

(ग) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये बहुतेरे उपाय किये गये हैं। इनमें उन उत्पादनों के निर्यात पर नियंत्रण धीरे धीरे कम करना, तंबाकू की फसल के लिये उर्वरकों का विशेष आवंटन, निर्यात के लिये काजू की गिरियों को बांधने के लिये रियायती दामों पर टिन प्लेटों का संभरण, बिना तैयार तंबाकू के लिये पुनः शुष्क करने के संयंत्र का आयात, वनस्पति तेलों आदि के निर्यात के लिये प्रोत्साहन योजनाएं आदि शामिल हैं। जहाज पर लादने से पहले अनिवार्य निरीक्षण तथा गुण नियंत्रण योजनाएं तंबाकू, मसालों, आदि के संबंध में कार्यान्वित की जा रही है और शीघ्र ही काजू की गिरियों के संबंध में ऐसी ही योजना आरंभ

†मूल अंग्रेजी में

करने का विचार है। निर्यात संवर्धन परिषदें मसालों, लाख, काजू और तंबाकू के लिये निर्यात संवर्धन कार्य करने अर्थात् बाजार सर्वेक्षण करने, व्यापार प्रतिनिधि मंडल तथा अध्ययन दल भेजने, प्रचार कार्य करने एवं भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयातकों के बीच सम्पर्क बनाये रखने के लिये स्थापित की गई हैं। सरकार द्वारा किये गये सामान्य निर्यात संवर्धन उपायों का संक्षेप निर्यात संवर्धन संबंधी टिप्पण में संसद के सदस्यों को दिया गया था।

मद्रास राज्य में उद्योग

†१०६९. **श्री उमानाथ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूसी सहायता के साथ मद्रास राज्य में स्थापित परियोजनाओं की सूची क्या है;

(ख) प्रत्येक में उत्पादन का स्वरूप क्या होता है तथा उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) कितने सरकारी क्षेत्र में हैं और कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

वैनेडियम का उपयोग

†१०७० { **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा के मयूरगंज जिले में वैनेडियम वाले लौह अयस्क निक्षेप प्रचुर मात्रा में है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने स्वयं अथवा राज्य सरकार से मिल जुल कर इस दुर्लभ धातु का धातुमिश्रित इस्पात अथवा अन्य किसी औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया है?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां।

(ख) वैनेडियम का उपयोग उद्योग में राज्य विदोहन और जूट तथा धातु मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिए कैसे वैनेडियम के रूप में अथवा अन्य उद्योगों में वैनेडियम पैंटोवसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा में राज्य विदोहन के लिये लगभग ७०० वर्ग मील का इलाका रिजर्व किया गया है। राज्य औद्योगिक विकास निगम से इन अयस्कों के विदोहन के लिये औद्योगिक लाइसेंस का आवेदन पत्र भी मिला है। यह विचाराधीन है।

अमलाय में कागज का कारखाना

१०७१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के अमलाय नामक स्थान में कागज का कारखाना खोला जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कारखाने के लिये विदेशी सहायता की भी जरूरत होगी और यदि हां, तो कहां से और किस रूप में ; और

(ग) इस कारखाने पर कुल कितनी लागत आयेगी और उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कम्पनी को भारत सरकार की अनुमति से यू० एस० एक्जिम बैंक से सीधे १८५ लाख डालर का ऋण मिल गया है ।

(ग) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता १५० टन कागज तथा इतनी ही लुग्दी प्रति दिन होगी । इसकी कुल लागत का अनुमान १४ करोड़ रु० लगाया गया है ।

टसर रेशम उद्योग

†१०७२ { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि टसर रेशम उद्योग पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में उत्पादन प्रक्रिया की कमी के कारण हानि उठा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन राज्यों में कीड़े पालने के लिए वन विभाग बहुत धन दे रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में टसर रेशम उद्योग कीड़े पालने के लिए कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्योग को बन्द कर देने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । राज्य सरकारों ने थोड़ा सा कर लगाया है जिससे पेड़ों का ग़लत प्रयोग न हो ।

पश्चिम बंगाल . . .	१५ रुपये प्रति एकड़
बिहार . . .	कीड़े पालने के लिए १०० पेड़ों पर २ रुपये ।
उड़ीसा .	६० पेड़ों के लिए ७५ न० पै० और १२८० ककूनों के काहन के लिए ३ रुपये रायल्टी ।

(ग) टसर के कीड़ों को पालने के लिए पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसार कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है । परन्तु यह मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तथा मिरजापुर के वन अधिकारी ने ऐसे आदेश दिए हैं कि जिन लोगों ने कर का भुगतान नहीं किया है । उनको टसर के कीड़े पालने से रोका गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान के लिये व्यापार शिष्ट मण्डल

†१०७३. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान का एक व्यापार शिष्ट मंडल दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर बातचीत करने आया था ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल कौन लाया है ; और

(ग) यह किन स्थानों का दौरा करेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर मई, १९६३ में पाकिस्तान को एक सरकारी व्यापार शिष्टमंडल नये व्यापार के करार के बारे में बातचीत करने पाकिस्तान जायेगा ।

(ग) व्यापार वार्ता का स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

रेशम कीट उद्योग का विकास

†१०७४. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में मलबरी पेड़ों के बागान तथा रेशम कीट उद्योग के विकास के लिए पंजाब को कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया है ;

(ख) राज्य द्वारा कितनी रक़म का उपयोग किया गया था ; और

(ग) १९६३–६४ में कितनी रक़म खर्च करने का विचार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). राज्यों को केन्द्रीय सहायता 'ग्राम तथा छोटे उद्योग' क्षेत्र के लिए वार्षिक आधार पर दी जाती है तथा विभिन्न उद्योगों के लिए अलग अलग नहीं दी जाती है । मलबरी पेड़ों के बागानों समेत रेशम कीट उद्योग के विकास के लिए १९६२–६३ में ३.७३ लाख रुपये के अनुमानित व्यय के आधार पर १९६२–६३ में पंजाब सरकार को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई है :—

ऋण	१.८८ लाख रुपये
अनुदान	०.९० लाख रुपये

(ग) राज्य सरकार ने १९६३–६४ के अपने वार्षिक आयोजन में ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए २७०.९९ लाख रुपये के पूंजी व्यय का प्रस्ताव किया है। योजना आयोग ने खनिज विकास तथा ग्राम और लघु उद्योग, दीर्घ तथा मध्यम उद्योग समेत उद्योग तथा खनन २ वर्ष के लिए १९६३–६४ में २६८.४९ लाख रुपये का पूंजी व्यय स्वीकार किया है। राज्य सरकारों ने अभी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आंकड़े नहीं बताये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक कारखाना

†१०७५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए कितने तथा कितनी उत्पादन क्षमता के उर्वरक कारखानों को अब तक लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) उनमें से अब तक कितने पूरे हो चुके हैं ; तथा कितने बनाये जा रहे हैं ?

(ग) उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(घ) आगामी वर्ष में कितने और लाइसेंस देने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क से (ग). एक विवरण सबंध है। **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल टी० –१०२२/६३]**

(घ) आगामी वर्ष में गैर-सरकारी क्षेत्र में नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी के कारखाने

१०७६. श्री रामसेवक यादव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद (आगरा उत्तर–प्रदेश) स्थित कांच की चूड़ी के कारखानों को मिलने वाला कोयले का कोटा स्थगित कर दिया गया है या घटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सिलसिले में ग्लास इंडस्ट्रियल सिंडीकेट, फिरोजाबाद से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) और (ख). फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी बनाने के ७७ कारखानों में से १० कारखानों का जनवरी-जून, १९६३ तक का कोयले का कोटा उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से स्थगित कर दिया गया या घटा दिया गया है । ऐसा करने का कारण यह है कि बताया जाता है कि ये कारखाने आवंटित किये गये स्टीम कोयले का उचित इस्तेमाल नहीं करते थे ।

(ग) और (घ). जी हां । उत्तर प्रदेश सरकार से इन मामलों की फिर से जांच करने को कहा गया है ।

खली

१०७७. श्री कछवाय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने खली तैयार करते हैं ;

(ख) क्या इसके निर्यात के लिए सरकार ने भाड़े में कोई रियायत दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) संगठित क्षेत्र में ४६ कारखाने ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) १९६२ में लगभग २३.५२ करोड़ रुपये ।

विदर्भ में भारी इंजीनियरिंग परियोजनायें

†१०७९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजनावधि में विदर्भ क्षेत्र में कितनी नई भारी इंजीनियरिंग परियोजनायें स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि स्ट्रक्चरल प्लांट जिसके संबंध में ठोस निश्चय कर लिया गया है के अतिरिक्त बर्मा के निकट ऐसी परियोजना स्थापित करने का है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) विदर्भ क्षेत्र में वर्धा के निकट हैवी स्ट्रक्चरल तथा हैवी प्लेट एण्ड वैसल के निर्माण की एकीकृत परियोजना स्थापित करने का विचार है ।

(ख) और (ग). तीसरी योजना की शेष अवधि में विदर्भ क्षेत्र में कोई और हैवी इंजीनियरिंग परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बंगाल-नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव

†१०८०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि बंगाल-नागपुर काटन मिल, राजनन्दगांव (मध्य प्रदेश) को लगभग तीन महीने पहले प्रबन्धकों ने बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा था तथा इस मामले में उनकी सलाह मांगी थी ; और

(ग) क्या इसको बन्द करने के कारण बेकार हुए मिल के ३००० तथा कुछ अधिक कर्मचारियों की सहायता के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग), इस मामले में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना

†१०८१. **श्री हेम राज :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में अख़बारी काग़ज़ के कारख़ाने की स्थापना के लिए किस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां ।

(ख) भारतीय समवाय के कनाडा के सहयोग-कर्ताओं द्वारा प्रतिनियुक्त एक विशेज्ञ द्वारा पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

तिब्बत में चीनी सेनाओं के कथित जमाव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : इस से पूर्व कि अगला विषय लिया जाय मैं तिब्बत में चीनियों के जमाव के समाचारों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस सम्बन्धी ध्यान दिलाने की सूचनाओं को आपने रद्द तो नहीं किया किन्तु अभी तक उस बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कार्यलय को कह दिया है कि सदस्यों को सूचना दे दे कि उनकी सूचनायें स्वीकार कर ली गई हैं । प्रधान मंत्री के लौटने पर उन्हें लिया जायेगा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री की अनुमति के कारण यह महत्वपूर्ण विषय निलम्बित हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रधान मंत्री आज लौट रहे हैं अतः आज या कल वे वक्तव्य देंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ४ मार्च, १९६३ की एस० ओ० संख्या ५८१ । पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १०१८/६३ ।]

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये काफी बोर्ड का वार्षिक प्रति वेदन ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १००४/६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक सभा द्वारा १६ मार्च, १९६३ को पास किये गये केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) बिल, १९६३ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २० मार्च, १९६३ की बैठक में संघ राज्य क्षेत्र शासन बिल, १९६३ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिए लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उसने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये हैं :—

(१) श्री आबिद अली
(२) श्री आनन्द चन्द
(३) श्री तड़ित मोहन दासगुप्त
(४) श्री आर० एस० डूंगर
(५) श्री बी० के० गायकवाड़
(६) श्री जयरामदास दौलतराम
(७) श्री डी० पी० करमरकर
(८) श्रीमती लक्ष्मी एन० मैनन
(९) प्रोफेसर मुकट बिहारी लाल
(१०) श्री महेश शरण
(११) श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर
(१२) श्री जी० राजगोपालन
(१३) श्री शिवानन्द रामौल
(१४) श्री एल० ललित माधव शर्मा
(१५) श्री शील भद्र याजी

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

†श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की माँगें—जारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी किसके लिए निर्धारित ५ घंटों में से ४ घंटे १० मिनट समाप्त हो चुके हैं।

श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे दो चार सुझाव देने हैं।

हमारा राष्ट्र गीत हमारा पवित्रतम गीत है और उससे हमें बड़ी स्फूर्ति मिलती है और जोश मिलता है। लेकिन उसको सुनाने का समय सोते समय कर दिया गया है। उसको सुनाया जाना चाहिए उठते समय क्योंकि वह हमको उठाने के लिए है, पर उसको सुनाया जाता है सोते वक्त। तो मेरा सुझाव है कि इस राष्ट्र गीत को प्रातः काल गाया जाए, सोते समय न गाया जाए।

दूसरा सुझाव यह है कि जो संसद समीक्षा के नाम से पांच मिनट का एक कार्यक्रम चलता था जिससे सारे देश के लोगों को संसद् में क्या हो रहा है इसका पता लगता था, उसको बन्द कर दिया गया है। उसको फिर जारी करना चाहिए, यह मेरा दूसरा सुझाव है।

हमारे माननीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा है कि हिन्दुस्तान में मंत्रियों को और कोई काम करने को नहीं है सिवाय भाषण करने के। ये भाषण रेडियो से भी ब्राडकास्ट किए जाते हैं। यह चीज इस नाजुक मौके पर शोभा नहीं देती। हमें इस समय लड़ाई के लिए तैयारी करनी चाहिए।

"कहने से कार्य करना ज्यादा अच्छा है।"

इस समय हमारी सारी इनरजी अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगनी चाहिए। इसलिये मेरा तीसरा सुझाव यह है कि ये भाषण बन्द किए जाएं और देश को ठोस प्रोग्राम दिया जाये।

रेडियो पर गानों में बहुत समय चला जाता है। इसको हमें इस संकट के समय बन्द करना चाहिए। हमको आज अपने समय को लड़ाई की तैयारी और राइफिल ट्रेनिंग में खर्च करना चाहिए। बूट पट्टी से बांधने से लेकर और जो काम लड़ाई के सम्बन्धमें हैं उनकी ओर जनता का ध्यान खींचने में आज रेडियो को अपना योग देना चाहिए यह मेरा चौथा सजेशन है।

मैं यही चार सुझाव देना चाहता था।

श्री कछवाय (दवास) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो तीन बातें कहनी हैं।

आज वर्तमान समय में जो सिनेमा में गन्दे गीत गाए जाते हैं इनके कारण हमारे देश के विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देखा गया है कि बड़े शहरों में दोपहर को

---

†मूल अंग्रेजी में

सिनेमा नहीं चलते। लेकिन छोटे शहरों में दोपहर को सिनेमा चलते हैं। उस समय लड़कों का स्कूल जाने का समय होता है, परिणाम यह होता है कि लड़के स्कूलों में न जाकर सिनेमा चले जाते हैं। वहां बुरे-बुरे गाने सीखते हैं और चोरी करना आदि सीखते हैं और आपस में अश्लील बात करते हैं और लड़कियों से अश्लील व्यवहार करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि सिनेना में गन्दे गाने नहीं होने चाहिएं और जिस प्रकार बड़े शहरों में होता है छोटे शहरों में भी सिनेमा दोपहर को नहीं खुलने चाहिएं। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज की नाजुक स्थिति में इस चीज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : कल विभिन्न सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। इन २० सदस्यों में से अधिकांश ने आकाशवाणी द्वारा आपातकाल में किये गये कार्य की प्रशंसा की है। मैं समझता हूं कि सभा के सभी दलों ने आकाशवाणी के देशभक्ति पूर्ण गानों, वार्ताओं और रूपकों आदि की प्रशंसा की है और कई अधिकारियों ने मुझे बताया हैं कि पिछले वर्षों में आकाशावणी की बिन्दा की जाती रही है किन्तु अब उसकी प्रशंसा अभूतपूर्व बात है।

पहले प्राय: दस दिन तक आकाशवाणी की निन्दा की जाती रही थी कि उसके कार्यक्रम लोगों की आशाओं के अनुकुल नहीं हैं किन्तु बाद में, शीघ्र ही उसका स्तर ऊंचा हो गया और बाद में शीघ्र ही वह लोगों की भावनाओं की प्रतीक बन गई। यह लोगों की सेवा करने वाली संस्था है। इस के गीतों, वार्ताओं आदि में लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति अपेक्षित है। लोगों में इस आपातकाल में रेडियों कार्यक्रम का अच्छा प्रभाव हुआ है,। पहले तो वे स्तम्भित रह गये थे किन्तु बाद वे दान देने लगे चाहे सोने या पैसे के रूप में किन्तु प्रतिक्रिया अच्छी थी। आकाशवाणी, चलचित्र और समाचारपत्रों ने लोगों की प्रत्याशाओं के अनुसार उनकी सेवा की है।

श्री प्रभातकार ने शिकायत की कि आकाशावणी चीनियों के प्रहार का मुकाबला करने में हिचकिचा रही है। यह ठीक नहीं है। हम सब कलाकारों निर्माताओं और व्यक्तियों से सम्पर्क पैदा कर रहे हैं कि वे प्रसारता के लिए गीत वार्ताए आदि तैयार करें। यह सकल्प पारित करने सरीखा नहीं है अत: इस में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक है। श्री प्रभातकार के लिए यह कहना उचित नहीं कि चीनियों के आक्रमण का विरोध करने में आकाशवाणी ने हिचकिचाहट दिखाई है।

आज अनेक कवि संगीतज्ञ और कलाकार काकाशवाणी के लिए प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। हमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से पत्र मिले हैं कि आकाशवाणी ने शानदार काम कर दिखाया है। मैं अनेक केन्द्रों पर जाकर स्थानीय गैर-सरकारी लोगों और पत्रकारों आदि से मिला हूं। उन सब ने आकाशवाणी के काम की सराहना की है जिसकी अभिव्यक्ति कल की चर्चा में भी हुई है।

इससे हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। अभी हम इस स्तर पर नहीं पहुंचे कि सुधार की गुंजाइश न हो। हम लोगों से और लोगों की भावनाओं से सम्पृस्त रहने का प्रयास कर रहे हैं।

न केवल आकाशवाणी बल्कि चलचित्र उद्योग और समाचारपत्रों ने भी अच्छा काम किया है। कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास में फिल्मी कलाकारों ने निजी तौर पर बहुत दान

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

दिया है। उन्होंने सरकार को प्रलेख चित्र भी दान दिये हैं। ये चित्र आज कल सभी थियेटरों में दिखाये जा रहे हैं जिससे लोगों का साहस बधांने में सहायता मिली है।

समाचारपत्रों में विज्ञापन के लिए स्थान देने के लिए मेरी प्रार्थना का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। सभी छोटी बड़ी भाषाओं के और अंग्रेजी समाचारपत्रों ने हमारी प्रार्थना का अच्छा उत्तर दिया है। उन्होंने विज्ञापन के लिए जगह दी है और संभवत: लोगों का साहस बनाये रखने के लिए वे स्थान देते रहेंगे। समाचारपत्रों और क्षेत्रीय प्रकार के संगठनों के खुले सहयोग के लिए मंत्रालय उनका आभारी है। ११०० से ऊपर समाचारपत्र और पत्रिकाएं प्रमुख स्थान पर नारे आदि प्रकाशित करते रहे हैं। मास्टर प्रिंटर्स फेडरेशन अखिल भारतीय विज्ञापन अभिकरण संस्था और व्यक्तिगत संस्थाओं ने विज्ञापन निदेशालय को पूरा सहयोग दिया है बल्कि देश में विज्ञापन को नई दिशा भी दिखाई है। इतिहास में यह सहयोग अभूतपूर्व है। मुझे विश्वास है कि मैं राष्ट्रीय साहस को बनाये रखने के लिए इन पर निर्भर कर सकता हूं।

मैं कलाकारों, कवियों, आकाशवाणी केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और लेखकों की अभ्यर्थना करता हूं। उन्होंने लोगों का साहस बंधाने में सहायता दी है।

विरोधी पक्ष या सरकार किसी का भी इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं कि ट्रांसमिटरों की आवश्यकता है। किन्तु अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य से संतुष्ट रहना होगा। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें अतिरिक्त ट्रांसमिटर मिल जायें। दो ५० कि०वा० ट्रांसमिटर जिन की व्यवस्था दूसरी योजना में की गई थी दिल्ली पहुंच गये हैं। दो और १०० कि० वा० के ट्रांसमिटर इस वर्ष दिल्ली पहुंच जायेंगे जिन्हें अधिकांशत: विदेश सेवा के लिए प्रयोग किया जायेगा। इससे हमारी विदेशी सेवा काफी सशक्त हो जायगी यद्यपि हम संसार के हर कोने तक प्रसारण नहीं पहुंचा सकगे किन्तु काफी हद तक अपेक्षित प्रदेशों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे।

तीसरी योजना में भी १०० कि० वा० के पांच ट्रांसमिटरों की व्यवस्था की गई है आशा है कि एक वर्ष में हमें इतनी विदेशी मुद्रा मिल जायेगी कि ये ट्रांसमिटर मंगवा लिये जायेंगे और तीसरी योजना के आखिर में हमारी स्थिति अधिक अच्छी होगी। आपातकाल आरम्भ होने के बाद हम ने १०० कि०वा० के छ: और १००० कि०वा० का एक ट्रांसमिटर प्राप्त करने की कोशिश की थी और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न समितियों में इस की अमुमति मिल जाय और हम आपातकाल में इन्हें प्राप्त कर सकें। हम इस आवश्यकता के प्रति सजग है कि शक्तिशाली ट्रांसमीटर होने चाहियें किन्तु इसके साथ ही काम की व्यवस्था का भी प्रबन्ध हो। एक ही काम की व्यवस्था का सम्भवत: अनेक देशों के लिए प्रयोग किया जा रहा है यह व्यवस्था त्रूटिपूर्ण है और इससे ध्वनि प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा ध्वनि स्थिर कहीं होती आशा है हमें आवश्यक वारवारिताएं भी मिल जायेंगी क्योंकि शार्ट वेव पर अत्यधिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इस संबंध में हम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा का उल्लंघन नहीं कर रहे। अन्य कुछ देश स्वतंत्रता से वावारिता प्राप्त कर सकते हैं? किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने के नाते हमें इसके लिए मांग करनी पड़ती है और इसके मिलने पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है अगले कुछ वर्ष हमें ये वारवारिताएं मिल जायेंगी और हमारा संगठन सशक्त हो जायेगा।

श्री महीड़ा के ये आंकड़े गलत हैं कि आकाशवाणी की ४७ प्रतिशत आय गुजराती भाषियों को प्राप्त होती है। हमारे आंकड़ों के अनुसार गुजराती भाषियों का स्थान ५वां है। प्रथम बम्बई, दूसरे

कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा स्थान पंजाब का है। गुजरात के रेडियो सुनने वालों की संख्या २,२२,००० है जबकि देश भर में श्रवण कर्ता २५ लाख हैं।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:** (आनन्द) : गुजराती भाषी लोग महाराष्ट्र ,कलकत्ता और अन्य सब स्थानों पर रहते हैं। वे व्यापारी हैं और उन के पास रेडियो हैं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : खास गुजरात में सारे देश के मुकाबले में १० प्रतिशत रेडियो लाइसेंस कम हैं। लगभग २५ लाख में से केवल लगभग २,२२,००० हैं। यदि बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर गुजराती बोलने वाले कई लोगों को भी लें तो २ या ३ प्रतिशत और इस से अधिक भी होंगे ? कुल १२ या १३ प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि ४७ प्रतिशत के आंकड़े उन्होंने कहां से लिए। कहीं शून्य की गलती हो सकती है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : आप के ६ या १२ प्रतिशत आंकड़े लेकर भी राशि लगभग ४० लाख रुपये हो जायगी। यदि न्यूनतम ६ प्रतिशत का भी आधार रखा जाय तो भी उतनी ही राशि हो जायगी। फिर भी आप कितना धन व्यय कर रहे हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी**: मैं ४० लाख रुपये के आंकड़े को गलत नहीं कहता। परन्तु यह कहना कि ४७ प्रतिशत आय गुजरात से है, अतिशयोक्ति है। खैर, उन्होंने गुजरात में स्टेशनों और ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

उन्हों ने राजकोट स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन और भुज स्टेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए इच्छा प्रकट की। इन सब स्टेशनों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अहमदाबाद तो पहले ही काफी शक्तिशाली स्टेशन है ।

हम ने हाल में ही राजकोट स्टेशन को शक्तिशाली बनाया। वह स्टेशन अब काम कर रहा है हम भुज स्टेशन पर स्टुडियो सुविधाओं की भी व्यवस्था करने का विचार करते हैं वहां से कुछ कार्यक्रम आरम्भ भी किए जायेंगे तथा कुछ अन्य स्टेशनों के प्रोग्राम प्रसारित भी किए जायेंगे। तृतीय योजना में गुजरात में तीन स्टेशन स्थापित किए जायेंगे : अहमदाबाद–बड़ौदा, राजकोट और भुज।

जो यह शिकायत है कि दक्षिण गुजरात भी अहमदाबाद को नहीं सुन सकेगा इस सम्बन्ध में यह स्थिति है कि जहां तक आकाशवाणी को सुनने का सम्बन्ध है तृतीय योजना के अन्त में हम ७४ प्रतिशत जनता और ६१ प्रतिशत क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। शाम को और सर्दियों में तो सभी क्षेत्र सुन सकेंगे, परन्तु दिन को तृतीय योजना के अन्त तक ७४ प्रतिशत जनता और ६१ प्रतिशत क्षेत्र की आवश्यकताएं ही पूरी हो सकेंगी।

चौथी योजना में हम देश के समूचे क्षेत्र और जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। जो सुविधाएं हैं उन का प्रयोग करना चाहिये। हमें इस योजना के सभी ट्रांसमीटर स्थापित करने चाहिए ।

जहां तक अफ्रीका की आवश्यकताओं को पूरा करने का सम्बन्ध है हमारा इरादा कुछ अफ्रीका के देशों के लिए प्रोग्राम प्रसारण करने का है। बम्बई और देहली कुछ अफ्रीका के देशों के लिए प्रसारण करेंगे। वहां अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की आवश्यकता है।

राज्यों को ८५,००० -'सामुदायिक रेडियो सेट" दिए जा चुके हैं। उन की देखभाल राज्य सरकारों ने करनी है। हम उन्हें १२५ रुपये प्रति सैट अर्थ सहायता दे रहे हैं। आशा है कि तीसरी

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बी० गोपाल रेड्डी]

योजना के अन्त तक हर गांव में जिस की संख्या ७०० अथवा ८०० है, "सामुदायिक रेडियो सैट" लग जायेंगे। वर्तमान वर्ष में, पहली व्यवस्था केवल ६१०० सामुदायिक 'सेट्स' की थी। आपातकाल के कारण योजना आयोग, वर्ष १९६३-६४ में २५,००० सेट का उपबन्ध करने के लिये सहमत हो गया है। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे हैं। 'सेट' उन की आवश्यकताओं के अनुसार बांटे जायेंगे।

'आकाशवाणी' शब्द के सम्बन्ध में मद्रास में आन्दोलन था। 'आकाशवाणी' शब्द मूलतः दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य ने प्रयुक्त किया। इस शब्द को सारे भारत भर में स्वीकार कर लिया गया है। इस में कोई गलती नहीं है। इस पर किसी के आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है।

तमिल के कार्यक्रमों में 'वानोली' शब्द प्रयोग किया जाता है। जब भी मद्रास और त्रिची स्टेशनों से तमिल प्रोग्राम होता है वे प्रोग्राम से पहले मद्रास 'वानोली' स्टेशन और त्रिची 'वानोली' स्टेशन कहते हैं। यह शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जबकि केवल तमिल प्रोग्राम ही हो क्योंकि दूसरे प्रोग्राम तमिल भाषी लोगों से अतिरिक्त अन्य भी सुनते हैं। हम चाहते हैं कि "राष्ट्रपति" "प्रधान मंत्री" कुछ शब्द सारे देश में प्रयोग किए जाएं।

†**श्रीमती लक्ष्मीबाई** (विकाराबाद) : जब भारतीय भाषाओं में किसी अंग्रेजी शब्द का इक्वीवेलेंट न मिले तो संस्कृत में से लेना चाहिये। इस में कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यह तो मैसूर से लिया गया है। मैं चाहता हूं कि 'विधान सभा' जैसे शब्द देश में सामान्य प्रयोग में लाए जाएं। तमिल में इसे "मक्कल सनरम" कहते हैं और इस तरह से समझने में कठिनाई हो जायगी।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :** आप इन शब्दों का प्रमाणीकरण क्यों नहीं करते हैं।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हम प्रमाणीकरण कर रहे हैं। उर्दू के प्रसारणों में भी हम 'प्रधान मंत्री' शब्द प्रयोग करते हैं 'वज़ीरे आज़म' नहीं। 'राष्ट्रपति' आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का सभी भाषाओं में प्रमाणीकरण किया जा रहा है।

अतः 'आकाशवाणी' शब्द गलत नहीं है। यहां सम्भव है "वानोली" शब्द का भी प्रयोग किया जाता हो। अतः इस शब्द पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

†**श्री धर्मलिंगम्** (तिरुवन्नामलाई) : क्या 'वानोली' शब्द से कोई आपत्ति है ?

†**श्री बी० गोपाल रेड्डी :** कोई ऐतराज नहीं। वह प्रयोग में लाया जा रहा है। अखिल भारतीय योजनाओं के लिए आकाशवाणी अच्छा शब्द है। भावनात्मक एकता के लिए एक ही शब्द का उपयोग अच्छा है।

जहां तक शुद्ध तामिल प्रोग्राम का सम्बन्ध है इस शब्द का प्रयोग होता है। जब दूसरे व्यक्ति सुनते हैं तो 'आल इंडिया रेडियो' या 'आकाशवाणी' शब्द का प्रयोग होता है। हमें "वानोली" शब्द के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हम 'आकाशवाणी' को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं।

निश्चय ही सभी स्टेशन कृषि के विशेषज्ञों द्वारा किसानों के लिए कृषि की समस्याओं पर प्रसारण करवाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अहमदाबाद में कुछ लोगों को जोकि लोकप्रिय नहीं हैं निमंत्रित किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा।

आकाशवाणी से प्रसारण का काम बड़ा कठिन है। हमें १७ मुख्य भाषाओं, ५१ स्थानीय भाषाओं और ८८ आदिमजाति भाषाओं में प्रसारण करना पड़ता है। ये सब बातें एक रात में तो हो नहीं सकतीं। गाने और वार्ताएं एकदम तो तैयार नहीं हो सकतीं। हमें चीनी अतिक्रमण की आशा नहीं थी। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और गाने एकदम तैयार तो रखे नहीं होते। हमें चीनी आक्रमण की आशा नहीं थी। 'आकाशवाणी' की कोई हिचकचाहट नहीं थी। जो काम आकाशवाणी ने किया उस की सराहना की गई है। आशा है कि वर्तमान आपातकाल में लोगों का नैतिक साहस बनाये रखने में 'आकाशवाणी' अपने अच्छे काम को अधिकतर साहस से जारी रखेगी।

हम यह नहीं चाहते हैं कि बड़े समाचारपत्र छोटे समाचारपत्रों को हानि पहुंचा कर स्वयं प्रगति करें। हम नहीं चाहते कि उद्योगपति समाचारपत्रों के मालिक हों। हम नहीं चाहते कि समाचारपत्रों के स्वामि समाचारपत्र के व्यक्तित्व पर छा जाएं। सीमित विचारधारा लोकतंत्र के विकास के लिए अवांछनीय है। कई प्रकार के समाचारपत्र हैं। और पढ़ने वाली जनता के लिए कई किस्म के समाचारपत्र होने चाहिएं। समपादक भी उच्चकोटि के होने चाहिएं। हम चाहते हैं कि यथासम्भव उद्योगपति समाचारपत्रों के स्वामि न हों। परन्तु कई वर्ष से ऐसा चल रहा है। हम बड़े शहरों में प्रकाशित समाचारपत्रों की अपेक्षा छोटे समाचारपत्रों की किस प्रकार सहायता कर रहे हैं—इस मामले पर सब पहलुओं को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है। सरकार ने प्रेस परिषद् बनाने के लिए अगले सत्र में विधेयक पेश करने का निर्णय किया है। विधेयक के पारित होने के बाद शीघ्र ही प्रेस परिषद् गठित कर दी जाएगी : वह बड़े शहरों के समाचारपत्रों, और समाचारपत्रों के सम्बन्ध में एकाधिकार की प्रवृत्ति के प्रश्न की जांच करेगी। यह कठिन समस्या है। इस के लिए कई अधिनियमों का संशोधन करना पड़ेगा। शायद संविधान का भी संशोधन करना पड़े। इस मामले पर धैर्य से विचार किया जायगा, क्योंकि इस में कई वैधिक और संवैधानिक पहलू हैं। इस मत से हर कोई सहमत है कि प्रेस की शक्ति थोड़े हाथों में नहीं होनी चाहिए। इस संकट की स्थिति में कौन से समाचारपत्र किस प्रकार की आलोचनाएं इत्यादि दे रहे हैं इस बात पर गृह-कार्य मंत्रालय हमारे मंत्रालय के सहयोग से निगरानी रखता है। मोटे तौर पर कुछ समाचारपत्रों को छोड़ सभी की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है।

एकाधिकार के सम्बन्ध में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। एक तो यह है कि दूसरे उद्योग समाचारपत्र उद्योग पर छा जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी प्रवृत्ति यह है कि एक ही समाचारपत्र कई पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू कर देता है। तीसरी प्रवृत्ति यह है कि कई बार वे किसी राजनैतिक दल के पत्र बन जाते हैं। वे स्वतंत्रत दृष्टिकोण नहीं अपनाते, परन्तु किसी दल के विचारों को व्यक्त करते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : एक तो धन से प्राप्त एकाधिकार है, दूसरा राजनैतिक एकाधिकार है।

†**श्री बे० गोपाल रेड्डी** : प्रैस संस्था में भाषण देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि जिस सम्पादक के अपने दृढ़ विचार नहीं हैं या जिस सम्पादक के इतने दृढ़ विचार हैं कि वह और कुछ देखता ही नहीं दोनों ही ठीक नहीं हैं। यह स्वतंत्र समाचारपत्रों के विकास के लिए वांछनीय नहीं है। सम्पादक को

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

निष्पक्ष रूप से आलोचना करनी चाहिए और उस पर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। संपादक का उस के लेख में व्यक्तित्व होना चाहिए। इस के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। देखें कि क्या प्रेस परिषद् सतोषजनक रूप से इन समस्याओं का समाधान कर सकेगी। शीघ्र ही विधेयक लाया जाएगा।

श्री म० ला० द्विवेदी की शिकायत है कि सीमा पर सैनिकों के लिये प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्र नहीं भेजे गए यह बात ठीक नहीं है जब भी लद्दाख या नेफा को समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भेजे गये तो उन के दलों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रतिनिधि नहीं थे। यह सही बात नहीं है कि केवल अंग्रेजी पत्रों के संवाददाता भेजे गये थे। प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को भी मांगने पर कई सुविधायें दी गईं और उन के प्रतिनिधियों को भी सीमान्तक्षेत्र में भेजा गया।

सरकार की यह नीति है कि छोटे समाचारपत्रों की सहायता की जाये। अखबारी कागजों अथवा विज्ञापनों के बारे में भी, हम यह देखेंगे कि क्या हम उन की सहायता कर सकते हैं। अखबारी कागज देने में छोटे समाचारपत्रों से पक्षपात का व्यवहार किया जाता है। यदि उन्हें १०० टन से कम अखबारी कागज की जरूरत हो तो, सभी निर्यात किये गये भाग में से मंजूर कर दिया जाता है जो कि सस्ता होता है और हम उन पर नेपा अखबारी कागज नहीं थोपते। जो बड़े अखबार १०० टन से अधिक अखवारी कागज लेते हैं तो उन्हें २५ प्रतिशत नेपा कागज दिया जाता है, यद्यपि यह आयात किये गये अखबारी कागज से अधिक मूल्य का होता है। छोटे अखबारों के लिये निर्धारित अखबारी कागज के भाग में २ १।२ प्रतिशत कटौती भी नहीं की जाती। बड़े समाचारपत्रों के भाग में २ १।२ प्रतिशत कटौती की जाती है। ६ पृष्ठों वाले समाचारपत्र ८ पृष्ठों का अखबारी कागज मांग सकते हैं। एक सप्ताह में रविवारीय परिशिष्ट मिला कर ८.५७ पृष्ट हो जाते हैं। छोटे समाचारपत्रों को यह प्रोत्साहन दिया जाता है जब कि बड़े समाचारपत्र ५७ या ६१ जो भी कम हो तक सीमित कर दिये गये हैं। छोटे अखबारों पर यह प्रतिबन्ध बिल्कुल नहीं होता।

जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है यद्यपि स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, फिर भी विज्ञापनों के सम्बन्ध में पहली बार प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को निर्धारित मान का ५१.१ प्रतिशत मिलता है। इस का अर्थ यह है कि विज्ञापनों के सम्बन्ध में अंग्रेजी समाचारपत्रों को लगभग ४९ प्रतिशत मिलता है और प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को लगभग ५१ प्रतिशत मिलता है। पहले ४३, ४८ प्रतिशत हुआ करता था। पहली बार ५० प्रतिशत की सीमा को पार किया है। वर्गीकृत विज्ञापनों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी अपर्याप्त है। पहले ८ प्रतिशत हुआ करता था। वर्गीकृत विज्ञापनों के लिये निर्धारित धन का ८ प्रतिशत प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को दिया जाता था।

†**श्री हेम बरुवा** : एक समाचारपत्र जो कि प्रारम्भिक अवस्था में है उसे २५,००० प्रतियों के लिये अखबारी कागज देने की मेरे इतराज के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं उस के बारे में भी कहूंगा। इस वर्ष वर्गीकृत विज्ञापनों के सम्बन्ध में उन्होंने एक-तिहाई की सीमा पार कर ली है। एक वर्ष पूर्व यह ८ प्रतिशत थी। पिछले वर्ष १९६१–१९६२ में यह २१.६ प्रतिशत थी और १९६२–६३ में फरवरी तक यह ३३.७ प्रतिशत है —— मैं धन के बारे में कह रहा हूं। स्थान के बारे में भी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोया** (कोजीकोड) : थोड़े ही पत्रों को विज्ञापन मिलते हैं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : लगभग ८०० प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्र हैं जिन्हें विज्ञापन दिये जाते हैं, यह नीति विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में हमें संघ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श करना है । हम इस बात को देखेंगे कि क्या हम प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को कुछ और धन दे सकते हैं ।

†**डा० म० श्री० अणे** (नागपुर) : मान लीजिये एक अंग्रेजी समाचार पत्र जिसे विज्ञापन दिये जाते हैं वह प्रादेशिक भाषा में भी समाचारपत्र आरम्भ करता है तो क्या उसे भी विज्ञापन दिये जायेंगे ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : वर्तमान नीति के अनुसार उन में से एक जो अधिक लोकप्रिय हो उस को विज्ञापन दिये जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : ग्राहक संख्या के हिसाब से क्यों नहीं विज्ञापनों का बंटवारा करते ?

†**डा० बे० गोपाला रेड्डी** : यह केवल परिचालन के आधार पर ही नहीं किया जा सकता है । प्रत्येक समाचार पत्र जो कि अपेक्षित मापदण्ड के अनुसार होता है उसे विज्ञापन देने के लिये विचार किया जाता है । निधियों और किस प्रकार का प्रचार करता है इस बात का ध्यान रखा जाता है । जिन समाचारपत्रों का १००० या अधिक का परिचालन है यदि वे अन्य मापदण्ड के अनुसार हों तो उन्हें उचित विज्ञापन दिये जाते हैं । इस समय भारत सरकार के विज्ञापन १२०० से अधिक पत्रों में छप रहे हैं । वास्तव में कुल कागजों में से ७५ प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल किये जाते हैं और ५५ प्रतिशत स्थान १००० से १०००० तक के कम परिचालन की श्रेणी में सामान्य विज्ञापनों के काम में लगता है । चूंकि निधियां सीमित हैं अतः सभी पत्रों को प्रत्येक विज्ञापन के लिये प्रयोग में भी लाया जा सकता है ।

†**डा० गोविन्द दास** (जबलपुर) : इन १२०० समाचारपत्रों में से कितने अंग्रेजी के समाचार पत्र हैं और कितने प्रादेशिक भाषाओं के हैं । जो धन विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है, उस में से कितना अंग्रेजी के पत्रों को दिया जाता है और कितना प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों को दिया जाता है ?

†**डा० बे० गोपाला रेड्डी** : ७०० या ८०० या इस से भी अधिक प्रादेशिक भाषाओं के पत्र हैं । वर्गीकृत विज्ञापनों के सम्बन्ध में राशि का ३३.७ प्रतिशत प्रादेशिक भाषाओं को दिया जाता है और शेष अंग्रेजी के पत्रों को । सामान्य विज्ञापनों के सम्बन्ध में राशि का ५१.१ प्रतिशत तो प्रादेशिक भाषा के पत्रों को दिया जाता है और शेष अंग्रेजी के पत्रों को । सामान्य विज्ञापनों में तो प्रादेशिक भाषाओं के पत्र आते हैं परन्तु वर्गीकृत भाषाओं के सम्बन्ध में यह एक तिहाई है । हम भाषाई पत्रों के प्रतिशत को यथा संभव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, परन्तु हमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना पड़ता है, क्योंकि हम उन के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं ।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप भारतीय भाषाओं के पत्रों को लैंग्वेज पेपर कहते हैं, क्या अंग्रेजी सुपर लैंग्वेज है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी को हम अपनी लैंग्वेज नहीं समझते ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : "भाषाई पत्र" और "अंग्रेजी पत्र" अच्छी प्रकार समझे जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री योगेन्द्र झा : हमें अपने पत्रों को इंडियन लैंग्वेज पेपर कहना चाहिये ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम "अंग्रेजी भाषाई पत्र" कह सकते हैं ।

अब मैं फिल्मों के प्रश्न को लेता हूं । इस सम्बन्ध में हमारे निदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं । हम नहीं चाहते कि कोई अश्लील चीज सिनेमा में दिखाई जाये । हम चाहते हैं कि फिल्म उद्योग हमारा उद्धार करे ।

श्री भक्त दर्शन : आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है ।

श्री बे० गोपाल रेड्डी : मैं क्या करूं ।

†**डा० गोविन्द दास** : सेंसर ढीला है ।

†**डा० गोपाल बे० रेड्डी** : कुछ कहते हैं कि बहुत 'ढीला' है और कुछ कहते हैं कि बहुत कड़ा । मैंने कुछ विदेशी लोगों की राय ली है । मैं ने उन से पूछा "हमारे सेंसर के नियमों के बारे में आप की क्या राय है" ? उन्होंने कहा " आपके नियम बहुत कड़े हैं" जो कुछ हम रहने देते हैं या जापान या इंग्लैंड आदि देश रहने देते हैं वह यहां काट दिया जाता है । उद्योगपति भी इसे बिल्कुल नहीं पसन्द करते" सभा में और अन्यत्र यह राय है कि सेंसर सख्त नहीं है । हम जजों की तालिका पर इस बात का बल देंगे कि स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता है ।

कुछ दिन पूर्व सभा में इस आशय का गैर-सरकारी संकल्प रखा गया था कि फिल्मों की लम्बाई ११,००० फीट से अधिक नहीं रखी जाये । अब १०,६६३ फीट से लम्बी प्रत्येक फिल्म पर अधिक उत्पादन शुल्क देना होगा । अर्थात् हम अप्रत्यक्ष रूप से उन पर इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं कि फिल्मों की लम्बाई १०,६६३ फीट से अधिक न होने पावे । मैं आशा करता हूं कि इससे फिल्मों के स्तर में सुधार होगा ।

हम फिल्मों के स्तर में सुधार करने का भी प्रयत्न करेंगे । पिछले १० वर्षों के दौरान फिल्मों के स्तर में काफी सुधार हुआ है । हमारे कुछ फिल्मों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है ।

तथापि स्टूडियो और थियेटरों का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं है । वस्तुतः रचनात्मक कला में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है । सरकार इस क्षेत्र में नहीं घुसना चाहती है ।

सारे राष्ट्रीय थियेटरों में राष्ट्रीय धुन बजायी जायेगी । यह धुन १८ सेकिंड तक बजेगी । पूरे राष्ट्रीय गान में ५७ सेकिंड लगेंगे । सम्भव है कुछ लोग इतनी देर तक खड़े न रहना चाहें । अतः हमने गृह मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत संक्षिप्त रूप ही बजवाना आरम्भ किया है । मेरे विचार से इससे हम जनता में अनुशासन की वह भावना पैदा कर सकेंगे जो अपेक्षित है ।

जहां तक कुछ लोगों के खड़ न होने का प्रश्न है लोगों में अनुशासन की आदत बनाने में कुछ समय लगेगा ।

हमारे पास 'अपने देश को जानिये' जैसी कोई फिल्म सीरीज नहीं है तथापि हम बड़ी परियोजनाओं नागालैण्ड तथा बम्बई इत्यादि के सम्बन्ध में फिल्में दिखा रहे हैं । जहां तक 'अपने देश को जानिये' के बारे में फिल्में बनाने का प्रश्न है हम इस पर विचार करेंगे । निस्सन्देह देश के एक भाग की फिल्में बना कर दूसरे भाग में दिखाने से लोगों में एकता की भावना का विकास होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक 'दिल तेरा दीवाना' फिल्म का सम्बन्ध है, यह फिल्म मद्रास में बनी यह बात गलत है कि उसे उन लोगों ने स्वीकृत की जो हिन्दी नहीं जानते थे। कम से कम २ व्यक्ति ऐसे थे जो हिन्दी जानते थे और २ ऐसे थे जो हिन्दी नहीं जानते थे। उस फिल्म को मद्रास के हिन्दी और उर्दू जानने वाले व्यक्तियों ने देखा। वस्तुतः यह एक तमिल फिल्म का हिन्दी रूपान्तर है।

यह कहा गया है कि फिल्म डिवीजन ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी बड़ी फिल्में नहीं बनाई हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने २० छोटी फिल्में (क्विकीज) और ७ डाक्यूमेंटरी बनायी हैं। इनमें 'शिपिंग लाइन' और "यूनाइटेड वी स्टैंड' नामक डाक्यूमेंटरी भी हैं। यद्यपि हम चीनियों के समान कलुषित प्रचार नहीं कर रहे हैं तथापि हमने भी काफी अच्छा कार्य किया है।

श्री मल्होत्रा द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि उचित स्तर बनाये रखने का पूरा प्रयत्न किया जाता है तथापि यह कार्य सरकारी नहीं है इसके लिये गैर-सरकारी संगठन जिम्मेदार है।

श्री मल्होत्रा ने कहा है कि "आन टू विक्ट्री" (विजय की ओर) प्रदर्शनी देश के सब नगरों में दिखायी जानी चाहिये। यह प्रदर्शनी २० लाख व्यक्तियों को दिखायी जा चुकी है। तथा इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा है।

जहां तक पुस्तिकाओं और पोस्टरों का सम्बन्ध है, विज्ञापन तथा प्रचार निदेशालय ने १० करोड़ पोस्टर छपवाये हैं। इसके अतिरिक्त २० पोस्ट तथा १७ फोल्डर भी छापे गये हैं। उन्हें राज्य निदेशकों, जिला नियोजन अधिकारियों, राज्य प्रचार अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को भेजा गया है। ये पोस्टर कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किये गये। मैंने उन्हें तेलगु, उर्दू और हिन्दी में देखा। यदि वे विभिन्न भाषाओं में इन पोस्टरों की संख्या चाहिये तो मैं दे सकता हूं।

प्रकाशन विभाग की भी कुछ आलोचना की गयी है। प्रकाशन विभाग ने २४ लाख पुस्तिकायें वितरित की हैं। १४ पुस्तिकाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किया गया है। यह सारा मुद्रण हमारे प्रेसों में नहीं हो सकता है अतः गैर-सरकारी प्रेसों को दिया जाता है। सम्भव है कुछ गल-तियां रह गयी हों।

श्री हेम बरुआ ने पूछा है कि एक विशेष पत्र को २५,००० प्रतियों के लिये न्यूज प्रिंट क्यों दिया गया। सामान्यतः हमारी नीति यह रही है कि हम पहिले १०,००० प्रतियों के लिये न्यूजप्रिण्ट देते हैं। तदुपरान्त तीन महीने पश्चात् स्थिति का पुनरीक्षण करते हैं। तथापि इस आदेश को जारी करने से पहिले एक समाचार पत्र को ३५००० प्रतियों के लिये न्यूजप्रिण्ट दिया गया। जब इस समाचार पत्र ने बताया कि यह राजधानी से प्रकाशित होने जा रहा है, तथा उसका मूल्य केवल ८ नये पैसे होगी तथा उसमें २५ प्रतिशत से अधिक विज्ञापन नहीं रहेंगे तो हमने उसे प्रोत्साहित करने का निश्चय किया। यह पुराने और जमे हुए समाचार पत्रों का मुकाबला करेगा। यह सस्ता और सामान्य जनता के उपलब्ध होगा। उन्होंने ५०,००० से ६०,००० प्रतियों के लिये न्यूजप्रिण्ट की मांग की थी तथापि हमने कहा कि उन्हें २५,००० से आरम्भ करना चाहिये।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि यह एक ऐसी संस्था का पत्र है जिसकी आरितयां ७२ लाख रुपये की हैं तथा जो एक समाचार पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं जिसकी केवल ४,००० प्रतियां निकलती हैं। क्या इसके साथ इस कारण विशेष पक्षपात नहीं किया गया है कि यह सरकार के एक विशेष अंग का समर्थन करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बे० गोपाल रेड्डी :** मैं केवल इस कारण कि कोई विशेष पत्र मेरे पक्ष का समर्थन नहीं करता है, उसका विरोध नहीं करूंगा । हमने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया केवल यह देखा कि १०,००० प्रतियों के प्रकाशन से यह पत्र स्वावलम्बी नहीं हो सकता है ।

जहां तक टेलीविजन का प्रश्न है, इस वर्ष इसके लिये ४० लाख का उपबन्ध कर लिया है जिसमें से २८ लाख विदेशी उपकरणों में व्यय होंगे ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अभी माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि जिस पत्र ने आठ नये पैसे में दैनिक पत्र निकालने की बात कही है, उसकी क्या गारण्टी है कि आगे भी वह ८ पैसे ही उसकी कीमत रखगा उसे बढ़ायेगा नहीं । और साथ ही इसकी क्या गारण्टी है कि वह एडवर्टाइजमेंट स्पेस बाद में ज्यादा नहीं कर देगा ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : सम्भव हो यह लिखित हो अथवा आवेदन पत्र में दिया गया हो । तथापि इस बात का निश्चित आश्वासन दिया गया है कि पत्र की कीमत ८ नये पैसे होगी तथा विज्ञापन २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

श्री हेम बरुआ उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस बात से सन्तुष्ट हैं कि यह पत्र सस्ता होगा और सामान्य लोग खरीद सकेंगे किन्तु उन्हें आशंका है कि जब इसे सब सुविधाएं मिल जायेगी तो वे मूल्य बढ़ा देंगे ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** उनका कथन है कि यह पत्र सस्ता होगा और अन्य संगठित पत्रों में ५० प्रतिशत जगह विज्ञापनों को दी जाती है जबकि इसमें २५ प्रतिशत जगह विज्ञापनों के लिए होगी । इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने उन्हें २५,००० प्रतियां निकालने की अनुमति दी है ।

†**श्री हेम बरुआ :** अब भी इन्होंने उत्तर नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे इस समय आश्वासन नहीं दे सकते किन्तु उनसे मेरा सुझाव है कि वे सदस्यों की आशंका की जांच करें ।

†**श्री हेम बरुआ :** हमें यह भी आशंका है कि इस पत्र की विचारधारा क्या है और माननीय मन्त्री भी उसी विचारधारा के हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिये ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मुझे प्रसन्नता है कि कल की चर्चा में प्रेस सूचना विभाग की अधिक आलोचना नहीं की गई । १ नवम्बर, १९६२ से मार्च १९६३ तक इस विभाग के समाचार पत्रों को कुल ६ लाख शब्दों के ८११ लेख भेजे हैं जिनमें आपातकाल में सामान्य जनता के प्रयत्नों, अनुकूल विदेशी पत्रों के कार्यों और चीनी आक्रमण सम्बन्धी टिप्पणियों, आक्रमण में उनके उद्देश्यों और चीन के अन्दर की स्थिति का उल्लेख किया गया था । विभाग अब भी विशेष विषयों का लिखित वृतान्त देने की पृष्ठभूमि सम्बन्धी सेवा कर रहा है । मैं समझता हूं कि वह यह कार्य अच्छी प्रकार कर रहा है । पटना के भाषीय पत्रों में मैंने विभाग की प्रशंसा पढ़ी है । उन्हें काफी सामग्री, चित्र आदि प्राप्त हो रहे हैं । छोटे पत्र निश्चय ही विभाग के प्रशंसक हैं ।

टेलीविजन के सम्बन्ध में तीसरी योजना में ४० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । मैंने बम्बई के लोगों से कहा था कि तीसरी योजना में बम्बई में टेलीविजन की व्यवस्था कर दी जायगी । किन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

४० लाख रुपये में २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अपेक्षित है। यदि २०.८ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मिल गई तो हम यह कार्य कर सकेंगे अन्यथा इसे चौथी योजना के लिए स्थगित करना होगा। इस विभाग की आलोचना में श्री बरुआ ने अवश्य कुछ प्रश्न उठाये हैं जसा कि वे उठाया ही करते हैं।

श्री मल्होत्रा ने प्रशिक्षण सुविधाओं की बात उठाई थी। हाल ही में फोर्ड फाउण्डेशन के लोग यहां आये हैं किन्तु उनका उद्देश्य यह सिखाने का नहीं कि चीनियों के विरुद्ध कैसे प्रचार किया जाये, प्रत्युत् उन्हें देखना है कि यहां क्या हो रहा है और प्रशिक्षण की सुविधाएं कैसी हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि हम पत्रकारों, रेडियो के लोगों और चल चित्रों में काम करने वालों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाय। उनकी रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया जा सका। उनका विचार है कि भारत में इस प्रकार के केन्द्र से समस्त दक्षिण पूर्व एशिया को लाभ हो सकता है।

मैं सदस्यों द्वारा की गई प्रशंसा के लिए आभारी हूं किन्तु हममें आत्म तुष्टि नहीं है। हम विज्ञापन, प्रकाशन विभाग, गीत,नाटक विभाग और क्षेत्रीय प्रचार विभाग के स्तर के सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन विभागों की चर्चा नहीं हुई किन्तु ये संगठन के महत्वपूर्ण अंग हैं। असम सरकार और नेफा प्रशासन का भी अनुरोध था कि वहां क्षेत्रीय प्रचार के एकक भेजे जायें। उनका कार्य अच्छा है और उसकी प्रशंसा की गई है। अतः हमें देखना है कि हम कैसे लोगों की प्रत्याशा के अनुरूप काम कर सकते हैं और लोगों का उत्साह बनाये रखने में सफल हो सकते हैं।

अन्त में मैं पुनः सदस्यों की प्रशंसा के लिए फिर आभार प्रकट करता हूं।

†**श्री महीड़ा :** ७३७ गुजराती भाषी वाणिज्यिक संस्थाओं ने हिसाब लगाया है कि गुजरातियों के पास ४७ प्रतिशत लाइसेंस हैं। मैं स्पष्टतया चाहता हूं कि क्या यह ठीक है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मेरा विचार है कि यह ठीक नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६५	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	१६,१२,०००
६६	प्रसारण	५,१५,०६,०००
६७	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	३,६३,५७,०००
१३२	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	२,७२,७५,०००

†मूल अंग्रजी में

शिक्षा मंत्रालय

वर्ष १९६३-६४ के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१४	शिक्षा मन्त्रालय	४०,४१,०००
१५	शिक्षा	१५,४४,५८,०००
१६	शिक्षा मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	२,२६,४९,०००
११७	शिक्षा मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	१,४६,०००

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आपातकाल में शिक्षा की महत्ता और भी बढ़ गई है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में हम संविधान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके क्योंकि प्रतिवेदन के अनुसार १९६५-६६ में ६-११ आयु के ७६.४ प्रतिशत लोगों को शिक्षा सुविधा दी जायेगी।

कलकता जैसे बड़े बड़े नगरों में बच्चों को स्कूलों में स्थान नहीं मिलता। अध्यापकों की संख्या भी कम है। मंत्री महोदय द्वारा बताई गई ८०,००० की संख्या प्रमाण है।

राज्य में अध्यापकों का राजनैतिक कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सांविधानिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसी प्रथा को रोकना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए तो माननीय मंत्री प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। आयोग ने काफी समय बीत जाने पर भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तर और परीक्षाओं के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। स्नातक उपाधि के लिए तीन वर्ष के पाठ्यक्रम से प्रत्याशित फल नहीं प्राप्त हुआ और अभी तक उस का मूल्यांकन नहीं किया गया।

शिक्षा मंत्रालय में अनेक समितियां हैं। आपातकाल से यह लाभ हुआ है कि ये समितियां महत्वहीन हो गई हैं। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के होते हुए इन की क्या आवश्यकता है। समितिमों और आयोग के कामों में समन्वय भी नहीं है।

माननीय मंत्री ने प्रतिवेदन में बताया है कि प्रामाणिक रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है। राज्यों में अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में भी ये पुस्तकें तैयार होनी चाहियें। हम ने इस दिशा में इतनी कम प्रगति की है कि शिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय भाषाओं के बनाने की बातों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यदि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा बनी रही तो हमारी शिक्षा का स्तर और भी गिरता रहेगा।

†मूल अंग्रेजी में

विश्व भारती जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए मानवीय मंत्री का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है किन्तु विश्वभारती की स्थिति बहुत खराब है। वहां अध्यापक छात्रों के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये हैं। कवि रविन्द्र ने विश्वविद्यालय का जैसा स्तर निर्माण किया था वह नहीं रहा और अन्य कई प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। वर्धा की संस्था की भी वही स्थिति है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास "दी एंड आफ एम्पायर" नामक पुस्तक का सस्ता संस्करण निकाला है। यदि "इंडियन वार एंड इटस डिवेलपमेंट" या "फिलासफीज आफ इंडिया" नामक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं तो मैं उस की प्रशंसा कर सकता था। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की "नेशन इन मेकिंग" और महात्मा गांधी की "मदर इंडिया" नामक पुस्तकें काफी समय से नहीं मिल रही। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के काम में काफी सुधार की आवश्यकता है।

छात्रवृतियां देने के काम के लिए मैं मंत्री महोदय की प्रशसा करता हूं किन्तु अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अधिकांश रिहायशी स्कूलों में ऐसा ध्येय पैदा किया जाता है कि इन स्कूलों को विशेष महत्व देना अनुचित है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तथाकथित सम्भ्रांत वर्ग इन स्कूलों में बच्चों को भेजता है जहां उन्हें विशेष लहजे में अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। हमें उन लोगों को छात्रवृतियां देना चाहिये जो सामान्य स्कूलों में भी बच्चों को नहीं भेज सकते।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में मैं सरकार को बधाई दे सकता हूं। यह सब से सस्ता और आसान तरीका है जिससे राष्ट्रीय एकता के साथ साथ बच्चों में ऐसे गुण पैदा किए जा सकते हैं जो राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक हैं। हमें इस पर और अधिक बल देना चाहिये।

खेलों का विषय बहुत जटिल है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के हित काम कर रहे होते हैं। तो भी मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में विशेष कदम उठाने चाहिये।

खेल के क्षेत्र में श्री कर्णीसिंह जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। विश्व खेल प्रतियोगिता के लिए अभी से तयारी करनी चाहिये और हाकी में सर्व प्रमुख होने का प्रयत्न करना चाहिये। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में अधिक अधिकार मिलने चाहिये जिससे वे गड़बड़ को दूर कर सकें।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि गांधी के दर्शन पर भाषणों की व्यवस्था की जाती है किन्तु उस में केवल कट्टर गांधी पंथियों के ही भाषणों का आयोजन नहीं होना चाहिये बल्कि श्री आशिक जैसे कवि को भी अवसर देना चाहिये जिसने गांधीजी के साथ कई वर्ष काम किया। उन पर दो पुस्तकें लिखीं। यद्यिप उसका दृष्टिकोण गांधीजी से भिन्न हो गया था। विश्वविद्यालयों को बताना चाहिये कि गांधी दर्शन से भिन्न दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करना चाहिये अन्यथा हम गांधी दर्शन से कुछ नहीं पा सकेंगे।

राष्ट्रीय पुरातत्वों के सम्बन्ध में विधान के बारे में मुझे यही कहना है कि उसका प्रशासन भिन्न प्रकार का होना चाहिये। आज यदि मैं जलियांवाला बाग के काम के बारे में पुरातत्वों का अध्ययन करना चाहूं तो गृह मंत्री के प्रतिवेदनों का सामना करना पड़ेगा। श्री गोविंद दास को इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मंत्री महोदय को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

पता लगा है कि सरकार संविधान में संशोधन करके शिक्षा के सम्बन्ध में अधिकार पाने की बात सोच रही है। इस से तो राज्यों का स्वायत्त ही समाप्त हो जायगा। इस सम्बन्ध में अधिकारों का उचित सन्तुलन होना चाहिये और संविधान में संशोधन ठीक नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री गोविन्द दास । वे दस मिनट लेंगे ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष होदय, मैं शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर जब बोलता हूं उस समय हमेशा जिस विषय को मैं शिक्षा की नींव मानता हूं उस पर कुछ कहता हूं । हमारे शिक्षा मंत्री डा० श्रीमाली को और उनके योग्य सचिवश्री रमा प्रसन्न नायक को इस बात पर बधाई देता हूं कि जब से श्रीमाली जी ने शिक्षा मंत्रालय सम्हाला और श्री रमा प्रसन्न नायक उनके सचिव के रूप में यहां आये, तब से हिन्दी का कुछ काम हुआ है । इस पर बधाई देते हुए भी मैं एक बात फिर निवेदन करूंगा कि अभीं भी इस कार्य की गति धीमी है । दृष्टान्त के लिए अभी भी शब्दावली पूरी नहीं बन पाई है । हालांकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शब्दावली इतनी बन चुकी है कि हम अपने राज्य कार्यों को, सचिवालय के कार्यों को और संसद के कार्यों को बिना एक शब्द भी अंग्रेजी का लिये हुए चला सकते हैं । कुछ ऐसे विषय अवश्य रह गये हैं जहां पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन की शब्दावली अभी नहीं बनी है और हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा ।

जहां तक वैज्ञानिक शब्दावली का सम्बन्ध है, मैं सदा कहता रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के सदृश, मैं कोई शब्दावली नहीं मानता हूं । अंग्रेजी की जो शब्दावली है वह इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों, कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अमरीका में ही चलती है । शेष देशों की अपनी शब्दावली है और यदि हम अंग्रेजी की शब्दावली पारिभाषिक या वैज्ञानिक, वैसी की वैसी अपनायेंगे तो फिर हिन्दी भाषा या प्रान्तीय भाषायें, हिन्दी भाषा या प्रान्तीय भाषाये न रह कर कुछ दूसरी ही चीजें हो जायेंगी । इसको मैं स्वीकार करता हूं कि वैज्ञानिक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली ऐसी बननी चाहिये जो हमारे संविधान में स्वीकृत समस्त भाषाओं के काम में आ सके ।

मैं बता रहा था कि अभी भी गति धीमी है । दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं । फार्म्स, संहितायें, नियमावलियां यानी कोर्ट मैनुअल्ज इत्यादि केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय बहुत धीरे धीरे बना रहा है । एक बात के लिए केन्द्रीय निर्देशालय धन्यबाद का पात्र है कि उसने एक सुन्दर त्रैमासिक पत्रिका निकाली है "भाषा" । मैं चाहता हूं कि यह त्रैमासिक पत्रिका भी मासिक पत्रिका हो जाये ।

तीसरी देरी का दृष्टान्त मैं अब देने जा रहा हूं, यह टाइपराइटर के सम्बन्ध में है । टाइपराइटर का बोर्ड निश्चित होने पर भी अभी वह बोर्ड व्यवहार में कार्यरूप में, परिणत नहीं हो रहा है । न पुराने टाइपराइटर उस के सदृश बन रहे हैं और न नए ही आ रहे हैं । इस से बहुत असुविधा हो रही है हिन्दी को चलाने में । मैं आशा करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए ।

एक बात इस सम्बन्ध में सबसे महत्व की मानता हूं और वह शिक्षा के माध्यम के विषय में है । तेरह वर्ष में शिक्षा के माध्यम के लिए जो पुस्तकों की कमी थी वह कभी पूरी हो जाती यदि इस ओर ध्यान दिया जाता । अब यह कार्य आरम्भ हुआ है । देखना है कि जो पुस्तकें लिखाई गई हैं या लिखाई जा रही हैं वे किस प्रकार की हैं । यह तो उनके प्रकाशित होने पर ही ज्ञात होगा । लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की हैं जो साहित्य तैयार हो रहा है वह ऐसे लोगों से लिखाया जा रहा है जो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं । मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जिन लोगों से साहित्य लिखाया जाए उन लोगों को हमारा जो वैज्ञानिक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली का आयोग है, कुछ दिन के लिए इस कार्य के लिए उधार ले ले और उनको केवल यही काम सौंपा जाए । अगर यह काम किया गया तो उनकी जो आज अपने कार्य में व्यस्तता रहती है और जिसके कारण साहित्य निर्माण में देरी होती है वह नहीं होगी और यह काम आगे बढ़ेगा और अच्छी से अच्छी पुस्तकें भी एक वर्ष के भीतर तैयार हो सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो प्राध्यापक अभी अंग्रेजी द्वारा पढ़ाते है वे यदि प्रान्तीय भाषाओं द्वारा पढ़ाने की योग्यता प्राप्त कर लें तो उनको विशेष पुरस्कार दिये जाने चाहियें ।

शिक्षा की गति में तीव्रता लाने के लिए यह स्वाभाविक है कि शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषायें हों। जहां जहां वैज्ञानिक और शस्त्रीय उत्पादन हुआ है, उन उन देशों के उत्पादन की ओर यदि आप देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां उत्पादन इसीलिए तीव्र गति से हो सका है कि उस उत्पादन को करने वाले जो इंजीनियर थे, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा में शिक्षा पाई थी । मैं चीन का ही आप को उदाहरण देता हूं जिससे आज हमारा झगड़ा है । चीन में इस प्रकार के इंजीनियरों और दूसरे लोगों को स्वयं की भाषा के द्वारा तैयार किया जाता है। जब तक यह न हो तब तक हम अपने उत्पादन को भी उस गति से नहीं बढ़ा सकते हैं जिस गति से हम को बढ़ाना चाहिये । चीन का तो यह हाल है कि उनका एक सुयोग्य मिस्त्री भी सीधा विश्वविद्यालय में भेज दिया जाता है । शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा होने के कारण सिद्धान्त पक्ष की शिक्षा उसे कुछ ही दिन में मिल जाती है और वह योग्य इंजीनियर बन जाता है । इस सम्बन्ध में मैं डा० डी० एस० कोठारी जो बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनकी राय आप के सामने रखना चाहता हूं उनकी राय यह है कि अपनी मातृ भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का कितना लाभ है उसका बखान नहीं किया जा सकता विदेशी भाषा की शब्दावली को तोते की तरह रटने से बुद्धि कुंठित हो जाती है ।

विज्ञान के मूल भाव आदिकालीन अनुभवों पर आधारित होते हैं अतः यदि कक्ष में उन्हीं भावों के लिए अलग शब्दावली और बाहर भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया तो स्वाभाविक समझदारी कुंठित होगी ।

डा० गोविन्द दास: दूसरा सुझाव मेरा यह है कि संस्कृत से निकला हुआ प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य हिन्दी क्षेत्रों के लिए देवनागरी लिपि में और हिन्दी का साहित्य प्रान्तीय भाषाओं की लिपियों में निकालने की एक योजना बननी चाहिये । जहां तक दक्षिण की भाषाओं का सम्बन्ध है, वहां उस साहित्य का अनुवाद करना पड़ेगा । उस साहित्य का अनुवाद हो और मूल के साथ देवनागरी में निकले। हिन्दी का उनकी भाषाओं में अनुवाद हो और मूल के साथ उनकी लिपि में निकले । इस प्रकार से अगर किया जाए तो अहिन्दी भाषा भाषी जो हैं उनको हिन्दी का और जो हिन्दी भाषा भाषी हैं, उनको दूसरी भाषाओं का ज्ञान सरलता से हो सकेगा ।

एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि हिन्दी को यदि हम ने राज भाषा माना है तो प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना होनी चाहिये जिसमें शिक्षा हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाए । आपने मुझे बहुत थोड़ा समय दिया है और मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता हूं । फिर हर एक विश्वविद्यालय में एक हिन्दी विभाग हो । अनेक विद्यालयों में हो गए हैं, लेकिन कुछ में अभी तक नहीं हुए हैं । वहां विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएं । अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रचार हो और अधिकाधिक छात्रवृत्तियां दी जाएं । मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है। पर इसमें और प्रगति की आवश्यकता है। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए ।

अन्त में मैं आप से एक ही विषय पर निवेदन करना चाहता हूं । यदा कदा, वरन मैं तो कहूंगा प्रायः यह सुना जाता है कि हिन्दी को हम लादने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में ।

यह बात जितनी असत्य है, उतनी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। आजकल कुछ पत्रों ने तो यहां तक लिखना शुरू कर दिया है कि हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजभाषा एक बहुत छोटे बहुमत से बनाया है। बड़ी गलत बात है यह। मैं संविधान सभा का भी सदस्य था और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में हमने हिन्दी को राज भाषा बनाने का सर्वमत से निर्णय किया था, एक मत भी उसके विरुद्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में कुछ स्टेटसमैन में निकला है और अभी हिन्दू ने लिखा है। मैं चाहता हूं कि यह जो एक तथ्य की बात है, इसको देख लिया जाए कि हिन्दी को राजभाषा हमने सर्वमत से संविधान-सभा में बनाया था या बहुमत से बनाया था। मैंने आपसे निवेदन किया है कि संविधान सभा का मैं सदस्य था और मैं बतलाना चाहता हूं कि हिन्दी को राजभाषा संविधान सभा में जब सर्वमत से बनाया गया तो उस में अहिन्दी भाषा भाषी लोग भी आ गए और हिन्दी भाषा भाषी लोग भी आ गए। इसलिये हिन्दी को लादने का प्रश्न नहीं उठता। महात्मा गांधी ने यदि हिन्दी का दक्षिण भारत में प्रचार करने का प्रयत्न किया तो क्या उन्होंने हिन्दी को वहां लादने का प्रयत्न किया? आज भी जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह क्या हिन्दी को लादने का प्रयत्न किया जा रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी को लादने का प्रयत्न नहीं हो रहा है, लादने का प्रयत्न हो रहा है अंग्रेजी को, जिसे इस देश के दो प्रतिशत लोगों से भी अधिक लोग नहीं जानते हैं। संसद् में ही आप देखिये। यदि कोई हिन्दी के प्रश्न होंगे तो उन का अंग्रेजी में अनुवाद होगा, लेकिन जो अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं उनका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। पहले तो हमारे कुछ मंत्रीगण हिन्दी में भाषण देते थे लेकिन अब तो वह भी कतई बन्द हो गया। इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि संसद में, लोक सभा में और राज सभा में हिन्दी न जानने वालों की अपेक्षा अंग्रेजी न जानने वाले अधिक हैं, और हिन्दी समझी नहीं जाती इस बिना पर यहां की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है तब भी बार बार यह कहा जाए कि हम हिन्दी लादने का प्रयत्न करते हैं, यह बड़ी गलत बात है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हिन्दी को लादने का प्रयत्न नहीं हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है अंग्रेजी को लादने का। और इसीलिये मैं स्पष्ट कर चुका हूं कांग्रेस में रहते हुए भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जब सन् १९६५ के बाद भी अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक के लिए चलाने का विधेयक यहां आयेगा तो मैं उस का घोर विरोध करने वाला हूं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले को एक राष्ट्रीय ढंग से देखना चाहिये। यदि हमको इस राष्ट्र में एकता रखनी है, भारत को सच्चा भारत रखना है, तो वह अंग्रेजी से होने वाला नहीं है। अंग्रेजी का स्थान बिल्कुल हिन्दी नहीं ले सकती, इसको मैं स्वीकार करता हूं। हमारे संविधान में जितनी भाषायें स्वीकृत हो चुकी हैं उन सबको मिल कर अंग्रेजी का स्थान लेना है। जो स्वीकृत नहीं हुई हैं ऐसी भी भाषायें हैं, हमें उनको भी मिला कर लेना है। हिन्दी केवल केन्द्रीय भाषा रहेगी, अन्त प्रान्तीय कार्यों की भाषा रहेगी। मैंने अनेक बार कहा है, जब मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष था तब भी कहा था, कि हिन्दी पर जितना प्रेम हम को है उतना ही प्रेम हमारा अनेक भारतीय भाषाओं पर होना चाहिए। जितनी भाषायें हमारे संविधान में स्वीकार की गई हैं, वे सब राष्ट्रीय भाषायें हैं। बाहर से आई हुई भाषा केवल अंग्रेजी है।

मैं हमेशा कहता रहा हूं और आज भी दोहराना चाहता हूं कि जिन राज्यों की मा भाषा हिन्दी नहीं है, वहां की विधान सभा का कार्य, सचिवालय का कार्य और वहां न्यायालयों का कार्य और वहां की शिक्षा का माध्यम, बराबर प्रान्तीय भाषाय करें। ह उनको प्रोत्साहन देना है। केन्द्र में हिन्दी को प्रोत्साहन देना है, प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साह

देना है, लेकिन देश को एक सूत्र में बांध रखने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता है, और वह भाषा हिन्दी इसलिए हो सकती है, और इसीलिये हिन्दी स्वीकार भी की गई है, कि वह आधे लोगों की मातृ भाषा है और शेष देश के कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाय, तो सब जगह वह समझी जाती है। इसलिये देश को एक सूत्र में बांधने के लिये शिक्षा मंत्रालय को इस चीज़ को अपने सामने रखना चाहिये और इसी दृष्टि से अपनी सारी कार्रवाई करनी चाहिये।

शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१	श्री ह० च० सौय	मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा	१०० रुपये
२	२	श्री केपन	माल्तव क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा का केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४	४	श्री दिनेन भट्टाचार्य	निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की आवश्यकता— राष्ट्रीय अनुशासन योजना सम्बन्धी नीति।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।
५	५	श्री सेझियान	१४ वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की नीति।	राशि घटा कर १ रुपया कर दिया जाय
६	६	श्री सोलंकी	प्रशासन में मितव्ययिता की आवश्यकता।	१०० रुपये
७	७	श्री दीनेन भट्टाचार्य	निम्नलिखित बातों की आवश्यकता : (१) लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीव द्वीपों के हाई स्कूलों के छात्रों के लिये निर्वाह अनुदान में वृद्धि; (२) बधिरों और अंधों के लिये अधिक प्रशिक्षण केन्द्र ;	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			(३) समस्त नगरपालिका वाले नगरों में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्कूलों का स्थापना ; और	
			(४) विश्वभारती विश्वविद्यालय में दिन की शिक्षा के लिये प्रवेश पुनः चालू करना।	
८	४	श्री सेझियान	निम्नलिखित बातों की आवश्यकता,	१०० रुपये
			(१) दक्षिण में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना,	
			(२) समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सायंकालीन कक्षायें और पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम चालू करना।	
			(३) शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशनों को समस्त भाषाओं में प्रकाशित करना।	
९	९	श्री सेझियान	(१) ६ से १६ वर्ष के लड़के-लड़कियों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये।
			(२) देश में शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
११	११	श्री सोलंकी	निम्नलिखित बातों में असफलता : (१) संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में संध्या कालीन कालेजों की व्यवस्था । (२) शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय कालेज की स्थापना । (३) ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें देना ।	१०० रुपये
१२	१२	श्री सेझियान	निम्नलिखित बातों की आवश्यकता : (१) अनुसूचित जाति, आदिम जाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देना । (२) अंध, बधिर और मक और अन्य विकलांगों के लिये शिक्षा और रोजगार की सुविधायें देना ।	१०० रुपये
१३	१३	श्री राम सेवक यादव	प्राथमिक शिक्षा की मध्यम प्रगति ।	१०० रुपये
१४	१४	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का कार्य ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१६	१६	श्री सोलंकी	नेशनल अरकाइव्स के गवेषणा शिक्षार्थियों को समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कटौती प्रस्ताव अब सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

†**श्री प्र० कु० घोष** (रांची–पूर्व) : भारतीय संविधान में ६ से १४ वर्ष की आयु के लिये निःशुल्क शिक्षा का उपबन्ध है। किन्तु पिछली प्रगति की गति को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि हम स्वाधीनता के २० वर्ष पश्चात् भी अपने इस ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

दूसरी बात प्राथमिक शिक्षा की कोटि के विषय में है। प्राथमिक स्कूलों के अधिकतर अध्यापक अप्रशिक्षित ही होते हैं। यह आशा की जाती है कि १९६५–६६ में इन स्कूलों में ४९६.४ लाख विद्यार्थी और १३ लाख अध्यापक होंगे। इस प्रकार अध्यापकों और विद्यार्थियों का अनुपात १.३८ का होगा। १९६१ में इन स्कूलों में ९.१० लाख अध्यापक थे जिनमें ५.९२ लाख अध्यापक अप्रशिक्षित थे। तृतीय योजना काल में प्राथमिक विद्यार्थियों के लिये ३.८० लाख अध्यापक तैयार किये जायेंगे। इस प्रकार हमें प्रशिक्षित अध्यापक अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि देश में अधिक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की जाये।

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का वेतन बहुत कम है। इसलिये उन्हें अन्य कार्य करने पड़ते हैं। गांवों में अधिकतर यह होता है कि अध्यापक स्कूल से हाजिरी लेकर घर चले आते हैं; घर का कार्य करके फिर स्कूल के बन्द होते समय एक बार वहां चले जाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का कार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा नींव है। इसलिये इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

स्वाधीनता के बाद उच्चतर शिक्षा का स्तर भी गिर गया है। इसका एक कारण यह भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग अधिक किये जाते हैं। प्रत्येक नये शिक्षा मंत्री राज्य में नई प्रणाली चालू कर देते हैं। बिहार में एसी पद्धति लागू की गई है कि ८० प्रतिशत अंक परी क्षा पत्र के होंगे और २० प्रतिशत अध्यापक, परीक्षात्रों का मूल्यांकन करके देगा। इस प्रणाली से अध्यापकों में भ्रष्टाचार फैलता है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : मेरा निवेदन है कि बिहार में इस साल असेसमेंट उठा दिया गया है।

†**एक माननीय सदस्य** : मध्य प्रदेश में अब भी है।

†**श्री प्र० कु० घोष** : देश में तकनीकी स्कूलों और कालेजों की कमी है। इसलिये सारे विद्यार्थी कालेजों में ही प्रवेश लेते हैं। तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी भी कालेजों में ही प्रवश ढूंढते हैं। परीक्षा के समय यदि विश्वविद्यालय अपना उच्च स्तर कायम रखें तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता अधिक होती है। इससे लोगों और विद्यार्थियों में असन्तोष फैलता है और तब बाध्य हो कर विश्वविद्यालय को अपना स्तर नीचा करना पड़ता है जिससे उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता बढाई जा सके। इस कारण भी शिक्षा का स्तर गिर रहा है।

एक अन्य बात यह है कि प्रश्न पत्र उन्हीं स्कूलों अथवा कालेजों के अध्यापकों द्वारा बनाये जाते हैं और उत्तर भी उन्हीं स्कूलों अथवा कालेजों के अध्यापकों द्वारा देखे जाते हैं जो उसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होते हैं। इस से कभी कभी प्रश्न-पत्र मालूम हो जाता है और विद्यार्थी मूल पुस्तकें पढ़ने के स्थान पर 'गैस पेपर' आदि के पढने में लग जाते हैं। उत्तरों के जांचने के कार्य के सम्बन्ध में भी उन्हें यह पता करने में सुविधा होती है कि वह किसके द्वारा किया जा रहा है और वह उस पर दबाव डलवा कर अपना कार्य निकालने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार भी शिक्षा का स्तर गिरता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं सुझाव देता हूं कि समस्त देश के विश्वविद्यालयों में समान स्तर और समान पाठ्यक्रम होना चाहिए और प्रश्नों के बनाने और जांच करने का कार्य पृथक-पृथक विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा किया जाना चाहिए ।

एक बात यह भी है कि विद्यार्थियों को उन की रुचि के अनुरूप विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती ।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बहुत है । इसका दायित्व शिक्षा-प्रणाली पर है । अध्यापकों को वेतन बहुत कम मिलता है । इस कारण उन्हें अन्य कार्य करने पड़ते हैं और उन्हें विद्यार्थियों पर ध्यान देने का अवकाश नहीं मिलता । अध्यापकों का वेतन बढाने के लिए और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तुरन्त आवश्यक पग उठाये जाने चाहियें ।

पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । इन क्षत्रों में स्कूल बनाये जाने के लिये सरकार ५० से ७५ प्रतिशत व्यय वहन करती है । शेष वहां के निवासियों को देना होता है । किन्तु इन क्षत्रों के निवासी बहुत गरीब हैं और वह रूपया नहीं दे सकते । इसलिए सरकार द्वारा आवंटित रूपये का उपयोग भी नहीं हो सकता और स्कूल बिना बने ही रह जाते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकारों को परामर्श दे कि इन क्षत्रों में स्कूल बनाये जाने के लिये वह शतप्रतिशत व्यय वहन करे ।

†**श्री मुथिया** (तिरुनेलवली) : श्रीमान् मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । शिक्षा का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमारे देश में इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है ।

प्राथमिक शिक्षा देश के शैक्षिक विकास के लिये बहुत आवश्यक है । और तृतीय योजना में इस पर ठीक ही बल दिया गया है । हमारा देश एक प्रजातंत्रीय देश है और यहां प्राथमिक शिक्षा की इसलिए अत्यन्त आवश्यकता है कि जिससे लोग मतदान करते समय उचित प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें । तृतीय योजना में ५ करोड़ बच्चों को शिक्षा देने का ध्येय रखा गया है । आशा है कि यह ध्येय प्राप्त कर लिया जायेगा । किन्तु शिक्षा की इस बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षकों की कमी है । प्रतिवेदन के अनुसार इस समय ८०,००० शिक्षकों की कमी है । इसलिए अधिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने की आवश्यकता है ।

प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों का वेतन अधिक होना चाहिए । केन्द्र ने इसके लिये राज्यों को उदार अनुदान देने का जो निश्चय किया है वह सराहनीय है । उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी बढा कर ६० वर्ष कर दी जानी चाहिये ।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में योजना काल में पर्याप्त प्रगति हुई है । बहुप्रयोजनीय स्कूलों की योजना सराहनीय है और उन्हें दक्षिण में भी काफ़ी मात्रा में स्थापित करना चाहिये ।

देश में, विशेषत: दक्षिण में, अधिक विश्वविद्यालय स्थापित कर दिये जाने चाहियें । मैं मंत्री महोदय से निवदन करूंगा कि वह मद्रास सरकार से मदुराई के प्रस्तावित विद्यालय की स्थापना के विषय में आग्रह करें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है । यह विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं के लिये, उनके भवनों के लिये, पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिये, वैज्ञानिक उपकरणों आदि के लिये उदार रूप से अनुदान दे रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दक्षिण के राज्यों, विशेषतः मद्रास में, पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम चालू किये जाने चाहिये ।

गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । उन्हें व्याज-मुक्त ऋण भी दिया जाता है जोकि आसान किश्तों में चुकता किया जा सकता है । मैं इन योजनाओं के लिये मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण है । मैं सरिस्का गया था । वहां के कार्य-कलाप अत्यन्त मनोरंजक और प्रभावोत्पादक हैं । वहां का वातावरण मनमोहक है । मुझे लोक नृत्यों और लोक-गीतों को देख-सुन कर अत्यन्त हर्ष हुआ । १६ तारीख को हुआ झंडा अभिवादन समारोह अत्यन्त प्रेरणादायक और गंभीर था । परेड, सांस्कृतिक कार्य-कलाप, ड्रिल और देशभक्तिपूर्ण गीत अत्यन्त आवेशपूर्ण थे । मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा एक-एक केन्द्र प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाय जिससे वास्तविक रूप में राष्ट्रीय एकीकरण, शक्ति और गौरव में वृद्धि हो ।

त्रिभाषीय-सूत्र की सिफारिश राष्ट्रीय एकता समिति ने की थी । मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया था । विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने भी इस का अनुमोदन कर दिया था । किन्तु अभी कुछ राज्यों ने इस को कार्यान्वित नहीं किया है । राष्ट्रीय एकता के हित की दृष्टि से यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण योजना है । मद्रास में हिन्दी की परीक्षा समाप्त की गई है । यह एक खेदजनक बात है । मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मद्रास राज्य से इसे पुनः आरम्भ करने के विषय में अनुरोध करे । हिन्दी को राजभाषा के पद पर आरूढ होना है । इसलिये मैं दक्षिण के राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वह हिन्दी की प्रगति के लिये उत्साहपूर्वक योग दान दें ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): ओइम् जातवदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदहाति वेदः ।
सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्व. नावेव सिंध् दुरितात्यग्निः ॥

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर जो आप ने मुझ बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं । मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । पूरा नहीं तो आधा धन्यवाद मैं उनको अवश्य दूंगा क्योंकि उन को कुछ भारतीय सभ्यता के प्रति अनुराग है और भारतीय वेष भूषा उन को अच्छी लगती है, ऐसा मुझे जान पड़ता है ।

परन्तू इस के साथ साथ मैं उन से निवदन करना चाहता हूं कि वह शिक्षा को प्राचीनतम बनाने का यत्न करें, उस में भारतीयता लाने का प्रयत्न करें । शिक्षा से तीन चीज़ बनती हैं, चरित्र, स्वास्थ्य और विद्या । शिक्षा और विद्या में अन्तर है । शिक्षा उस को कहते हैं जिस के द्वारा हम अपने शरीर को, उस के सारे अंगों प्रत्यंगों को ठीक रख सकते हैं और संसार की वस्तुओं का जिसके द्वारा प्रयोग कर सकते हैं । विद्या नाम उन को उपयोग में लाने का है,जानकारी का नाम है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा वह होनी चाहिए जिससे चरित्र बनता हो, जिस से स्वास्थ्य बनता हो, जिससे मनुष्य पूर्ण विद्वान् हो सके । आज की शिक्षा में चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं है ।

आज के जितने बड़े बड़े अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उन को जब मैं देखता हुं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह के लोग हमारे गुरुजन हैं ? कहीं इन को यों हीं कहीं से पकड़ कर तो नहीं ला खड़ा कर दिया गया है ? गुरुओं का चरित्र जब तक विद्यार्थियों से अति उन्नत नहीं होगा, तब तक वे कोई शिक्षा नहीं दे सकेंगे । हमारे गुरुजन आज जो कुछ करते हैं, मैं उन को यहां कहना नहीं चाहता हूं । सरकार के अनाचार, दुराचार जो भी हैं, उन से आज हमारे अध्यापक बचे हुए नहीं हैं ।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आज कहां पढ़ाया जाता है ? केवल वैद्यक या डाक्ट्री विषयों में ही इसके बारे में पढ़ाया जाता है । क्या हमारे पाठ्यक्रमों में शारिरिक शक्षा को स्थान हीं मिलना चाहिये, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा को स्थान नहीं मिलना चाहिये ? मैं चाहता हूं कि शिक्षा में प्रत्येक बालक को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, शरीर के सम्बन्ध में, खान पान के सम्बन्ध में ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जाए, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया जाए । लोग शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन उनको इसका पता नहीं होता है कि उनको किस प्रकार की वस्तु, किस प्रकार का भोजन करना चाहिये । उनको इसका ज्ञान नहीं ही हो पाता है कि उत्तम चरित्र क्या है।

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में मैं अब कुछ कहना चाहता हूं । मैंने आपके पाठ्यक्रम को देखा है आपकी पुस्तकों को देखा है कहीं पर भी कोई पाठ इसके बारे में हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया है । इसके विपरीत लड़की लड़के को इकट्ठे पढ़ाया जाता है । जब हर काम में सहकार चलता है, तो इस काम में भी सहकार क्यों न चले । मैं आपको मना नहीं करता हूं कि आप दियासलाई न बनायें और बारूद के कारखाने न खोलें । जरूर खोलें । दियासलाई भी रहनी चाहिये । पर इन दोनों को इकट्ठा मत करो, नहीं तो दोनों ही चौपट हो जायेंगे, किसी काम में नहीं आयेंगे ।

आज देश को इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है । आज देश को प्राचीनतम शिक्षा की आवश्यकता है । आज हमारा देश संकटकाल में से हो कर गुजर रहा है । कुमारों और कुमारियों में ब्रह्मचर्य की भावना आनी चाहिये ताकि शत्रुओं का मुंह कुचलने की उनमें सामर्थ्य पैदा हो सके । लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचारी लोग, ये आगा पीछा मटकाने वाले लोग बहादुर कभी नहीं हो सकते हैं और सब कुछ हो सकते हैं । सौभाग्य से मुझे पिछले वर्ष सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जी से बात करने का अवसर मिला । मैंने उनसे कहा कि यह नाच किस काम में आएगा और अगर वे नाचेंगे नहीं तो क्या बेकार हो जायेंगे । उन्होंने मुझे इसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया और कहा स्वामी जी, इसका महत्व समझियों । मैं कहना चाहता हुं कि इस का महत्व आप जा कर चीनियों को समझाइये, तब आपका काम चलेगा ।

जो शिक्षा है, यह अति-उत्तम होनी चाहिये । स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिये । आप ने तो समझ लिया है कि इंग्लिश के वगेर विद्या हो ही नहीं सकती है । आप देखें कि सृष्टि की उत्पति आज से पौने दो अरब बरस पहले हुई थी और तभी से अंग्रेजी नहीं चली आ रही है । यह तो पौने दो सौ वर्ष से ही यहां आई है । जब यहां पर इंग्लिश नहीं थी तो क्या विद्या नहीं थी । जब हम मांस नहीं खाते थे, सुरा नहीं पीते थे और कई प्रकार के भ्रष्टाचार के काम नहीं करते थे नृत्गृहों में नंगे नाच नहीं करते थे, तो विद्या

नाम की क्या कोई चीज नहीं थी ? हमारे शास्त्रों में तो इसको अविद्या नाम दिया गया है। यदि इसको ही आप विद्या मान लें, तो अविद्या किस को कहेंगे। मैं समझता हूं कि आपके अध्यापक तपे हुए होने चाहियें। माता पिता ऐसे होने चाहियें कि जो बालक बालिकाओं के सामने कोई कुचेष्टा न करते हों। माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जिस प्रकार से जैसी सूरत होती है वैसी ही दर्पण में दिखाई देती है, इसी तरह से जिस प्रकार के माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे भी बनते हैं। अगर माता फैशनेबल है, किस और दुनियां की है, पिता भी उसी दुनियां का है, तो बालक सादा कैसे बन सकता है।

शिक्षा के लिए आपको गुरुकुलीय प्रणाली अपनानी चाहिये। वह सर्वोत्तम प्रणाली है। बहुत प्राचीन प्रणाली है। यदि उसमें आपको कोई दोष दिखाई देते हैं तो उनको आप दूर कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वही देश के लिए अति उपयोगी प्रणाली हो सकती है। आश्चर्य की बात है कि इस तृतीय योजना में गुरुकुलों के लिए केवल नौ लाख रुपये आप रख रहे हैं जबकि उनकी संख्या संकड़ों से अधिक है। यह राशि आप पांच वर्ष में देंगे। यह तो वही बात है जैसे कोई बालक रोता हो तो उसको बन्द करने के लिए माता एक आना दे दे या खिलौना खरीद कर दे दें। हमें आप बेकार न समझें। आपको इधर भी ध्यान देना चाहिये। जब तक आप देश में भारतीयता नहीं ला सकते हैं, इसको राज्य नहीं कहा जा सकता है, यह मैं निश्चयपूर्वक कह देना चाहता हूं।

मेरे हाथ में एक पुस्तक है जोकि सातवीं श्रेणी में पढ़ाई जाती है। यह संस्कृत की पुस्तक है। एक दूसरी पुस्तक भी है जो अशुद्धि पुस्तक है। यह भी उन्होंने ही छापी है। यदि इस पुस्तक को मुझे दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें अशुद्धियां बताई जायें तो मैं सत्य कहता हूं कि इस पुस्तक से अधिक इसमें अशुद्धियां मैं आपको बता दूंगा। इसका जो मूल्य है, वह एक रुपया कुछ पैसे है। आश्चर्य की बात है कि यह पुस्तक एक रुपये से अधिक मूल्य की है। वैसे तो सारी पुस्तकों का मूल्य अधिक होता है। ये मूल्य भी घटने चाहियें। कमजोर विद्यार्थियों को जब मैं देखता हूं और जब उनके सिरों पर इतनी अधिक पुस्तकों के भार को देखता हूं तो मुझे ऐसा डर लगता है कि यह दुबला पतला बालक यह लचकदार बालक कहीं इन पुस्तकों के भार से टूट फूट न जाए.....

श्री बड़े (खारगोन) : अशुद्धियों की पुस्तक भी है क्या आपके पास ?

श्री रामेश्वरानन्द : दोनों हैं और इन दोनों को में माननीय मंत्री जी की सेवा में भेंट करूंगा।

मैं चाहता हूं कि बालकों को भारतीयता की शिक्षा मिले। पुस्तकों की संख्या कम होनी चाहिये और साथ साथ इनकी कीमत भी कम होनी चाहिये। गरीब बालक इतनी पुस्तकें और इतने मूल्य में खरीद नहीं सकते हैं। जब खरीद नहीं सकते तो कैसे वे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पुस्तकों को कुछ कम कीजिये, कुछ मौखिक चीज पढ़ा दीजिये। साथ ही उन का मूल्य भी थोड़ा कीजिये। तब तो वे पढ़ सकते हैं नहीं तो मालदारों के लड़के पढ़ सकेंगे, गरीबों के बालक नहीं पढ़ सकेंगे, मध्यम वर्ग के बालक नहीं पढ़ सकेंगे। जब वे पढ़ नहीं सकेंगे तब आप उन की उन्नति किस तरह कर सकेंगे ? यह निर्धनता जो

हमारे देश में है वह सदा बनी रहेगी, उस निर्धनता के उन्मूलन का कोई उपाय नहीं है जब तक कि आप शिक्षा को सस्ती न बनाये। गुरुकुलों में एक ही प्रकार से लड़के रहते हैं और उन को एक ही प्रकार से खाना पान दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ गुरुकुल मंहगे हों, आप की परछाहीं उन पर पड़ गई हो, लेकिन मैं जिस गुरुकुल को चला रहा हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पचास विद्यार्थी मेरे यहां हैं, जिन में से कोई पांच रुपया देता है, कोई सात रुपया देता है और आधे से भी कम विद्यार्थी देते हैं। इतने ही में सब कुछ देते हैं। इसी तरह से और भी बड़े गुरुकुल हैं। में कहूंगा कि शिक्षा को आप सस्ती बनायें। जब तक शिक्षा सस्ती नहीं होगी तब तक आप देश की वास्तविक उन्नति नहीं कर सकेंगे।

मैं प्रारम्भिक शिक्षणालयों को देखता हूं। उन में एक गुरु या एक अध्यापिका होती है, बिल्कुल कमजोर सी, चलने फिरने लायक। फिर वह रहता कहां है, आती कहां से है, यह भी देखिये। १००, १०० लड़की लड़के पढ़ने वाले हैं। वह सब बालकों की तख्ती भी नहीं देख सकती, इतने बालक वहां जमा होते हैं।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां की बात कह रहा हूं, सारे देश की बात मैं नहीं कहता, कई हायर सेकेन्डरी स्कूलों की इमारतें जनता ने बना कर खड़ी की हैं, लेकिन पंजाब सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। मैं कहना चाहूंगा कि आपका ध्यान इस ओर जाना चाहिये। हम लोग पहले भी पीछे थे अब भी पीछे हैं। जब आप हमारी बात को स्वीकार नहीं करते तो हम किस प्रकार से वास्तविक नागरिक बन सकेंगे। मैं तो कहूंगा कि चाहे आप फीस ले लें, लेकिन जल्दी से जल्दी उन स्कूलों को ग्रहण करें।

स्कूलों में हालत यह है कि संस्कृत के अध्यापक नहीं हैं। आप चाहें तो मैं करनाल जिले के उदाहरण दे सकता हूं। वहां विद्यार्थी हैं लेकिन वे संस्कृत नहीं ले सकते। क्योंकि वहां पर अध्यापक नहीं हैं। वे दूसरे विषय लेते हैं। यह हम संस्कृत के उत्थान के लिये यत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। प्रथम तो हिन्दी के लिये ऐसा हो रहा है पंजाब में कि उस को गम्भीरता से नहीं लिया जाता। पहले वहां पर अध्यापक उर्दू पढ़ा करते थे। एक दम से आपने हिन्दी लागू करदी। जिन अध्यापकों ने कभी हिन्दी नहीं पढ़ी वे हिन्दी पढ़ा रहे हैं। रात्रि में वे औरों से पढ़ते हैं और सवेरे जा कर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। फिर यहां कहा जाता है कि हिन्दी के कारण बालकों की पढ़ाई का स्तर नीचा हो गया है। जब स्वयं गुरुओं को हिन्दी नहीं आती तो विद्यार्थियों को कैसे आयेगी। अभी करनाल में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली गई। हम सोच रहे थे कि उस का प्रसार और प्रचार होगा, किन्तु अब वह इंग्लिश यूनिवर्सिटी बन कर रह गई है। मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार उस की उन्नति हो सकेगी। आपका ध्यान इन बातों की तरफ जाना चाहिये। जब तक आपका इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जायेगा तब तक देश उन्नति नहीं कर सकेगा।

आज मैं किसी भी भाषा का विरोधी नहीं, लेकिन मैं इस बात का अवश्य विरोधी हूं कि सब जगह इंग्लिश का बोल बाला रहे। अगर आपको इंग्लिश के पढ़ाने की आवश्यकता है तो आप इंग्लिश पढ़ाइये। आप दिल्ली में एक आध कालेज खोल लीजिये और एक आध किसी दूसरी जगह पर। जिन लोगों को सरकार दूसरे देशों में भेजना चाहती है उन को इंग्लिश पढ़ा दी जाय। लेकिन क्या सारे विद्यार्थी इंग्लिस्तान जायेंगे? आज सब को इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है? जब मैंने उत्तर प्रदेश की स्थिति को पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया।

[श्री रामेश्वरानन्द]

अंग्रेजों के वक्त में वहां पर इंग्लिश पांचवीं या छठवीं कक्षा से पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब तीसरी कक्षा से पढ़ाने लगे हैं । जो भी इंग्लिश के पक्षपाती हैं मैं उन से कहना चाहूंगा कि आज भी देश के अन्दर ऐसे देहात हैं जहां के लोग ठीक से हिन्दी नहीं समझ पाते । वे इंग्लिश क्या समझेंगे ? सौभाग्य से हमारे डा० श्रीमाली इस पद पर हैं मैं सब से नम्र निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दें ।

मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के विषय के लिये ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाय और इस को सब को पास करना चाहिये । सेना और शिक्षा, इन दो का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं । इस के लिये जितना धन चाहिये वह दिया जाय जिस में हम देश की सुरक्षा को रख सकें ।

मैं आपके सामने इस किताब को रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब देख लें ।

†**श्री बड़े** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो किताब माननीय सदस्य दे रहे हैं उस को मिनिस्टर साहब कम से कम देख तो लें कि किस तरह से शिक्षा चलती है । एक एक पृष्ठ पर पन्द्रह पन्द्रह मिस्टेक्स हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । अगाप भाषण नहीं दे रहे । वह इसे माननीय मंत्री को दे देंगे । आप की सहायता की आवश्यकता नहीं । वह काफी शक्तिमान हैं ।

†**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर दिया ।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रभाषा में बोलिये ।

†**श्री गो० ना० दीक्षित** : इसके बाद जो भाषण इस सदन में दूंगा, वह हिन्दी में दूंगा । आज के लिये आप मुझे अनुमति दें कि मैं अंग्रेजी में बोलूं ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी और उस समय देश में कई शिक्षा-संस्थाओं ने जन्म लिया । स्वतन्त्रता के लिये जब हम संघर्ष कर रहे थे उस समय समस्त नेताओं का यह मत था कि मैकाले द्वारा पुरुस्थापित शिक्षाप्रणाली देश के लिये अत्यन्त हानिकारक है और इसे तुरन्त ही हटा दिया जाना चाहिये । किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया ।

एक ओर तो लोग शिक्षा के ऊपर अधिकाधिक रुपया खर्च करते जा रहे हैं और दूसरी ओर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है । सरकार और शिक्षा मन्त्रालय को चाहिये कि इस समस्या की ओर ध्यान दें ।

उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि :

> ऐंट्रेंस पास हुआ तो खेती से गया, और बी० ए० पास हुआ तो गांव से गया । हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता को खेती का कार्य करना पड़ता है । गांधीजी ने कहा था कि गांव की सभ्यता ही इस देश की सभ्यता होगी । इसके लिये हमें बच्चों की शिक्षा इस प्रकार करनी होगी कि वह गांव में ही रहने के इच्छुक हों, कृषि-कार्यों में रुचि लें और उन्हें कृषि कार्य के लिये उपयोगी प्रशिक्षण मिले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके लिये आयोजित शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक हम यह निश्चय न कर लें कि कौन से व्यक्ति कौन से व्यवसाय में, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि में जायेंगे तब तक हमारी समस्त शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित ही रहेगी।

शिक्षा मन्त्रालय को इस प्रकार की आयोजित शिक्षा के विषय में योजना बना लेनी चाहिये। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने कृषि के विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की किन्तु वह लेखा-पाल का कार्य कर रहा है। इस प्रकार उसकी शिक्षा पर किया गया सारा व्यय व्यर्थ हुआ है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्राथमिक और उच्च शिक्षा के निःशुल्क दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो? गांधीजी ने अनेक बार अपने लेखों में यह कहा था कि जब तक माध्यम अंग्रेजी में होगा हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता।

यह भी प्रश्न उठाया गया था कि हमारे यहां लेखक नहीं हैं और हिन्दी में पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं। यह नेताओं का उत्तरदायित्व है। मौलिक लेखकों, महान् विचारकों, उत्कृष्ट बुद्धिवेत्ताओं, पारंगत इंजीनियरों और कलाकारों को हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

जहां तक न्यायालयों का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि एक भी विधि पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित नहीं होती, कोई संहिता भी हिन्दी में प्रकाशित नहीं की गई। जब तक भारत सरकार कोई ऐसी क्रमबद्ध योजना तैयार नहीं कर लेती जिससे कि हिन्दी न्यायालयों की भाषा बन जाये तब तक यह आशा नहीं की जा सकती कि १०० वर्ष के बाद भी हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में आ सकेगी। केवल संविधान में इसका उपबन्ध कर देने से ही कुछ नहीं हो जाता।

मैं विनयपूर्वक भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह एक मूलभूत समस्या है। गांधीजी ने कहा था कि यदि शिक्षा का माध्यम और शिक्षा की वर्तमान प्रणाली हमारी शक्तियों पर आघात करे तो यह स्वाभाविक है कि हम देश की प्रगति नहीं कर सकते। यदि हम आलसी हैं और मेहनत नहीं करते तो समस्त योजनाओं के बावजूद भी राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकेगी। इसलिये जो कुछ स्वामी जी ने कहा है, कि शिक्षा का प्रयोजन चरित्र निर्माण है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले शिक्षा मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी के बारे में जो कुछ लिखा है उसमें कहीं यह सूचना नहीं है कि बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी को आप कब तक गुलाम रखेंगे। उसकी अटानमी को ससपेंड किया गया है और उसको अभी तक वापस नहीं दिया गया है।

आगे चल कर मैं प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूं। आज देश में योजना के नाम से बड़ा हल्ला है और प्रायरिटी के नाम से भी बहुत हल्ला हो रहा है, लेकिन यह बात मैं नहीं जानता कि कहां तक ठीक है, यह नई खबर होगी सदन के लिये, कि पिछले दस सालों के अन्दर देश में निरक्षरों की संख्या बढ़ी है और वह भी तीन करोड़ जितनी। देश में निरक्षरता की तरक्की हुई है साक्षरता की नहीं। इसके कारण योजना पर एक कलंक आता है क्योंकि योजना के नाम से इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं सोचता हूं कि इस पर शिक्षा मन्त्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे। या तो इस योजना को खत्म कर देना चाहिए, या शिक्षा मन्त्रालय को खत्म कर देना चाहिए या इसका कोई मौलिक, रेडीकल, सोल्यशन होना चाहिए।

[श्री किशन पटनायक]

इसको जस्टीफाई करने की भी सरकार कोशिश करती है। मन्त्री साहब ने कहीं कहा है, मेरे पास इस समय कोटेशन तो नहीं है, लेकिन यह खबर छपी थी कि मन्त्री साहब हवाला देते हैं आबादी बढ़ने का, कि आबादी बढ़ गयी है इसलिए निरक्षरता बढ़ गयी है। जो लोग योजना करते हैं और अगर आबादी का हिसाब नहीं रखते हैं तो वे लोग योजना बनाने लायक ही नहीं है। जब सरकार साक्षरता बढ़ाने की योजना बनाती है और निरक्षरता को हटाने की योजना बनाती है तो उसे इस चीज को सामने रख कर योजना बनानी चाहिए कि देश की आबादी इस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा की रिपोर्ट से पता चलता है कि साक्षरता कम हो रही है। मैं तो कहूंगा कि यह योजना नहीं है। यह वृद्धि की योजना नहीं है बल्कि घटौती की योजना है। इस तरफ मैं सारे सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

इसके पीछे क्या मकसद है। निरक्षरता बढ़ाने और साक्षरता कम करने के पीछे क्या मकसद है, उस तरफ भी मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। अभी हाल में एक प्लानिंग कमीशन के मेम्बर कलकत्ता गए थे और वहां उनसे एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था। प्रतिनिधि मण्डलने उनसे कहा कि कलकत्ते में प्राइमरी एजूकेशन की प्रोग्रेस के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। गत १५ सालों के अन्दर, कलकत्ता नगरी में, जहां कि करीबन ६० लाख आदमी रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट द्वारा और कोरपोरेशन के द्वारा १५ या २० से ज्यादाप्राइमरी स्कूल नहीं खोले गए होंगे। यह प्राइमरी एजूकेशन की हालत है। इस विषय पर आपत्ति करने के लिए प्रतिनिधि मण्डल गया था। तो उनसे प्लानिंग कमीशन के मेम्बर ने कहा कि अगर हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो देश में एजूकेटेड अन-एम्पलायमेंट बढ़ेगी, तो हम इस चीज को कैसे इनवाइट करेंगे। अगर एजूकेशन बढ़ेगी तो लोगों में असन्तोष बढ़ेगा और सरकार के प्रति विरोध बढ़ेगा। इसको हम कैसे करवायेंगे। हो सकता है कि यह बात मजाक में कही गयी हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार का यही मकसद है, और यही कारण है कि प्राइमरी एजूकेशन या किसी भी किस्म की एजूकेशन का ज्यादा प्रसार सरकार नहीं करना चाहती।

मैं कलकत्ते की हालत थोड़े और ब्यौरे से बता दूं। अभी तक यह नहीं हो सका है—कई सालों से यह झगड़ा चल रहा है—कि कलकत्ते में प्राइमरी एजूकेशन की प्राग्रेस पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है, कारपोरेशन की जिम्मेदारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यह अभी तक तैनहीं हो सका है। हाल में कारपोरेशन ने अपनी एक मीटिंग में यह तै कर दिया है कि :

> "कलकत्ता निगम ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि कलकत्ता नगर के समस्त बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना निगम की सामर्थ्य के बाहर है।"

यह कह दिया। वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट कहती है कि कलकत्ते की प्राइमरी एजूकेशन की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कारपोरेशन को कहा जाता है तो वह कहती है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम एजूकेशन के लिए जो भी पैसा देते हैं वह सारा स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब इस झगड़ेबाजी और गड़बड़ घुटाला जो कि स्टेट गवर्नमेंट और कारपोरेशन में कलकत्ते में प्राइमरी एजूकेशन की जिम्मेदारी के बारे में चल रहा है उसको ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस बारे में क्या कदम उठाया है? मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा मन्त्री महोदय अपने जवाबी भाषण में इस पर प्रकाश डालें। अभी भी वही गड़बड़ी और झगड़ा चल रहा है। यह कोई नया डेवलपमेंट नहीं है बल्कि यह काफी दिनों से चल रहा है। जब सेंट्रल एजूकेशन मिनिस्टरी को एजूकेशन के बारे में कुछ करने के लिए हम लोगों की ओर से कहा जाता है तो जवाब दे दिया जाता है कि एजूकेशन तो स्टेट सबजैक्ट है। यह हम

लोगों का सबजैक्ट नहीं है और सेंटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम कोआरडिनेशन तो आप का सबजैक्ट है। यह चीज़ अगर ओआरडिनेशन के जरिए नहीं होगी तो फिर किस के द्वारा होगी ? कारपोरेशन कहती है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कारपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर, तीनों में झगड़ा चलता है जिसके कि कारण जनता को नुकसान पहुंचता रहा है। परिणामस्वरूप कलकत्ते जैसे शहर में ५० प्रतिशत से भी अधिक बच्चे प्राइमरी एजूकेशन से वंचित हैं। उनको प्राइमरी एजूकेशन मिलने का कोई तरीक़ा नहीं है।

इसका एक और दूसरा कारण हो सकता है कि कलकत्ते में प्राइमरी एजूकेशन ज्यादातर प्राइवेट लोग चला रहे हों। लेकिन यह प्राइवेट लोग हैं कौन जो कि इसे चला रहे हैं ? इसे बड़े लोग चला रहे हैं। अंग्रेज़ी माध्यम से रईस बनाने वाली जो शिक्षा होती है उस अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली से प्राइमरी एजूकेशन दी जा रही है और यह बड़े लोगों के प्राइवेट हाथ हाथ में चली गई है। लेकिन कलकत्ते की आम जनता के जो लाखों बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाने के लिए कोई क़दम अभी देश में नहीं उठाया गया है। अब कलकत्ते जैसे नगर में अगर ऐसी हालत है तो सारे देश की क्या हालत होगी, इसका अन्दाज़ा आप भली भांति लगा सकते हैं।

अभी प्राइमरी एजूकेशन फैलाने से क्या फ़ायदा होगा यह तो सब जानते हैं। लेकिन अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है यह कोई अच्छी प्रणाली नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली से आदमी ठीक ढंग से इंसान नहीं बन सकता है यह बिल्कुल सही बात है लेकिन फिर भी हम जैसे लोग जो शिक्षा का प्रसार चाहते हैं शिक्षा प्रणाली चाहे कुछ भी हो, उसकी ख़ास वजह यही है कि शिक्षा के द्वारा आदमी कम से कम सचेत हो जाता है। आदमी अपने बारे में सचेत हो जाता है और समाज के बारे में सचेत हो जाता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली चाहे बुरी और हानिकारक क्यों न हो, पर शिक्षा का ज़रूर प्रसार हो यह हम चाहते हैं। लेकिन सरकार यह चीज़ नहीं चाहती है यह उस उदाहरण से साफ़ हो जाता है जो कि हमने दिया है।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा में एक दुहरी नीति चल रही है। यह दुहरी नीति क्यों चल रही है ? इसके पीछे मैं सोचता हूं कि एक ख़राब मंशा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री किशन पटनायक मैं अपने ग्रुप की तरफ़ से अकेला बोल रहा हूं इसलिए मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक, दो मिनट और ले लीजिए। इससे ज्यादा समय नहीं मिल सकता है।

श्री किशन पटनायक : मैं अब भाषा के बारे में आ जाता हूं। मीडियम के बारे में, यह शिक्षा के मीडियम के बारे में हम लोग कब फैसला करेंगे ? यह कोई नया सवाल नहीं है। यह सवाल बहुत पुराना है और इसका हल भी बहुत पुराना है। इसके बारे में गांधी जी ने कहा है। इसके बारे में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसके बारे में शिक्षा के जितने पंडित हैं सब लोग कह चुके हैं फिर भी देश के शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में अभी तक कोई पौज़िटिव पालिसी क्यों अखत्यिार नहीं की है, यह समझ में नहीं आता है। इस का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जो अभी सरकार बनी हुई है वह नहीं चाहती है कि देश के लोग ठीक ढंग से शिक्षित हों क्यों कि जब तक

[श्री किशन पटनायक]

अंग्रेजी माध्यम रहेगी तब तक देश के लोग ठीक ढंग से शिक्षित नहीं हो सकते हैं। यह मेरी कोई अपनी राय नहीं है। यह गांधी जी की राय है। यह रवीन्द्रनाथ टैगोर की राय है। इस के बारे में बड़ा अजीब कारण बतलाया जाता है कि क्यों इसे शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा रहा है। कहते हैं कि टैक्स्ट बुक्स नहीं हैं। लेकिन टैक्स्ट बुक्स आयेंगी कैसे? अंग्रेजी को कायम रखने वाले ऐसा हवाला देंगे यह रवि ठाकुर को मालूम था और इस के बारे में सन् १९१९ में उन्होंने जो कहा था उस को मैं आप के सामने कोट करता हूं। उन्होंने कहा था :—

"मैं जानता हूं इसके विरोध में कौन सा तर्क दिया जायेगा"।

अर्थात्, सर्व श्री नेहरू और श्री माली जैसे महानुभावों द्वारा इसके विपक्ष में दिये गये तर्क :

"आप भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, किन्तु पुस्तकें कहां हैं? पहली आवश्यकता तो यही है"।

उस के जवाब में रवि ठाकुर ने कहा है :—

"मैं जानता हूं कि पाठ्य-पुस्तकों का अभाव है, किन्तु जब हमारी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा नहीं दी जायेगी—तब तक पाठ्य-पुस्तकें कहां से उपलब्ध होंगी? यदि सिक्कों का परिचलन बंद कर दिया जाये तो हम सिक्कों का बनाना कब तक जारी रख सकते हैं"।

जिन मुद्राओं को आप बाजार में ग्रहण नहीं करेंगे वैसी मुद्रा को कोई प्रिंट नहीं करता। जिन टैक्स्ट बुक्स को पढ़ाया नहीं जायगा और जिनकी कि कोई आवश्यकता कालिजों व विश्वविद्यालयों में नहीं है उन को लिखेगा कौन और क्यों लिखेगा। क्यों उन पर कोई पैसा और अपना दिमाग व शक्ति खर्च करेगा? यह ऐसा सवाल है जिसको या तो आप तत्काल हल करें या अगर शिक्षा के बारे में कुछ करना नहीं है तो सबसे अच्छा यह होगा कि शिक्षा मंत्रालय को खाली केन्द्र में से ही नहीं स्टेट्स से भी खत्म कर देना चाहिये। अगर अपनी भाषा के मीडियम में शिक्षा होने वाली नहीं है तो फिर इस देश में शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है।

†श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : श्रीमान्, मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। मैं तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव रखूंगा।

यह परमाणु युग है और हम भारत में विदेशी सहायता से बहुत सी परियोजनायें चला रहे हैं। यह उचित नहीं है। हमें यहीं तकनीकी शिक्षा के अधिकाधिक विस्तार का प्रबन्ध करना चाहिये। यदि हमारे तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अवसर दिया जाये तो वह विदेशियों के समान ही कार्य कर दिखायेंगे।

हमें दुनिया के रुख के साथ साथ अपनी शिक्षा पद्धति भी बदल देनी चाहिये।

मैं पाठ्यक्रम के बारे में भी कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। यह भिन्न २ स्थानों तर भिन्न २ हैं। यह कठिनाइयां उत्पन्न करता है। कुछ स्कूलों में सैनिक कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों की शिक्षा की व्यवस्था है। किन्तु जब सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तब उन्हें वहां पता चलता है कि पाठ्यक्रम दूसरा ही है। केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिये। शिक्षा चाहे प्रादेशिक भाषाओं में ही दी जाये किन्तु पाठ्यक्रम समान होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम समाजवादी ढंग के समाज की कामना करते हैं किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध नहीं हैं। ग्वालियर में मैंने एक पब्लिक स्कूल देखा। वहां की शुल्क इत्यादि इतनी अधिक है कि वहां सामान्य नागरिकों के बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते। ऐसे ही कई और स्कूल हैं। यहां पर केवल समृद्ध परिवारों के ही बच्चे पढ़ सकते हैं और इस प्रकार निर्धनों के बच्चों को सेवा, शिक्षा और चुनाव का अवसर नहीं मिल पाता। मैं तीसरा सुझाव विद्यार्थियों के मार्ग दर्शन के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। मैट्रिक के बाद उन्हें पर्याप्त सामग्री इस बात को जानने के लिये मिलनी चाहिये कि वह कौन सा व्यवसाय चुनें। कई तृतीय श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी कालेज में प्रवेश ले लेते हैं और शक्ति, समय और धन का अपव्यय करते हैं। यदि हम इस अपव्यय को रोकना चाहते हैं तो हमें उन्हें उचित पाठ्य-सामग्री उपलब्ध करा कर उनका मार्ग-दर्शन करना चाहिये।

पाठ्य-पुस्तकें हर दूसरे-तीसरे वर्ष बदल जाती हैं। यह राष्ट्र और जनकों पर एक भार है। पाठ्य-पुस्तकें पांच अथवा दस वर्ष बाद बदली जानी चाहिये। यदि पाठ्य-पुस्तकें जल्दी जल्दी नहीं बदली जातीं तो यह गरीब लोगों के लिये बहुत लाभकारी होगा ; क्योंकि उनके बच्चे पुरानी किताबों का प्रयोग कर सकेंगे।

हर राज्य में राष्ट्रीय अनुशासन योजना संबंधी संस्थायें आवश्यक हैं। कई राज्यों में बहुत अधिक अनुशासनहीनता है। जनरल भोंसले द्वारा किया जाने वाला कार्य भी साराहनीय है। उनके कार्यों को अधिकाधिक सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की ओर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों से अधिक ध्यान दिया जाये। इन लोगों को शिक्षा की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैंने सुना है कि इन लोगों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियां बंद कर दी गयी हैं। यह उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के कालेजों को अधिक सहायता दी जानी चाहिये। कई आवश्यकतायें हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में कालेज चलाने वाला पूरा नहीं कर सकता। उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

बुनियादी शिक्षा के विषयों में अधिक लोकप्रिय व्यापारों की शिक्षा सम्मिलित की जानी चाहिये।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़-उत्तर) : लोकतन्त्र किसी भी देश में सफल नहीं हो सकता जब तक कि उस देश के सभी वयस्क लोग देश के विकास-कार्यों में दिलचस्पी न लें। इस उद्देश्य से कि सभी लोग समझदारी से देश के कार्यों में भाग ले सकें यह आवश्यक है कि उचित शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाय। परन्तु खेद का विषय है कि आपात के कारण कई अन्य कार्यों के साथ प्राथमिक शिक्षा पर व्यय में भी कमी कर दी गई है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में युवतियों की ओर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया है। इस के फलस्वरूप तृतीय योजना काल में ६ से ११ वर्ष की आयु श्रेणी में केवल ६१.६ प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगी, ११ से १४ वर्ष की आयु श्रेणी में केवल १६.५ प्रतिशत युवतियां मिडिल स्कूल में शिक्षा पायेंगी ; और हायर सैकेंडरी स्तर पर केवल ६.७ के करीब ही शिक्षा पायेंगी।

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा का एक विशेष कार्यक्रम था। परन्तु मैं देखता हूं कि प्रत्येक राज्य द्वारा मंजूर राशि में और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कटौती कर दी गई है। इस के अतिरिक्त कई राज्यों में स्त्री शिक्षा के लिये उचित धन भी उपलब्ध नहीं किया गया, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम। यह मेरी समझ में नहीं आया कि इस विशेष कार्यक्रम की राज्यों द्वारा क्यों उपेक्षा की गयी और केन्द्र द्वारा इस को कार्यान्वित करने पर क्यों बल नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० सरोजिनी महिषी]

बालक और बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक आप इस की ओर ध्यान नहीं देंगे अशिक्षितता कम नहीं होगी। बालकों को खाना उपलब्ध करने का कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं भी उचित प्रकार नहीं चल रही हैं। स्कूल खाना कार्यक्रम का लक्ष्य ४४० लाख बालकों को खाना उपलब्ध करने का था जिन में से केवल २५० लाख को ही उपलब्ध किया जाना है। स्कूल स्वास्थ्य समितियों के बार बार सर्वेक्षण करने के पश्चात् भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जैसा कि विभिन्न परिषदों के प्रतिवेदनों से विदित है समस्त देश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य और पौष्टिकता का स्तर बहुत कम है। इस के फलस्वरूप हमारे देश में बालकों में बीमारियां अत्यधिक फैलती हैं। ४० प्रतिशत बच्चे अपर्याप्त पोषण के शिकार होते हैं। बच्चों में अन्धापन भी बढ़ रहा है। कई राज्यों में डाक्टरी परीक्षा भी नहीं होती है। विभिन्न स्कूलों के लिये ग्राम स्वास्थ्य योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम पर कुल व्यय केवल १८ करोड़ रुपया ही आयेगा। इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की गयी है। अपने राजनीतिक सिद्धांतों सम्बन्धी भेदभावों को अलग रख कर हमें इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। हमारे संविधान में भी यह किया गया है कि ६ से १४ वर्ष की आयु तक के बच्चों को बिना शुल्क के प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिये। स्कूल स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ उचित पौष्टिक पदार्थ भी उपलब्ध किये जाने चाहियें। स्कूल खाना कार्यक्रम के दो लाभ हैं ; एक यह कि गरीब मां-बाप को सुविधा होगी, और दूसरे बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उन दो कार्यक्रमों को अवश्य कार्यान्वित किया जाय।

अब मैं विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के बारे में सुझाव दूंगी। देहरादून में ऐसे लोगों के लिये एक संस्था है। परन्तु देखने में यह आता है कि प्रशिक्षण काल के पश्चात् ऐसे लोगों को बहुत कठिनाइयां पेश आती हैं चूंकि वह नहीं जानते कि वह उस के पश्चात् किधर जायेंगे। दूसरे, एक ऐसी ही संस्था दक्षिण में भी होनी चाहिये। बहुत से विकलांग लोगों को दूर से चल कर देहरादून आना पड़ता है।

स्त्रियों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सारे देश में ३३७ समन्वित कल्याण विस्तार परियोजनायें हैं। इन परियोजनाओं के फलस्वरूप देश में हजारों स्त्रियों को रोजगार मिलता है। इन परियोजनाओं के समाप्त होने के पश्चात् जो स्वैच्छिक संस्थायें बनने जा रही हैं उन्हें ५० प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा, कि उन्हें जनता की ओर से शायद योगदान न मिल सके और अब तक किया गया कार्य बेकार हो जायगा, और साथ ही किया गया व्यय भी बेकार जायेगा।

दूसरी बात यह है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग अलग प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। इन के कार्यों में एकसूत्रता लाने का प्रयत्न करना चाहिये। इससे कार्यक्रम उचित समय में पूरे हो सकेंगे और निधियों का भी समुचित प्रयोग किया जा सकेगा।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने शिक्षा विभाग का एक बड़ा बजट पेश है जो कि १९,७७,७५,००० रु० का है। इसके अलावा गृह मंत्रालय भी २,६५,००० रु० के लगभग खर्च करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये भी ७,३०,००,००० रु० है। दिल्ली विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड जो कालेज हैं उनके लिये २,९४,००,००० रु० रक्खा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा का बजट काफी बड़ा है। उसे बड़ा होना भी चाहिये, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। देश में शिक्षा की बहुत कमी है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो रुपया शिक्षा पर खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से योजना के अन्तर्गत हम ने जो लक्ष्य बना रक्खे हैं

उसमें हम कितने आगे बढ़े हैं। पहली बात है कि आर्थिक क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, दूसरे टैकनालाजी के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े हैं, तीसरे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर सिद्धांत पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना में कितना कदम बढ़ा है, चौथे नागरिकता के बन्धनों के दृढ़ करने, लोगों की शक्ति का पूरा पूरा सहयोग करने और देश के हर क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय साधनों के विकास करने के प्रयत्नों की कहां तक नींव पड़ी है।

अगर आप सन् १९५१ की सेंसस रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार २८ करोड़ ३९ लाख उस समय इस देश के अन्दर अशिक्षित थे और आज का फिगर १९६२ के अनुसार ३३ करोड़ ३९ लाख का है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहां तक योजना का सवाल है, उसमें आपको शिक्षा में बढ़ती करने का लक्ष्य होना चाहिये था। जहां तक मैं समझ सका हूं आर्थिक क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, और मदों में प्रगति कम हुई है, हां फैशन की जरूर बढ़ोतरी हुई है और शिक्षा का स्तर पहले से और नीचे चला गया है।

आप कहेंगे कि भारत सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कोआर्डिनेशन की है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के मानकों के समन्वय और निर्धारण के विषय में मंत्रालय का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संभालता है। देश के अन्य भागों में शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों पर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर देश की उच्च शिक्षा का ही दायित्व भारत सरकार पर है और नीचे की शिक्षा अगर खराब हुई, नीचे की जड़ मजबूत न हुई, तो उच्च शिक्षा अच्छी कहां से हो सकती है। अगर देश का नैतिक, और सामाजिक और आर्थिक उन्नति करनी है तो देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा करना होगा।

प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। सन् १९६१ में ३४४.२ लाख बच्चे ६ से ११ साल की आयु के भरती हुये जो कि कुल बच्चों का ६१.३ प्रतिशत था। सन् १९६२ में इससे चालीस लाख बच्चे ज्यादा भरती हुये जबकि अनुमान २२.५ लाख ज्यादा भरती होने का था। और तीसरी योजना में अनुमान है कि ८० फासदी बच्चे भरती हो जायेंगे। लेकिन साथ साथ यह भी आप देखें कि ८० हजार शिक्षकों की कमी है और वह कमी कैसे पूरी होगी मैं नहीं जानता।

इसके अलावा आप स्कूलों को देखें। बहुत से स्कूलों में न बैठने की जगह है, न इमारतें हैं, पेड़ों के नीचे बच्चे बैठते हैं। अगर उन बच्चों का मुकाबला मिनिस्टरों या बड़े आदमियों के बच्चों से किया जाय तो आपको नरक और स्वर्ग जैसा अन्तर दिखायी देगी। अध्यापकों को दस दस महीने तक वेतन नहीं मिलता। चार या पांच महीने तक वेतन न मिलना तो साधारण बात है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासियों से भी कम है। जबकि उनको जगत गुरु के नाम से पुकारा जाता है, उनको पेंशन और वेतन की बढ़ोतरी की बात दूर है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गयी है। हो सकता है कि शहरों में लड़कियों की शिक्षा में प्रगति हुई हो मगर देहातों में अभी भी वह बहुत कम है और मैं समझता हूं कि वहां तो कोई प्रगति नहीं हुई है। एक गाड़ी के दो पहिये हैं, एक तेज रफ्तार से चले और दूसरा धीमी रफ्तार से चले तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं होगी।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हाई स्कूल और इंटरमीजिएट शिक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। आप कहेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन भारत सरकार पर इस देश की पूरी जिम्मेदारी है, अगर नहीं है तो आप कोआरडिनेशन कर सकते हैं। आज आप हाई स्कूल और इंटर-

[श्री विश्राम प्रसाद]

मीजिएट स्कूलों का रिजल्ट उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि रिजल्ट ५० फीसदी से ज्यादा नहीं होता। कितना स्तर गिर गया है। और इस ५० फीसदी में भी आप देखेंगे कि ज्यादा लड़के अंग्रेजी में फेल हैं। यह बहुत अहम प्रश्न है। गरीब का बच्चा शिक्षा का स्तर ऊंचा न होने के कारण फेल हो जाता है। अगर आप एक लड़के का १२ महीने का पढ़ाई का खर्चा ५० रुपये माहवार भी लगावें तो इतने लड़कों के फेल होने से देश का कितना नुकसान होता है। केवल देश को इससे नुकसान ही नहीं होता साथ साथ बेकारी की समस्या भी बढ़ रही है।

आज शिक्षा का ध्येय नौकरी हो गया है। जब तक यह भावना खत्म नहीं होती तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। आज यह हो रहा है, कि पढ़े लिखे लोग न तो घर का काम कर सकते हैं, न बाहर का काम कर सकते हैं, नौकरी उनको मिलती नहीं। इस कारण वे कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं, चोरी भी करते हैं और जेब कटी भी करते हैं और डकैती भी करते हैं।

एक माननीय सदस्य : न घर का न घाट का।

श्री विश्राम प्रसाद : हमारे स्टडी ग्रुप में एक आक्सफोर्ड यूनीवरसिटी के बड़े विशेषज्ञ आये, वे चाइना होकर आये थे। उन्होंने कहा कि चीन में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि वे ऐसी छोटी मोटी चीजें अपने आप बना लेते हैं जैसे ट्रांसमिटर, और बिजली के पंखे, रेडियो आदि। अगर यहां भी लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाये तो वे उसके द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सकें और किसी उद्योग में लग सकें।

भारत सरकार के अधीन चार विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व भारती। लेकिन इनकी शिक्षा का स्तर भी बहुत गिर चुका है।

मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिये और उसमें यूनीफारमिटी आनी चाहिये। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि अगर एक बी० ए० पास लड़के से कहा जाये कि एक एप्लीकेशन लिख दो तो वह उसमें सौ गलतियां करेगा। यह शिक्षा का स्तर है। तो यह स्तर बढ़ना चाहिये। चाहे वह विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार चलाती हो या राज्य सरकारें चलाती हों, शिक्षा का स्तर सारे हिन्दुस्तान में कम हो गया है। हमारा ग्रेजुएट विदेशी ग्रेजुएट का मुकाबला नहीं कर सकता।

यूनीफारमिटी के विषय में मुझे यह कहना है कि जिस तरह का सिलेबस भारत सरकार के विश्वविद्यालयों में हो उसी तरह का सिलेबस राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों में होना चाहिये। जब तक इनमें समानता नहीं आयेगी तब तक कालिजों से निकले हुये विद्यार्थी ईक्वल अपार्चुनिटी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस स्तर की असमानता का यह परिणाम होता है कि बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सरविसेज में जैसे आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या इंडियन फारेन सरविस में, केवल कुछ विश्वविद्यालयों के लड़के ही सिलेक्ट किये जाते हैं दूसरों के नहीं। इसमें उन बच्चों का दोष नहीं है। इसमें सरकार का दोष है। यह कह देना कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

आप दिल्ली में देखें कि एक तरफ बड़े लोगों के लड़के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ गरीबों के लड़के मामूली स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिये बड़े आदमी का बच्चा जो अच्छी तरह अंग्रेजी बोल लेता है, उसका सिलेक्शन मिलिटरी आदि सरविसों में हो जाता है और गरीब आदमी के लड़के का नहीं होता। यह बात नहीं है कि गरीब के लड़के का दिमाग अमीर के लड़के

से कुछ कम है, अगर गरीब को सुविधायें दी जायें तो वह भी उसके समान या उससे ज्यादा अच्छा परिणाम दिखा सकता है।

एक माननीय सदस्य : दिमाग तो बड़ों का ही खराब है।

श्री विश्राम प्रसाद : इसके बाद मैं आपका ध्यान पबलिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। उनका कोटा पूरा नहीं हो सका क्योंकि उनको उचित योग्यता के लड़के नहीं मिल सके और उन्होंने अपनी सलाह में लिखा है कि जिस तरह के लड़के चाहियें नौकरियों के लिये उसी के अनुसार सिलेबस बनाया जाये और स्टेंडर्ड ऊंचा किया जाये।

मुझे याद है कि सन् १९५५ में पंडित जवाहरलाल जी मिर्जापुर गये थे, तो लोगों ने उनको मानपत्र देते समय कहा था कि हमको डिग्री कालिज दिया जाये। उस समय उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो मैं सब को एम० ए० और बी० ए० की डिग्रियां दे दूं लेकिन इससे इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि हमको टेकनिशियन चाहियें, ओवरसियर चाहियें और इंजीनियर चाहियें। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के एक हजार बच्चे मुझे मिल जायें तो मैं कल उनको नौकरी दे सकता हूं। तो हमको सब से ज्यादा इंजिनियरों की जरूरत है और उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिये तभी देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है। अभी हमको बाहर से इंजीनियर और मैशिनरी मंगानी पड़ती है जिससे फारिन एक्सचेंज का नुकसान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय हो गया अब खत्म कीजिये।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी तो खत्म नहीं कर सकता। आपने अन्य मेम्बरों को दो दो मिनट और दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मिला है। माननीय सदस्य भाषण कल जारी रख सकते हैं। वह कल दो मिनट ले सकते हैं।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा को वहां की पुलिस ने घेर लिया है। ५० विधायकों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। वहां कांस्टीट्यूशन टूट गया है, जनतंत्र मिट सा गया है। इस गम्भीर स्थिति पर सदन को विचार करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उत्तर प्रदेश का सदन नहीं है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की सोलहवां प्रतिवेदन से, जो २० मार्च, १९६३ को सभा में उपस्थिपित था सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की सोलहवां प्रतिवेदन से, जो २० मार्च, १९६३ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक

नई धारा ७-क का रखा जाना

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री च० का० भट्टाचार्य द्वारा ८ मार्च, १९६३, को प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रामगंज) : इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मेरा उद्देश्य केवल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि इस विषय में पग उठाया जाना चाहिए । मैं चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की जाय । बेशक इस उद्देश्य का कोई अन्य विधेयक अथवा प्रस्ताव लाया जाय ।

वास्तव में अधिनियम में यह त्रुटि है कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं की गई है । सेवानिवृत्ति पर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए उपदान का तो उपबन्ध है परन्तु सेवानिवृत्ति की आय नहीं दी गई ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थापनाओं में काम कर रहे पत्रकारों की सेवानिवृत्ति की आयु में समानता नहीं है जिस के फलस्वरूप जब कोई चाहे पत्रकार को नौकरी से अलग कर देता है । इस विधेयक से यह समस्या भी सुलझ जायगी ।

इस विधेयक में सेवानिवृत्ति की आयु ६५ वर्ष रखी गई है । इस आयु तक एक पत्रकार तभी सेवा में रह सकेगा यदि वह कोई घोर अपराधी सिद्ध न हो जाय । जो पत्रकार किसी करार अथवा ठेके पर काम करता है उस पर यह आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी अधिनियम का उद्देश्य यह था कि उस श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाय और उन को अपने काम के लिए उचित और एक सा वेतन मिल सके । निजी समाचार पत्र स्थापनाओं द्वारा इन के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था । परन्तु यदि आप सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं करते तो उन को किसी समय भी किसी स्थापना द्वारा सेवा से अलग किया जा सकता है । फलतः आप के अधिनियम का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता । इसलिए सेवा-निवृत्ति की आयु निर्धारित करना आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियम में यह तो उपबन्ध है कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना आवश्यक है, परन्तु चूंकि कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है इसलिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपबन्ध हैं, अतः पत्रकारों के हितों को विभिन्न स्थापनाओं पर ही छोड़ दिया गया है। सेवानिवृत्ति सम्बन्धी उपबन्ध विभिन्न राज्यों में ही विभिन्न नहीं हैं बल्कि एक ही राज्य में और कई बार एक ही स्थापना में इस प्रकार का भेदभाव कुछ श्रेणी के पत्रकारों से किया जाता है।

कलकत्ता की एक समाचारपत्र स्थापना में काम करने वाले पत्रकारों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं : एक श्रेणी के वह लोग हैं जो १९४९ से पूर्व के हैं जिन्हें ६० वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना है। दूसरी श्रेणी उनकी है जो १९४९ से पश्चात् और १९६० से पूर्व आये थे जिन्हें २५ वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होना है। तीसरी श्रेणी उनकी है जो १९६० के पश्चात् सेवा में आये जिन्हें ५५ वर्ष की आयु तक सेवा में रहना है। इस प्रकार जितना समय पश्चात् एक पत्रकार सेवा में आये उसी अनुपात से उसका सेवा-काल कम होता गया। अतः इस प्रकार की अनियमितता को दूर करना आवश्यक है।

कुछ उदाहरण ऐसे भी दिये जा सकते हैं जिनमें एक पत्रकार को निश्चित आयु से पूर्व ही सेवानिवृत्त कर दिया गया और बाद में उसी पत्रकार को उसी पद पर वार्षिक ठेके पर रख लिया गया।

कई मामलों में यह होता है कि एक पत्रकार को सेवानिवृत्ति के पश्चात् फिर रख लिया जाता है जिससे यह सिद्ध होता है कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु ही थोड़ी रखी गई थी और इसलिए उन पत्रकारों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी सेवा योग्य समझा जाता है। पत्रकारों संबंधी अनेकों झगड़े न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी चल रहे हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके समाप्त किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने भी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करते समय क्षेत्र विशेष की आबोहवा का ध्यान रखा जाना चाहिए और उसी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में निर्धारित आयु सीमा को दृष्टि में रखना चाहिए। इसके साथ साथ इसी उद्योग में चालू प्रथा को भी समक्ष रखना चाहिए। मैं उस आखिरी सुझाव पर बल देना चाहता हूं। संसद् इस पर विचार करके आयु निर्धारित कर सकती है।

सेवानिवृत्ति की आयु परिनियम द्वारा निश्चित करने के बारे में सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं ने सुझाव दिया है कि सेवानिवत्ति की आयु ६५ निर्धारित की जाय। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयु निर्धारित करते समय हमें यह देखना होगा कि पत्रकार किस प्रकार का काम करते हैं। इस बारे में प्रैस आयोग ने कहा है कि एक पत्रकार के लिये उच्च दर्जे की सामान्य शिक्षा और एक विशेष प्रकार का शिक्षण आवश्यक है, इसलिये उनकी सेवा की शर्तें इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहियें कि प्रज्ञा वाले लोग आकर्षित हों।

विश्वविद्यालयों में लगभग यही नियम है कि अध्यापक ६५ वर्ष की आयु तक चल सकते हैं। जो अध्यापक कुछ समय के लिए काम करते हैं उन्हें तो ६५ वर्ष के बाद तक भी चलते रहने की अनुमति होती है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी ६५ वर्ष की आयु तक ठीक चल सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था की जा रही है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ६०, ६२ वर्ष से बढ़ा कर ६५ कर दी जाय। इसके लिए संविधान में १५वां संशोधन किया जा रहा है।

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

इसी तरह की बात श्रम अदालत अथवा न्यायाधिकरण की है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी की आयु ६५ वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि श्रमजीवी पत्रकारों की आयु सीमा ६५ वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए उन्हें इस आयु तक कार्य करने की अनुमति होनी चाहिये। कई देशों में तो पेंशन लेने की आयु ७० वर्ष तक है। मेरे विचार में तो पत्रकार को जब तक वह ठीक है काम करने की अनुमति होनी चाहिये। इस में आयु का प्रश्न नहीं आना चाहिये। प्रश्न यह है कि जो नियम और सिद्धान्त श्रमजीवियों पर लागू किये जा रहे हैं, वे दिमागी श्रमजीवियों पर भी लागू होंगे। इस दिशा में वेतन आयोग का तो मत यही था कि आयु ६० वर्ष से ऊपर होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। श्रमजीवी पत्रकार समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें उनके बारे में सोचना ही चाहिए। बहुत से श्रमजीवी पत्रकार प्रायः गैर-सरकारी संस्थानों में ही काम करते हैं और सरकार को उनकी सहायता करनी ही पड़ती है ताकि उनकी सेवा शर्तें माननीय स्तर पर रह सकें। श्री भट्टाचार्य ने जो बातें इस विधेयक में लेने का यत्न किया है उससे मूल अधिनियम के दोष दूर हो जायेंगे और आने वाले पत्रकारों को बहुत सी सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी क्योंकि पत्रकार तो वर्तमान और भविष्य दोनों में ही समाज के एक उपयोगी अंग के रूप में रहेंगे।

श्रमजीवी पत्रकारों को सरकार द्वारा सभी सुविधायें दी जानी चाहियें। श्रमजीवी पत्रकार अपने मालिक के रहम पर नहीं होना चाहिए। उसे समाचारों को देने और सम्पादकीय लिखने की छट होनी चाहिये। श्री भट्टाचार्य को इस मामले में काफी अनुभव है इसीलिये उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए।]

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस विधेयक के अन्तर्गत जो सिद्धान्त निहित है, उसका मैं स्वागत करता हूं। श्रमजीवी पत्रकार समाज का एक उपयोगी अंग है अतः उनकी आयु इत्यादि के बारे में विचार करना समाज के हित की बात है। इस दृष्टि से इस विधेयक का आदर किया जाना चाहिए और इस पर समुचित विचार होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सेवा निवृत्ति के लिए ६५ वर्ष की आयु निश्चित करना भी अधिक है, क्योंकि श्रमजीवी पत्रकारों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। मेरे विचार में यदि हमें प्रयोग करना ही है, तो हमें यह सीमा ५८ या अधिक से अधिक ६० वर्ष निश्चित करनी चाहिए।

श्री भट्टाचार्य ने शिक्षा सेवाओं की जो तुलना दी है, वह यहां ठीक मालूम नहीं देती।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय प्रस्तावक इस विधेयक को वापस नहीं लेंगे, चाहे सरकार इसका सिद्धान्त स्वीकार करे या न करे।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। यदि मुझ से पूछा जाये तो मैं यह पसन्द करूंगा कि पत्रकार को ६५ की आयु पर भी सेवानिवृत्त

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं होना चाहिये । मेरे विचार में उम्र बढ़ने पर और अनुभव बढ़ने पर उसका काम अच्छा ही होता जाता है और समाज के लिए वे अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होते हैं । इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार सदस्य को इसे वापस लेने के लिए नहीं कहेगी बल्कि इसे स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इस में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है । यह बहुत युक्तियुक्त प्रस्ताव है । इससे पत्रकारों की आजादी पर प्रभाव पड़ता है । हमने देखा है कि पुराने सम्मानित पत्रकारों को मालिक अपनी इच्छा से निकाल बाहर कर देते हैं । इस लिए मैं आशा करता हूं कि सदन इस को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगा ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम चाहे इतना संतोषजनक न हो, फिर भी इस के द्वारा पत्रकारों को कुछ सम्मान, कुछ सेवा की शर्तें और कुछ स्थायीपन मिला है । किन्तु उस में एक त्रुटि यह है कि सेवानिवृत्ति की कोई आयु निर्धारित नहीं की गई । इस त्रुटि को दूर करना सरकार का कर्त्तव्य है । श्री भट्टाचार्य ने मांग की है कि सेवानिवृत्ति की आयु ६५ तक निर्धारित की जाये । हम ने देखा है कि कई बड़े बड़े भारतीय पत्रकार इस से भी बड़ी उम्र तक काम करते रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार हृदय की विशालता से काम लेगी और इस विधेयक को स्वीकार कर लेगी ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । चूंकि यह एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है, इसी कारण सरकार को इसका विरोध नहीं करना चाहिये बल्कि इसके औचित्य को स्वीकार करना चाहिये । यदि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित न की जाये, तो उनकी सेवा की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है । इस दृष्टिकोण से सेवा की सुरक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि पत्रकारों को कई बार सेवा से हटा दिया जाता है ।

समाचारपत्रों के मालिक स्वतंत्र विचार वाले श्रमजीवी पत्रकारों की सेवाओं का अन्त कर रहे हैं क्योंकि मूल अधिनियम में उन्हें ऐसा करने से रोकने का कोई उपबन्ध नहीं है । इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना आवश्यक है, चाहे यह ६५ हो या ७२ हो । मैं माननीय प्रस्तावक से कहूंगा कि पत्रकारों को देश की सेवा करने और ज्ञान का प्रसार करने का पूरा अवसर दिया जाये और उन्हें मालिकों के चंगुल से बचाया जाये ।

अन्त में मैं प्रस्तावक से निवेदन करूंगा कि वे इसे वापस न लें और मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन प्रश्नों पर विचार करें और वे देखें कि इसे पारित किया जाये ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद) : श्रमजीवी पत्रकार का काम एक अध्यापक के काम की तरह है, जो कि समाज को अपनी योग्यता से पूरा लाभ पहुंचाता है । किन्तु उसे हर समय यह डर रहता है कि उस को नौकरी से हटा दिया जायेगा । श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम बड़े कष्टों के बाद पारित किया गया था, किन्तु फिर भी इस में त्रुटि रह गई थी । इसे दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । एकरूपता के हित में प्रस्तावक ने ६५ की आयु का सुझाव दिया है, क्योंकि उनके काम में स्थिरता आ जाती है और उन पर इतना शारीरिक भार नहीं पड़ता । मैं एक भूतपूर्व अध्यापक और पत्रकार के नाते कह सकता हूं कि पत्रकार ६५ वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं । मैं श्री भट्टाचार्य के विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : श्री भट्टाचार्य ने अपने भाषण में विस्तृत रूप से विधेयक के समर्थन में तर्क दे दिये हैं। मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में मतभेद हो सकता है कि यह ६५ हो या कुछ और। मेरे विचार में श्रमजीवी पत्रकार का काम बहुत कठोर होता है और ६५ की आयु उस के लिए बहुत कठिन हो सकती है। मैं केवल एक शर्त चाहता हूं कि ६२ की आयु पर वह इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि वह अभी काम करने के योग्य है, तो उसे ६५ की आयु तक काम करने दिया जाये। यदि ऐसी शर्त लगा दी जाये तो मालिक उसे अपनी मर्जी के अनुसार रखे या छोड़ नहीं सकता। मेरे विचार में इस शर्त के साथ विधेयक सब के लिए स्वीकार्य होना चाहिये।

यदि प्रभारी मंत्री विधेयक को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करें, तो प्रस्तावक को इसे वापस नहीं लेना चाहिये। सरकार को या तो विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये या उसी प्रकार का एक और विधेयक लाना चाहिये, जिस में अधिक अन्तर न हो।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बड़े : सभापति महोदय, सब से पहले तो मैं श्री भट्टाचार्य का अभिनन्दन करता हूं कि वह यह बिल सदन के सामने ले आये। इस बारे में जो लैकुना या डिफेक्ट था उन्होंने उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन वह वापस न ले लें।

श्री बड़े : इस में दो प्वाइंट्स इन्वाल्व्ड हैं। अव्वल तो यह कि सुपरऐनुएशन एज फिक्स की जाय या नहीं, दूसरे यह कि कितनी एज को फिक्स कर के लैकुना को बन्द किया जाय। श्री भट्टाचार्य जी बड़े स्ट्रांग आदमी हैं लेकिन ६५ की एज रखने के लिये उन्होंने बड़े लांग लांग आर्गूमेंट्स दिये "अपने पक्ष में जो कि कमज़ोर हो"। ६५ की एज के बारे में उन्होंने दूसरे अथारिटीज़ भी दिये हैं। वह समझते थे कि अनालोजी पर अनालोजी देकर कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से हुआ वह अपने पाइन्ट्स को ठीक करवा लेंगे। उनका कहना था कि वह ६५ होनी चाहिये। उनका यह प्वाइंट बहुत वीक था। मगर जिस तरह से कहते हैं :

"अच्छा वकील कमज़ोर मामले को भी बहुत अच्छी तरह पेश करता है"

उन्होंने अपने वीक केस को बेस्ट तरीके से अथारिटीज़ दे कर साबित करना चाहा कि ६५ वर्ष की उम्र होना चाहिये। मैं श्री भट्टाचार्य जी से सहमत हूं कि जहां जहां पर प्रेस वाले या समाचार पत्र के मालिक रहते हैं, वह हमेशा यह चाहते हैं कि कुछ सर्विस कराने के बाद जर्नलिस्ट्स को निकाल दिया जाय। जब उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो वे उनको निकाल देते हैं और दूसरे लोगों को उनकी जगह पर रख लेते हैं। जर्नलिस्ट्स के लिये कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिये, कुछ शाश्वति होनी चाहिये, इसलिये मैं भी चाहता हूं कि यह लैकुना पूरा किया जाय। इस चीज से मैं पूरी तरह सहमत हूं।

लेकिन जहां पर वे ६५ वर्ष की बात कहते हैं, वहां उन्होंने एक जगह पढ़ कर बतलाया कि यह कहा गया है प्रोफेसर्स के लिये कि अगर वह मेन्टली और फिजिकली फिट हों तो उनको ६० वर्ष तक का एक्स्टेंशन दिया जाय। फिर उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट्स के लिये भी यह होना चाहिये कि वह मेन्टली और फिजिकली फिट हो। यह जो र्‍यूमैटिज्म, डाइबिटीज और हाई ब्लड प्रैशर

---

†मूल अंग्रेजी में

आदि बीमारियां हैं, यदि उनसे जर्नलिस्ट्स बरी हों तो उनको ६५ साल तक ले जाना चाहिये। आज केवल सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एज ६५ रक्खी गई है। क्या जर्नलिस्ट्स जो हैं यह कोई स्पेशल स्पेशीज आफ ह्यूमनबींग हैं कि उनको ६५ साल तक जाने दिया जाय। आज सरकारी कर्मचारियों के लिये ५८ वर्ष की आयु रक्खी गई है। लेकिन जर्नलिस्ट्स का ६० कर दिया जाय, यह मैं मंजूर करता हूं और शासन को इसको स्वीकार करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि श्री भट्टाचार्य जी ने जहां यह कहा है कि लैकुना को बन्द किया जाय, जर्नलिस्ट्स के लिये कुछ शाश्वति होनी चाहिये, उसके लिये कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिये, उसको स्वीकार किया जाय। मैं ने देखा है कि हमारी स्टेटों में बड़े बड़े सेठों के हाथ में समाचारपत्र रहते हैं। पहले तो जर्नलिस्ट्स अपनी रोटी की खातिर सेठ लोगों के आदेशों का पालन करते हैं और उनके हाथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मालूम होता है कि जर्नलिस्ट्स उनके हाथ से जा रहे हैं, वे धीरे धीरे उनके काम में डिफेक्ट निकाल कर, झगड़ा करके कहते हैं कि तुम वृद्ध हो गये हो इसलिये तुम से काम नहीं होता है और मैं तुम को निकालता हूं। और उसके बाद दूसरा रखा जाता है। आप ने कहा कि कांट्रेक्ट से किया जाये तो ऐसा स्टेट्स में भी किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो लेकूना भट्टाचार्य जी ने बताया है उसको बन्द किया जाये और जो वह ६५ साल की उम्र चाहते हैं उसके स्थान पर ६० रखी जाये। इसके लिए फिजिकल फिटनैस देखना चाहिए और एफीशेंसी बार रखनी चाहिए, तो ठीक हो जायेगा।

आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आयु ६५ साल है। उसकी बात अलग है। वहां सरकार ने ६५ कर दिया तो नीचे के जजों ने हल्ला किया कि हम को भी ६५ साल किया जाये। ला कमीशन ने ६५ की एज रिकमेंड की। पर शासन ने हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र ६२ साल कर दी। और जो नीचे की सरविसेज हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र ५८ साल कर दी। मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट्स के लिए ६० साल की उम्र रखना ठीक होगा क्योंकि साठ साल के बाद अक्सर लोगों को डाइबिटीज, हाई ब्लड प्रैशर और गठिया आदि की बीमारियां हो जाती हैं और वे काम लायक नहीं रहते। और अगर कोई इस उम्र के आगे भी फिट हो तो उसको कांट्रेक्ट सिस्टम पर रखा जा सकता है। वैसे मामूली तौर पर ६० से ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो मैं श्री भट्टाचार्य से इस मामले में सहमत नहीं हूं कि रिटायरमेंट की आयु ६५ की जाये। लेकिन जो लेक्यूना उन्होंने बताया है उसको ठीक करना चाहिए। उसका जो नाजायज फायदा प्रोपराइटर लेते हैं उसको बन्द करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भट्टाचार्य जी के बिल को सरकार स्वीकार कर ले और लेक्यूना को बन्द कर दे और रिटायरमेंट की आयु या तो ५८ साल रख दे या ६० साल रख दे और साथ में एफीशेंसी बार रख दे।

मुझे डर है कि श्री भट्टाचार्य क्योंकि शासन की पार्टी के हैं, इसलिए सम्भव है कि वे शासन द्वारा आश्वासन दे दिये जाने पर इसको वापस ले लें। मेरा सुझाव है कि यह एक बहुत अच्छा बिल है, आप इसको वापस न लें। अगर आप इसको वापस ले लेंगे तो वर्किंग जर्नलिस्ट आपको कोसेंगे। वह कहेंगे कि पहले तो शहद दिखा दिया और फिर उसको वापस ले लिया। शासन आश्वासन देने के बाद उस आश्वासन को भूल जाता है, उन पर जब प्रैशर पड़ता है तो उनके माइंड का लिड खुलता है, लेकिन प्रैशर कम होने पर फिर बन्द हो जाता है। मैं दस बारह साल से देख रहा हूं कि जब तक उनके ऊपर प्रैशर नहीं आता तब तक उनका ब्रेन सुनता ही नहीं, और जब प्रैशर चला जाता है तो फिर बन्द हो जाता है। इसलिए आप इसको वापस न लीजिये, प्रैस कीजिये, हम आप के साथ हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का अंशतः समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (वांदा) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं श्री भट्टाचार्य को बधाई देती हूँ। उन्होंने त्रुटि को इतना स्पष्ट कर दिया है कि उसके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता हीं नहीं। मूल अधिनियम की त्रुटि को दूर करने के विचार से इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाय। दुर्भाग्य से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का परिणाम संतोषजनक नहीं होता। अधिकतर इन्हें आश्वासन देने के बाद वापस ले लिया जाता है। मैं आशा करती हूं कि इस बार कम से कम इसे स्वीकार कर लिया जायेगा और श्रमजीवी पत्रकारों को संरक्षण दिया जायेगा।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): सभापति जी, इस बिल का जो उद्देश्य है वह बहुत ही सुन्दर है और समय के अनुकूल है।

अभी हमारे गृह मंत्री जी ने अपनी सरविसेज़ की रिटायरमेंट की आयु ५५ से ५८ कर दी है। इससे जहां कुछ लोगों को लाभ हुआ वहां कुछ सालों के लिए नौजवानों के लिए सरविसेज़ में आना रुक गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आयु भी बढ़ा दी गयी। लेकिन इस विधेयक में सुपरएन्युएशन की क्या उम्र है यह नहीं दिया गया है। मूल एक्ट के सेक्शन ५ में लिखा है :

वह वार्धक्य आयु प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त हो जाता है "एज आफ सुपरएन्युएशन" यह ता श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विविध उपबन्ध) अधिनियम में दिया हुआ है लेकिन वह सुपरएन्युएशन किस समय होगा यह नहीं दिया है।

इतनी स्पीचेज़ हो गयीं लेकिन गवर्नमेंट का क्या दिमाग है इसका पता नहीं चला। दो दो डिप्टी मिनिस्टर बैठे हैं और अब एक देवी जी भी आकर उनके पास बैठ गयीं।

†**सभापति महोदय** : मेरे विचार में माननीय मंत्री सदस्य को सुन रहे हैं।

श्री सिंहासन सिंह : सदन को अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि यह सुपरएन्युएशन की एज क्या है, वे किस अवस्था में रिटायर होंगे। पता नहीं इस बारे में सरकार की क्या राय है। कोई अमेंडमेंट सरकार की तरफ से सदन के सामने नहीं है। न दोनों मिनिस्टरों में से किसी ने कहा कि इसको वापिस लो। वे अब तक नहीं बोले हैं इससे ऐसा ही लगता है कि प्रोसेस आफ एलिमिनेशन से या तो कहेंगे कि हम कबूल करते हैं या कहेंगे कि वापस ले लो। लेकिन कबूल करेंगे इसकी आशा कम ही है। अगर कबूल करते तो इतने लोगों को बोलना न पड़ता। यह एक सुन्दर चीज़ है, अच्छा हो इसको कबूल कर लिया जाए। लेकिन उनका सिर हिल गया, वे इसको कबूल करने वाले नहीं हैं, तो कहेंगे कि वापस ले लो।

मैं पूछता हूं कि इस कानून के मातहत अगर कोई मालिक किसी एम्प्लाई से कहे कि तुम रिटायर हो जाओ तुम्हारी उम्र सुपरएन्युएशन तक पहुंच गयी, तो वह कह सकता है कि अभी उसकी उम्र उस हद तक नहीं पहुंची है। अगर ऐसा झगड़ा हो तो उसका फैसला कौन करेगा और किस आधार पर करेगा कि उसे किस उम्र पर रिटायर किया जाए। जर्नलिस्ट पर गवर्नमेंट सरविस का कानून लागू नहीं होता, जिसमें रिटायरमेंट की एज ५८ साल है। न उस पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू होता है जहां कि रिटायरमेंट की उम्र

---

†मूल अंग्रेजी में

६२ साल और ६५ साल है। कुछ कन्सर्नस में ६० साल का कायदा है, वह भी उस पर लागू नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मौजूदा वर्किंग जनरलिस्ट्स का जो मौजूदा कानून है इससे सुपरएनुऐशन की ऐज का कोई प्राविज़न नहीं है। अब अगर कोई वर्किंग जनरलिस्ट यह मामला लेकर अदालत में जाय कि उसे रिटायरमेंट की उम्र से कब्ल रिटायर कर दिया गया है तो वह आखिर किस आधार पर इसके लिए मुकमदमा लड़ेगा? उसे किस आधार पर न्याय मिलेगा? समाचारपत्र के मालिकान अगर चाहें तो नौकरी के दस दिन बाद ही रिटायर कर सकते हैं, उसे १५ दिन या महीने भर का नोटिस देकर रिटायर कर सकते हैं। इसलिए यह ज़रुरी है कि स्टैचूटरली सारे देश के वर्किंग जनरलिस्टस के लिए एक युनिफार्म ऐज आफ रिटायरमैंट कानून में प्रोवाइडेड हो। इसलिए इस खामी को पूरा करने के हेतु मेरे भाई यह जो अमेंडमेंट बिल लायें हैं स्वागत योग्य है और यह ठीक है कि इस बारे में जो खामी है, लैकूना है, वह दूर हो जाय। गवर्नमेंट के दो अंग बैठे हुए हैं। उन को चाहिए कि देखें कि वाकई सदन के इतने लोगों ने इस बारे में अपने विचार रक्खे हैं और हमारे सबसे वयोवृद्ध सदस्य डा० अणे ने इस पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनको एक आर्शीवाद मान कर गवर्नमेंट इस विधेयक को किसी न किसी रुप में कबूल कर ले। उस का स्वरुप क्या हो कोई उसके अंदर समन्वय निकाल लें। मेरे विचार में अभी कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब इस ५५ और ६५ के बीच में एक समन्वय कर लिया जाय तो उचित होगा। इसलिए ६० वर्ष की उम्र आप इसमें रख दें और उसको कबूल कर लें तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी और सब के लिए एक रास्ता निकलेगा। अभी तो कंसिडरेशन स्टज पर मामला है। क्लाज़ेज के डिसकशन की स्टेज़ आने पर अगर गवर्नमेंट ६० वर्ष के लिए अमेंडमेंट ले आये या किसी माननीय सदस्य के इस तरह के संशोधन को मान में तो बड़ा सुन्दर होगा। गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को वापिस लेने के लिए वह न कहे। आज स्थिति बदल चुकी है और इस तरह के निश्चित कानून बनाने की आवश्यकता है। इस इंडस्ट्री को बिलकुल पूंजीपतियों ने अपने हाथ में ले रक्खा है। अब पहले का सा तो ज़माना रहा नहीं है कि पत्रकार स्वतः अपना पेपर चलाते थे। अब तो करीब करीब सभी बड़े बड़े पत्र पूंजीपतियों की सम्पत्ति हो चुके हैं और पत्रकार लोग उनके नौकर होते और वे जहां जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के एक निश्चित कानून बनाय जाने की आज बहुत आवश्यकता हैं। हम जब समाजवाद का और डमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा लगाते हैं तो यह और भी ज़रुरी हो जाता है। अब यह दूसरी बात है कि उस पर चलते कहां तक हैं लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि नाम तो हम लेते ही हैं। भले ही धीरे धीरे क्यों न हो, उस दिशा में बढ़ हम अवश्य रहे हैं। अगर हमें पूरे सोशलिस्ट नहीं हैं तो पूंजीपति भी नहीं है। हम बीच में हैं। यह उम्र की परिधि अववश्य तय होनी चाहिए मुझे आशा है कि सदन के इतने सदस्यों ने इस बारे में अपने विचार प्रकत करते हुए जो श्री भट्टाचार्य के संशोधन बिल का समर्थन किया है, गवर्नमेंट उसे मान लेगी और ५५ की जगह अगर ६० की सीमा रख दी जाए तो ठीक रहेगा। ऐसा करने से आज जो कानून में खामी है वह दूर हो जायगी और इसके रहते पूंजीपति लोग पत्रकारों के साथ जो मनमानी करते हैं उन के ऊपर रोक होगी। पूंजीपति मालिकान द्वारा मनमानी करने और समय से पहले रिटायर करने की आज जो शिकायत है वह दूर होगी और यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह पत्रकार

[श्री सिंहासन सिंह]

अदालत में उसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है और अदालत उसका फैसला करेगी। ऐसा होने से वाकई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ़ हम बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे गवर्नमेंट स्वीकार करेगी।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ सी साथ एक बात यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि जैसे ५५ से बढ़ा कर एकदम ६५ कर दिया है, ऐसा न करके अगर ५५ से ५८ और ५८ से ६० भी अगर हो जाता तो ज्यादा उचित होता तब शायद इसे मान्यता भी मिल जाती। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसकी नौबत ही नहीं आयेगी और यह बिल वापिस हो जायगा। चूंकि गवर्नमेंट इसे मानने से इंकार कर देगी इसलिए माननीय सदस्य इसे वापिस ले लेंगे। मेरा अपना विचार है कि इस तरह का बिल जिसे सब तरफ़ से समर्थन मिल रहा है, माननीय सदस्य का ऐन मौके पर उसे वापिस ले लेना अच्छी बात न होगी। उन प्रस्तावक महोदय का दम नहीं है कि वह पार्टी से अलग होकर इस बिल को प्रैस कर सकें और अड़ कर इसे पास करवा सकें। प्रस्ताव महोदय में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इसे प्रैस करके पास करवाने के लिए अड़ जायं। अगर इतना दम उनमें नहीं था तो फिर इस बिल को उन्हें हाउस के सामने रखना नहीं ही चाहिए था। दरअसल पार्टी के व्यक्तियों को आगे लाने के लिए जिस तरह से उनसे बिल रखवाये जाते हैं।

जहां तक उनके रिटायर होने की आयु को ५५ से बढ़ा कर ६५ कर देने का सवाल है तो अगर ६५ नहीं तो कम से कम ५८ या ६० तो मंजूर कर ही लेनी चाहिए। अब मिलों में जो मज़दूर काम करते हैं या और श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनका काम ऐसा होता है जिसमें शरीर पर बहुत ज़ोर पड़ता है और उनकी उम्र तो कम करनी चाहिए क्योंकि वे बेचारे थक जाते हैं लेकिन पत्रकार आदि लोग तो दिमागी काम करते हैं और जैसे जैसे वह वृद्ध होते जाते हैं उनका दिमाग भी पकता जाता है, दिमाग़ बढ़ता ही जाता है घटता नहीं है और फिर तरो ताज़ा खाने वालों का दिमाग़ बढ़ता ही है इसलिए उनकी आयु को ५५ से बढ़ा कर अगर एकदम ६५ नहीं तो ५८ या ६० तो कर ही देना चाहिए।

पत्रकारों में काफ़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों की है जिसको कि बहुत कम तनख्वाह मिलती है और मालिकों ने उनको इस तरह से बांध रक्खा है जैसे कि कोई केदी को बांधते हैं। इसके विपरीत पहले जो पत्रकार होते थे वे स्वतंत्र होते थे और आमतौर पर वे खुद समाचारपत्र निकालते भी थे लेकिन अब स्थिति बलद गई है। समाचारपत्र पूंजीपतियों के हाथ में है और वहां पत्रकारों को एक तो वेतन भी उचित नहीं मिलता है दूसरे उनको रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी चैन नहीं मिलता है। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं रहती है। उनको आमतौर पर अस्थाई ही बनाये रक्खा जाता है क्योंकि अगर उन्हें परमानैंट कर दिया जाय तो फिर उनका एक ही बन जाता है लेकिन ऐसा न कर के उन पत्रकारों को ऐक्सप्लाएट किया जाता है। आयु और कंडीशंस आफ़ सर्विस के बारे में यह आवश्यक है कि कानून में साफ़ तौर से व्यवस्था कर दी जाय कि ताकि यह पूंजीपति उनके साथ मनमानी न कर सकें। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए चाहूंगा कि अगर ६५ नहीं तो कम से कम ५८ या ६० वर्ष की आयु उनके रिटायर होने के लिए कानून में निश्चित कर दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्)**: मैं सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रस्तावक के लिए मेरे दिल मैं बहुत सम्मान है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे उन का अंशदान मालूम है। मुझे से कई बार पूछा गया था कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं अन्तर्बाधा नहीं करना चाहता था किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक को मैं कैसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

स्थाई श्रम समिति के पन्द्रहवें सत्र में श्रमिक की वार्धक्य आयु तय करने की आवश्यकता के प्रश्न पर चर्चा की गई थी। उस में यह निर्णय किया गया था कि वार्धक्य आयु को निश्चित नहीं करना चाहिये। समिति के सत्रहवें सत्र में भी यह निर्णय किया गया था कि इस प्रश्न पर एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ ही, जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, विचार किया जाये। अध्ययन दल ने इस विषय का अध्ययन तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है ।

श्रमजीवी पत्रकारों, मालिकों और सरकार के त्रिदलीय सम्मेलन में अगस्त १९६१ में पत्रकारों को वार्धक्य आयु के प्रश्न पर विचार किया गया था और प्रस्तावक भी उस समिति के सदस्य थे। इस में श्रमजीवी पत्रकारों की तुलना अन्य शिक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों से की गई थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि वार्धक्य आयु ५५ कुछ ने कहा था, ५८, कुछ और ने कहा था ६० और कुछ ने कहा था ६५ होनी चाहिये। मतभेद होने के कारण, उस में यह निर्णय किया गया था कि प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पास किये गये श्रम जीवी पत्रकार अधिनियम में इस विषय पर कोई उपबन्ध न किया जाये। आयोग ने श्रम जीवी पत्रकारों की वार्धक्य आयु के बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी ।

जैसा कि एक दो सदस्यों ने कहा है, ६५ की आयु स्वच्छन्द रूप से निश्चित को गई है। कोई और भी आंकडा दिया जा सकता है। समाचार पत्र उद्योग के विभिन्न एककों, अन्य सेवाओं और उद्योगों में सेवा निवृति के लिए विभिन्न आयु बताई गई है। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया में निवृति की आयु ५८ है। अमृत बाज़ार पत्रिका और अनन्द बाज़ार पत्रिका में ६० है । बैंका में ५८, तेल उद्योग में ५८ है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अब सेवा निवृति की आयु ५८ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ६० है और उच्चत्तम न्यायालय के लिए ६५ है । सरकार के विभिन्न श्रम विधानों में सेवा निवृति की कोई आयु निश्चित नहीं की। श्री गजेन्द्र गदकर ने अपने निर्णय में कहा है कि सेवा निवृति की आयु निश्चित करने में बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और विभिन्न संस्थापनों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिये ।

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के अधीन वार्धक्य आयु की सीमा निश्चित करना अनिवार्य नहीं है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कई मामलों में सेवा निवृति की आयु को निश्चित कर दिया है। इन समस्त मामलों में हमें त्रिपक्षीय सम्मेलन के निर्णयों का अनुसरण करना होगा। किन्तु श्री चक्रवर्ती और अन्य सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

एक समय पर श्रम जीवी पत्रकारों का ख्याल था कि उन के लिए श्रमिक कहलाना लाभदायक नही है और उन्हें 'वृति' समझना चाहिये। बाद में उन्होंने देखा कि ऐसी हालत में वे विभिन्न अधिनियमों के लाभ नहीं उठा सकते। अब वे समझते हैं कि श्रमिकों के रूप में वे सब लाभ ले सकते हैं । अब हमारा सम्बन्ध केवल सेवा निवृति की आयु निश्चित करने से है। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है किन्हीं श्रम जीवी पत्रकारों से इस विषय में कोई शिकायत नहीं आई। मैं माननीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य को बताना चाहूंगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ की धारा २ के अन्तर्गत, वार्धक्य आयु तक पहुंचने पर उस हालत में जब कि नियोजक और श्रमिक में कोई समझौता हो, किसी श्रमिक को हटा दिया जाये, तो वह 'छटनी' नहीं समझी जायेगी । यदि करार करने में वार्धक्य के बारे में कोई उपबन्ध न हो, तो किसी श्रमिक को सेवा निवृति के बारे में कुछेक परिस्थितियों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध लागू हो सकते हैं । यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार को अन्यायपूर्ण तौर पर सेवा से हटा दिया जाये, तो वह किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय में जा सकता है और उसे श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत सेवा निवृति क्षतिपूर्ति धन तथा उपदान पाने का अधिकार होगा ।

१९६२ में जब दूसरा अधिनियम पारित किया गया था, यह प्रश्न हमारे सामने नहीं था, क्योंकि इस पर त्रिपक्षीय सम्मेलन में विचार नहीं किया गया था । किन्तु अब इस पर विचार किया जा सकता है नियोजकों, कर्मचारियों और सरकार के त्रिपक्षीय सम्मेलन में । हम इस कठिनाई के कारण, इसे स्वीकार नहीं कर सकते, यदि हम विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि विधेयक के उद्देश्यों से हमें सहानभूति नहीं है । उन के और हमारे दृष्टिकोण में कोई भेद नहीं है, हम केवल इतना चाहते हैं कि यह उचित माध्यम से आना चाहिये । हम अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सदा तैयार हैं । आखिर अधिनियम दिसम्बर १९६२, में पारित किया गया था । मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा ।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल माननीय श्री भट्टाचार्य ने पेश किया है, मैं इसा हृदय से समर्थन करता हूं और इसका मैं स्वागत करता हूं ।

दो चार बातें मैं भी सदन के सामने पेश करना चाहता हूं । रिटायर होने की जो वर्तमान उम्र है, उसको बढ़ा कर जो वह ६५ साल करना चाहते हैं और शासन ने जो नियम बनाये हुए हैं, उन में परिवर्तन करने का जो उन्होंने सुझाव रखा है, वह स्तुत्य है । मैं चाहता हूं कि इसका श्रीगणेश हम से ही हो । हमारे जो यहां पर मंत्रीगण हैं, उनको जो कतार है, उस कतार के अन्दर अधिकांश लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन की उम्र ६५ से भी ऊपर है । यदि इस कानून को आप उन पर लागू कर दें तो मैं समझता हूं कि रुपये में चार आने या तीन आने लोग ही रह जायेंगे । हमारे देश का यह इतिहास है कि जब आदमी साठ के ऊपर पहुंचता है तो उसकी कलम में ताकत आती है, उसकी कलम अच्छी चलने लगती है और उसकी बुद्धि पकती है और वह अच्छे ढंग से इतिहास, कहानियां तथा दूसरे प्रकार का साहित्य लिखता है जिस को पढ़ कर आने वाली पीढ़ियों में आनन्द का संचार होता है, उनमें उत्साह और शौर्य पैदा होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस बिल को बिना किसी संकोच के तथा बिना कुछ विचार किए हुए स्वीकार कर लेना चाहिये और रिटायरमेंट की उम्र को ६५ साल कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शारीरिक शक्ति लगा कर जो मेहनत करता है और जो मस्तिष्क लगा कर काम करता है, इन दोनों में काफी अन्तर है । यह ठीक है कि दोनों की तुलना एक जैसी की जाती है, लेकिन जो शुरू से मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं उन के बारे में अगर यह लागू किया जाय कि उस को रिटायरमेंट की अवधि ५० से ५५ वर्ष तक होनी चाहिये, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वे शुरू से मेहनत करते हैं । जैसे जैसे उस की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका शरीर थकता जाता है । लेकिन जो मस्तिष्क से काम करने वाले लोग हैं उन के साथ ऐसा नहीं होता है । जैसे जैसे उन की उम्र बढ़ती है उन की

कलम अच्छी चलती है । पत्रकार विभाग एक ऐसा विभाग है कि उसमें जितना अनुभवी व्यक्ति होगा वह समाज में, अन्य देशों में, और देश की अशिक्षित जनता में अच्छे ढंग से अपनी बात को कहेगा । उन की बुद्धि अच्छे ढंग से चलेगी । जो कम शिक्षित लोग हैं उन में वह अच्छी भावना पहुंचायेगा और देश की गतिविधियों के बारे में या दूसरे राजनीतिक मामलों में या राजनीतिक दल किस प्रकार से चल रहे हैं, हमारी गतिविधि किस प्रकार से चल रही है और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, इन सब बातों को अच्छे ढंग से लिख सकेंगे ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय उस बात को स्वीकार करते हैं, जो कि इस विधेयक में विशेष रूप से है । सेवा निवृत्त होने की आयु के बारे में कोई मतभेद नहीं है । वास्तव में देखा जाय तो यही इस विधेयक का उद्देश्य है । हमें यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि एक पत्रकार को, जिसने अपना सारा जीवन एक समाचारपत्र में व्यतीत कर दिया हो, अन्ततोगत्वा रोजगार के मामले में उसको मालिक की दया पर छोड़ दिया जाय ।

मैं श्री सिंघवी की इस बात से सहमत नहीं कि शिक्षक और पत्रकार के जीवन में कोई बड़ा अन्तर है । हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि छात्र, अध्यापक, न्यायाधीश और पत्रकार, इन सब के लिए आयु एक अर्हता है । दीमागी काम करने वालों की आयु सीमा ६५ वर्ष होनी चाहिए । और इसी तरह पत्रकार की सेवा निवृत्ति की आयु ६५ वर्ष निर्धारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इस बारे में मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है, उसे देखते हुए मैं अपना विधेयक वापिस लेता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने की अनुमति है ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** । मैं इसे मतदान के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ को अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : यहां तो कोरम ही नहीं इसके पास करने के लिए कोरम तो होना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोरम है, आपको यह बात उस समय करनी चाहिए थी जब मैंने इसे प्रस्तुत किया था ।

समुद्रीय बीमा विधेयक

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समुद्रीय बीमा सम्बन्धी विधि को संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

यह कोई नया विधेयक नहीं है । इसे सब से पहिले १९५९ में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था । तब इसे जनमत के लिए परिचालित किया गया था । २१ मत प्राप्त हुए थे और वे सभी विधेयक के पक्ष में थे । इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्देशित किया था । संयुक्त समिति ने इसके बारे में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह सर्वसम्मत है । यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त समिति ने विधेयक में केवल थोड़े ही परिवर्तन किये हैं । कुछ शब्दों की परिभाषा और अधिक स्पष्ट कर दी गयी है । दलालों सम्बन्धी खंड निकाल दिया गया है । ७७ संशोधन प्रस्तुत हुए थे उन सब को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

खण्ड ८९, ९०, ९१ ९२ और ९३ को अधिक व्यापक बना दिया गया है । उन जहाजों के लिए भी व्यवस्था की गयी है जो समुद्र में नहीं जाते और अन्तर्देशीय नौवहन तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं । विधेयक में कुल मिला कर ९२ खण्ड हैं और यह एक व्यापक विधेयक है । यह आज की नौवहन उद्योग की दशा पर आधारित है । बाद में जब हमारे साधनों में वृद्धि हो और नौवहन और पत्तनों का विकास हो, तो विधेयक में कुछ तबदीलियां करने की आवश्यकता महसूस होगी । परन्तु सिद्धान्त रूप में किसी तबदीली की आवश्यकता नहीं है ।

यह बड़े ही सन्तोष की बात है कि हमारा नौवहन उद्योग और अन्तर्देशीय जलमार्ग में प्रगति हो रही है । हम नये नये बड़े बड़े पत्तन बना रहे हैं । कोचीन में दूसरा नाधांगण बनाया जा रहा है । निश्चित रूप से इसके द्वारा इस उद्योग का विकास होगा । इस लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में नौपरिवहन की सम्भावनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । यह भी आवश्यक है कि हम समुद्रीय बीमा के बारे में एक विधि को संहिताबद्ध करने के लिए कानून बनायें । समुद्रीय बीमा के महत्व को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । मानव के लिए जो महत्व जीवन बीमा का है, वही नौवहन उद्योग और जहाजों के लिए समुद्रीय बीमा है । वर्तमान विधेयक से नौवहन उद्योग से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों में राहत और सुरक्षा की भावना का निर्माण होगा ।

मुझे इस बात का गौरव है कि हम अब अंग्रेजी तरीके का नहीं प्रत्युत अपने ढंग का विधेयक प्राप्त कर रहे हैं । इस विषय पर तो हमारे पास कोई विधान ही नहीं है । इन शब्दों से मैं विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सभा ने एक गैर सरकारी विधेयक भी पारित किया है । पूरी आशा है कि यह सदन भी उसे स्वीकार करेगा । चार वर्ष हुए यह राज्य सभा में २० फरवरी १९५९ को प्रस्तुत हुआ था । उस समय सरकार को ध्यान आया था कि यह मामला सरकार के विचारने वाला है । जब मामला विधि आयोग को भेजा गया । इस बीच गैर सरकारी विधेयक सदन में आ गया । इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया । संयुक्त समिति ने भी इसे स्वीकार कर लिया । केवल एक व्यक्ति की राय साथ नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो गैर-सरकारी सदस्य विधेयक अथवा संकल्प प्रस्तुत करते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे सरकार को भी लाभ होता है, उसका नये विधेयक प्रस्तुत का बोझ हलका हो जाता है। कुछ भी इस मामले में तो बहुत ही हर्ष की बात है कि विधेयक बिना किसी प्रकार के मतभेद के आया है। मेरा निवेदन है कि इसे एकमत से स्वीकार कर लिया जाय।

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में जो भी आवश्यकता रही है उस को श्री शर्मा ने बड़े अच्छे ढंग से यहां रक्खा। इन बारह वर्षों में हमारी शिपिंग और इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में जो इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई कानून नहीं था यह बड़ा भारी लैकुना कानूनन रह गया था। अन्य क्षेत्रों में तो कानूनों का कोडिफिकेशन बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है। यह जो क्षेत्र बाकी रह गया था उस के सम्बन्ध में कोडिफिकेशन करने के लिये हम आगे आ रहे हैं।

इस में कोई शक नहीं कि यह एक नानआफिशल बिल के रूप में आया है। इस कारण से भी इसका हमारी नजर में बड़ा महत्व है क्योंकि जो इस क्षेत्र को देखने का हमारा तरीका रहा है उस पर प्रेशर आ रहा है और इसी कारण से इस को नानआफिशल बिल के रूप में यहां रखने की आवश्यकता पड़ी। हम यह भी महसूस करते हैं कि जब यह बल ज्वायेंट कमेटी में गया तो ज्वायेंट कमेटी ने इंग्लिश मैरीन इंश्योरेंस ऐक्ट के अनुरूप हमारे यहां भी उपस्थित किया है। श्री शर्मा ने शिपिंग के बारे में बहुत बड़ा विवरण दिया है। इस बिल के सम्बन्ध में उन्होंने हम को बतलाया कि लोकल सिचुएशन के हिसाब से इग्लिश एक्ट में परिवर्तन कर के यहां पर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जहां यह एक स्पेशल एक्ट के रूप में आ रहा है, मैं महसूस करता हूं कि इस में कुछ कमियां रह जाती हैं ; यह एक स्पेशल एक्ट है और जहां पर भी इस एक्ट में दूसरे एक्ट का रिफ्रेंस आया है वह दिया नहीं गया है। जहां पर भी यह एक्ट मुबहम हो उस का सन्दर्भ यहां रक्खा जाना चाहिये। ऐसा इस बिल में कहीं नहीं किया गया है। जब यह एक्ट के स्वरूप में यहां आ रहा है तब और चीजें भी इस में रखनी आवश्यक हो जाती हैं। इस बिल के सिलसिले में पार्टीज की जो कुछ भी लाइबिलिटीज आयेंगी उनके बारे में जुरिस्डिक्शन का सवाल पैदा होगा। यह प्रोसीडयोरल ला आफ लिमिटेशन का मामला है। अगर इस मामले को भी इस बिल में इनकारपोरेट कर देते तो यह बिल और भी सुविधाजनक हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

*** इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २३ मार्च, १९६२ / चैत्र २, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २२ मार्च, १९६३

२ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उतर		२४१९—४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३५	दुर्गापुर में चश्मों के कांच बनाने का कारखाना	२४१९–२०
५३६	बढ़िया किस्म का कोयला	२४२०–२१
५३७	मशीनी औज़ार कारखाना	२४२१–२२
५३८	उदारतापूर्वक लाइसेंस देने की नीति	२४२३—२५
५३९	ट्रकों का आयात	२४२५—२८
५४०	मशीनरी तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	२४२८—३०
५४२	रूरकेला इस्पात कारखाना	२४३०–३१
५४३	औषधियों का उत्पादन	२४३१—३४
५४४	निर्यात व्यापार लक्ष्य	२४३४–३५
५४५	चैकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया से व्यापार दल	२४३६–३७
५४७	ईरान से मेवे का आयात	२४३७–३८
५४८	व्यापार तथा निर्यात गृह	२४३८—४०
५४९	रूई के मूल्य	२४४०–४१
५५१	संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	२४४२–४३
५५२	हथकरघे के कपड़े का इकट्ठा हो जाना	२४४३—४६
५५३	अफ्रीकी-एशियाई देशों को निर्यात ऋण	२४४६–४७
प्रश्नों के लिखित उतर		२४४७—६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४१	औद्योगिक उत्पादन का बढ़ाया जाना	२४४७–४८
५५०	'टिस्को' तथा 'इस्को' को ऋण	२४४८–४९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर-क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या-जारी

१०५३ बिहार में लघु उद्योगों का विकास २४४६

१०५४ उत्तर प्रदेश में उप-चुनाव . . . २४४६

१०५५ उड़ीसा के लिये अलौह धातुओं का अभ्यंश (कोटा) २४५०

१०५६ उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्रार्थना पत्र २४५०

१०५७ हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी २४५०—५१

१०५८ आयात लाइसेंस . . २४५१

१०५९ निर्यात व्यापार के लिये क्षेत्रवार संगठन . . . २४५१—५२

१०६० भारत में मानकीकरण के लिये संयुक्तराष्ट्र के विशेषज्ञों का आगमन २४५२

१०६१ भिलाई इस्पात कारखाना २४५२—५३

१०६२ मास्को में भारतीय प्रदर्शनी २४५३

१०६३ निर्यात गृह . . २४५३

१०६४ लीपजिग में बसंत मेला . २४५३—५४

१०६५ शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना . २४५४—५५

१०६६ केलों का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रतिनिधिमंडल २४५५

१०६७ बी ट्विल और टाट . २४५५

१०६८ कृषि उत्पादों का निर्यात २४५५—५७

१०६९ मद्रास राज्य में उद्योग . २४५७

१०७० वेनेडियम का उपयोग . २४५७

१०७१ अमलाय में कागज का कारखाना . . २४५७—५८

१०७२ टसर रेशम उद्योग २४५८

१०७३ पाकिस्तान के लिए व्यापार शिष्ट मडल . . . २४५९

१०७४ रेशम कीट उद्योग का विकास . . . २४५९

१०७५ उर्वरक कारखाना २४६०

१०७६ फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी के कारखाने . . २४६०

१०७७ खली . . . . . २४६०—६१

१०७९ विदर्भ में भारी इंजीनियरिंग परियोजनायें . . २४६१

१०८० बंगाल—नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव . . २४६१

१०८१ पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना . २४६१

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४६२

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम १९५१ की धारा १८-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक ४ मार्च, १९६३ की एस० ओ० संख्या ५८१ ।

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये कॉफी बोर्ड की वार्षिक प्रतिवेदन ।

राज्य सभा से सन्देश २४६३

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा १६ मार्च, १९६३ को पास किये गये केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २० मार्च, १९६३ की बैठक में संघ राज्य क्षेत्र शासन बिल, १९६३ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित — २४६३

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

अनुदानों की मांगें २४६४—९९

(१) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

(२) शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी प्रतिवेदन—स्वीकृत २४९९—२५००

सोलहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत २५००—११

श्री च० का० भट्टाचार्य के श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक, १९६३ (नई धारा ७-क का रखा जाना) पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई ।

श्री च० का० भट्टाचार्य ने चर्चा का उत्तर दिया तथा विचार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन २५११—१३

श्री दी० चं० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि समुद्री बीमा विधेयक, १९६३ पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

(दैनिक संक्षेपिका)

शनिवार, १३ मार्च १९६३/२ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य तथा अणु शक्ति विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

GMGIPND—LS III—12(Ai)LSD——22-5-63—1860

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २४९९–२५००

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक २५००—११

(नई धारा ७-क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]—अस्वीकृत

विचार करने का प्रस्ताव

श्री च० का० भट्टाचार्य . . . २५००—०२

श्री ही०ना० मुकर्जी . २५०२

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . . २५०२

श्री अ० ना विद्यालंकार . २५०२–०३

श्री अन्सार हरवानी २५०३

श्री प्रियगुप्त : . २५०३

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : २५०३

डा० मा० श्री अणे : . २५०४

श्री बड़े : २५०४–०५

श्रीमती सावित्री निगम . २५०६

श्री सिंहासन सिंह . . २५०६—०८

श्री ओंकार लाल बेरवा . . २५०८

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन . . . २५०९–१०

श्री कछवाय . . २५०९ –११

समुद्री बीमा विधेयक

राज्य सभाद्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . २५११—१३

श्री दी० चं० शर्मा . . . २५११–१२

श्री स० चं० सामन्त . . . २५१२–१३

श्री द्वारका दास मंत्री २५१३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५१४—१७

PLS. 41. XIV. 25. 63.
160

१९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।